

Jharkhand Industrial Policy - 2012

JHARKHAND INDUSTRIAL POLICY – 2012

INDEX

Sl. No.	Contents	Page
1	Introduction	3-6
2	Objective	6-8
3	Strategy	8-10
4	Land	10-12
5	Mines	12-13
6	Water	13-15
7	Infrastructure	15-18
8	Human Resources Development	18-20
9	Skill Development	20-21
10	Entrepreneurship Development	21-22
11	Incubation Centre	22
12	Industrial Area Development Authority	23-27
13	Development of new Private Industrial Area	28
14	Industrial Corridor	29
15	Industrial Parks	29-30
16	Special Economic Zone	30
17	Cluster Development	30-31
18	Micro Small and Medium Enterprises (MSME)	31-34
19	Value Addition	34-35
20	Promotion of Sericulture, Handloom & Handicraft	36-38
21	Textile and Apparel	38-40
22	Promotion of Agro Food Processing based Industries	40-45
23	Automobile and Auto Components	45-47
24	Energy	47-49
25	Promotion of FDI	49-50
26	Information Technology / Bio Technology	51-53
27	Tourism	53
28	Film Industry	54
29	Export Promotion	54-55
30	Industrial Sickness	55-58
31	Industrial Finance	59-60
32	Incentives & Concession	60-70
33	Expansion / Modernisation / Diversification	70
34	General Provisions	70-73
35	Date of Production	73-75
36	Memorandum of Understanding (MoU)	75-76
37	Facilitation	76-81
38	Monitoring & Review	81-82
39	Power of the State Government, Annexure - I & II,	82-96

	Abbreviation	
--	--------------	--

GOVERNMENT OF JHARKHAND
DEPARTMENT OF INDUSTRIES

Resolution

SUBJECT: JHARKHAND INDUSTRIAL POLICY – 2012.

1. INTRODUCTION

- 1.1 Jharkhand Industrial Policy – 2001 was formulated and implemented after the creation of the State of Jharkhand. The basic objective of the policy was to optimally utilize the available resources in planned and systematic manner for the industrialization of State. It was aimed at enhancing value addition of the natural and human resources in efficient manner to generate additional employment and resources for the growth and development of the State.
- 1.2 Considerable progress in industrialization has been achieved during the policy period. As many as 26 mega industries, 106 large and medium industries and 18,109 micro and small industries have been set up in the State during the period with an approximate investment of Rs 28,424.06 crore and about 63,000 people thus far got employment in these industries. It has contributed to the revenue collection of the State besides improving the quality of life in certain pockets like Jamshedpur-Saraikela-Chaibassa, Ramgarh-Patratu-Hazaribagh, Latehar-Chandwa, Ranchi-Lohardaga, Bokaro-Chandankiyari-Dhanbad-Giridih etc.
- 1.3 To ensure regular and mega investment, the State has been able to convince the ambassadors of industries to choose Jharkhand as preferred investment destination. Accordingly, major industrial houses have inked MoUs with

the State Government. Several bottlenecks and difficulties notwithstanding, the industries have been able to acquire about 8,000 acres of land through direct negotiation with raiyats. In addition the State Government has also been able to provide approximately 3000 acres of land to these industries including power units. Around 17 mega industries have already come into production and several other industrial units are likely to be commissioned during the financial year 2011-12.

- 1.4 Steel production in the State has increased from 8 million tonnes (MT) to over 12 million tonnes per annum during the 11th Plan period. Jharkhand is presently producing about 20-25% of total steel being produced in the country. With the proposed expansion of a number of integrated steel plants, the State will be producing over 25 MT of steel and thus will turn to be a steel-hub of India. Even various types of auto grade steels, which were earlier being imported, are now being produced within the State. Similarly the production of alumina in the State has increased from about 80,000 metric tonnes to over 200,000 metric tonnes. Significant enhancement could also be achieved in cement and clinker production.
- 1.5 There has been a phenomenal growth in Sericulture Sector. A record growth in production of 716 metric tonne of Tasar Silk has been achieved during 2010-11 compared to the production of less than 100 metric tonne till 2006 and now approximately 1.25 lakh employment has been generated in the sector.
- 1.6 Growth in Mining and Quarrying has also been observed in the State. The output from this sector has increased from Rs 6523.4 crore in 2003-04 to Rs 10170.5 crore in 2009-10.

- 1.7 There has been almost three times growth in Gross State Domestic Product (GSDP) of the State which is an indicator of its fast growth. GSDP of Jharkhand at current prices has increased from Rs 39191.09 crore in 2000-01 to about Rs 120010.20 crore in 2010-11. Similarly the per capita income of Jharkhand has also increased from Rs 14392 in 2001-02 to Rs 38350 in 2010-11.
- 1.8 However, there is a need to boost the economic activities to sustain the current level of growth and achieve even better pace of development. Since the State is endowed with rich mineral resources, its optimal utilization including value addition is essential for maximizing the benefit of local people.
- 1.9 There has been large scale change in industrial environment due to economic liberalization, privatization and globalization. Strong emphasis is being placed on Micro, Small and Medium Enterprises (MSME). Clusterisation is being promoted, pollution norms have become more stringent, concept of 'go' and 'no go' zoning has been developed for mining clearances etc. Value Added Tax (VAT) regime has been implemented and is likely to be further replaced by Goods and Service Tax (GST).
- 1.10 Enough of learning experience has been gathered from implementation of Jharkhand Industrial Policy 2001. Organisations like Industrial Area Development Authorities {Ranchi Industrial Area Development Authority (RIADA), Adityapur Industrial Area Development Authority (AIADA) & Bokaro Industrial Area Development Authority (BIADA)}, State Khadi Board, Jharkhand Industrial Infrastructure Development Corporation (JIIDCO) and JHARCRAFT are making significant contribution in industrialization of the State and are cash surplus. But desired progress in

areas like IT, Biotechnology, Special Economic Zone (SEZ), Food Processing, Down Stream Processing etc is yet to be achieved.

Further, investors trying to set up large / mega industries in the State are facing difficulties in acquisition of land.

- 1.11 Jharkhand ranks first in production of Tasar Silk in the country. In order to maintain the leading edge and rejuvenate existing rural industries including sericulture, handloom, handicraft, khadi, textile etc., it is envisaged to assist them in modernization/technological upgradation and provide necessary common facilities, backward and forward linkages including product design, marketing support etc. so as to make them globally competitive and their product remunerative.
- 1.12 The present policy aims at creating industry-friendly environment for maximizing investment especially in mineral and natural resource based industries, MSMEs, infrastructure development and rehabilitation of viable sick units. The objective here is to maximize the value addition to state's natural resources by setting up industries across the state, generating revenue and creating employment.
- 1.13 In view of the above, this policy has been drafted after intensive interaction with representatives of industries, industry association, investors, subject experts etc and efforts have been made to accommodate their views. It is expected that implementation of the policy will facilitate industrialization of the State, generate employment and add to its overall growth.

2. OBJECTIVE :

- 2.1 To convert Jharkhand into a favoured destination for investors and to promote sustainable Industrial growth of the State.

- 2.2 To establish linkages between large industries and MSME/ ancillary industries.
- 2.3 To give a boost to manufacturing activity and develop downstream processing industries for consumer durables, engineering goods etc in major industrial pockets.
- 2.4 To facilitate optimal utilization of states mineral and other natural resources.
- 2.5 To accelerate the growth of sericulture, handicraft, handloom, khadi and village industries etc. in rural areas for achieving the objectives of employment generation, utilization of local resources and exploiting the export potential of finished products. Efforts would be made to take steps to protect and promote rural handicrafts so as to conserve and enrich cultural heritage, traditions and customs of the region.
- 2.6 To promote skill-based, environmental pollution free industries like IT, Biotechnology, Tourism etc.
- 2.7 To utilize the advantage of the state in horticulture, floriculture and food processing industries.
- 2.8 To ensure participation of scheduled tribes, schedule caste and other underprivileged sections of the society in the industrial development.
- 2.9 To set up clear and creditable specific measures to improve the investment climate.
- 2.10 To promote innovation and technological upgradation of industrial units for improved production, product and productivity.
- 2.11 To revive viable sick units.

- 2.12 To ensure Balanced Regional Development so as to prevent socio-economic distortions due to backwardness of any region.
- 2.13 To develop industrial parks / clusters / industrial areas in PPP mode.
- 2.14 To simplify the procedures and to ensure administrative and legal reforms so as to provide hassle free sensitive administration and time bound effective disposal of matters in a transparent manner.
- 2.15 To promote private investment in engineering colleges / medical colleges / nursing Institute / management institutes under Human Resource Development programmes and other skill development programmes.

3. STRATEGY :

- 3.1 Creating and enabling environment for development of industrial and related social infrastructure.
- 3.2 Development and operationalisation of Industrial Facilitation Mechanism (Single Window System) for "time-bound clearance".
- 3.3 Rationalisation of fiscal concession and benefits.
- 3.4 Striving to put in place appropriate arrangements for ensuring timely and adequate flow of credit to industries, specially the MSE sector.
- 3.5 Assist Industrial Sector in their marketing efforts by providing adequate support services backed by appropriate enabling provisions in the legislations / rules.
- 3.6 Thrust to entrepreneurship development programme.

- 3.7 Emphasis on small power generating units and developing non-conventional sources of energy using clean technology through private participation.
- 3.8 Development of ancillary units by major industries.
- 3.9 Institutionalisation of Monitoring, Evaluation and Grievance Redressal Mechanism.
- 3.10 Implementing the concept of Public-Private-Partnership (PPP) in industrialization especially in Infrastructure Development / Industrial Area Development / Industrial Park / Human Resource Development / Service Sector etc.
- 3.11 To develop Human Resources with appropriate scientific, technical and managerial skill to suit the requirement of local industries and gain maximum employment. Adoption of existing technical institutes under Government by Mega Investors under their Corporate Social Responsibility (CSR) programme will be encouraged to achieve the objective.
- 3.12 Setting up new Industrial infrastructure dedicated to steel, automobile, food and agro-processing, electronics, information and communication technology etc. including through new organizational forms such as Knowledge Cities, Centres of Excellence, Incubation Centres, SEZ etc.
- 3.13 Marketing assistance to be provided to small, tiny, cottage industries, handloom, sericulture and handicraft.
- 3.14 Identification and revival of sick units, including prevention of sickness by developing a district level monitoring system.

- 3.15 Promoting cluster based development of MSMEs either on their own or with mother industries for bringing about more production efficiencies, branding and bringing about economies of scale.
- 3.16 Thrust on development of MSME Sector through attractive package of Incentives and Concessions including implementation of MSME Act 2006.
- 3.17 Modification of Rehabilitation & Resettlement Policy (R&R Policy), 2008.
- 3.18 To develop quality infrastructure including road, water, land, power etc and provide it at the doorstep of industries for encouraging industrial growth.
- 3.19 Special incentives are proposed for women, SC/ST entrepreneurs.
- 3.20 To make industries technically competitive, special incentives are proposed for adoption of latest technologies, getting quality certification like BIS, ISO 9000 / 14000 or other national or international certification.
- 3.21 Awareness programmes on export marketing and other related issues will be organized in association with MSME Development Institutes / EAN India and local chamber of commerce and association to sensitize and encourage exporters for export promotion.
- 3.22 Government proposes to facilitate setting up of effluent treatment plants and hazardous waste management plants in various industrial estates and clusters with private sector participation. Efforts will also be made for value addition to some industrial wastes including minerals lying as wastes at pit-head / mines site.

4. LAND

- 4.1 (a) Efforts will be made to create land bank in each district by acquiring a minimum of 200-500 acres of land and demarcating them as industrial estates with provision of basic industrial infrastructure.
- (b) A comprehensive exercise will be undertaken to identify and utilize land that is owned by the Government or common land, mostly waste and fallow land in different parts of the State.
- 4.2 Some Industrial Units (Central Public Sector Undertakings, State Government Undertakings and Private Enterprises) are trying to retain excess land, earlier allotted to them, for decades. In a scheduled V State like Jharkhand, the actual requirement of these industries needs be reassessed and, wherever required, land in excess of their requirement and which is not being used for the purpose for which it was allotted, will be taken back by the Govt. and inventory of such surplus land will be worked out to create land bank. This will enable the State to offer land readily to investors as and when required.
- 4.3 Project proposals of Investors for setting up industries will be thoroughly scrutinized to arrive at the actual requirement of land for the project.
- 4.4(a) Land acquisition for industrial enterprises i.e. voluntary or involuntary shall be done as provided/applicable under Indian Land Acquisition Act and Jharkhand Voluntary Land Acquisition Rule 2010.
- (b) Direct Purchase of Land for Industrial Enterprises shall be done as provided under CNT/SPT Act.
- (c) Provision of Schedule Area Act (PESA) shall be applied in (a) & (b), wherever applicable.
- (d) Department of Revenue and Land Reform shall be duty bound to expedite the above mentioned Land Acquisitions in a time bound manner.

- (e) Department of Revenue and Land Reform shall work-out a detailed time frame for the disposal of proposal as provided in 4.4 (a) & (b). The details of status of different proposals shall be placed on the website of the department.
- 4.6 GM land or Government land may be transferred to the investing industrial enterprises only when most of the raiyat and other types of land availability is ensured.
- 4.7 GM land may be leased out to the investing industrial enterprises for 30 years with a provision of renewal of lease twice on specified terms and conditions notified by the Department of Revenue and Land Reform. However, the land shall be used for the purpose it has been allotted within 5 years from the date of transfer.
- 4.8 In case of conversion of agricultural land for industrial purpose the prevailing revenue rules pertaining to rent and transfer will be applicable.
- 4.9 (a) All efforts shall be made to avoid use of double cropped or rich agricultural land and to minimize displacement.
- (b)Waste land / degraded forest land may be made available by the State Government on long term lease basis after taking prior approval from the Government of India. under Section '2' of Forest (Conservation) Act 1980, wherever required, for plantation development / tourism purposes which will encourage forest based / tourism industries.
- 4.10 Government will try to acquire land in new suitable location and ensure infrastructure development for specific and general industries.

5. **MINES**

- 5.1 It is proposed to allot mines / captive mines on preferential basis to industrial enterprises who have put up their plant in the State for value addition to the raw material.
- 5.2 Cases for grant of mining lease to potentially viable sick units which have previously generated adequate employment and revenue resources for the State Government will be preferred over industries situated outside the State.
- 5.3 Cases of Industries which have been allotted mines but not set up their plants or where reserve of the leased mines is in excess of the requirement of the plant are proposed to be reviewed and, if required, the steps will be initiated for cancellation of the allotted mines or curtailment in the leased quantity of raw material.
- 5.4 Department of Mines and Geology will work-out an appropriate methodology for adequate availability of raw materials required by mineral based Industries of the State.
- 5.5(a) Department of Mines and Geology will work-out a transparent web based methodology for time bound disposal of mines license / lease application.
 - (b) Finalisation and grant of mining lease will be done keeping in view the provisions of tenancy laws.
- 5.6 Efforts will also be made to allot more iron ore and coal mines etc to Jharkhand State Mineral Development Corporation (JSMDC) to enable the Industrial units including group of MSME's with adequate financial viability to enter into joint venture with other companies for taking up the development of these mines for supplying raw materials to the needy industries of the State.

5.7 Comprehensive plan for development of railway network and other infrastructure for major mines of the State will be worked-out in consultation with all concerned agencies.

6. WATER

6.1 The State has normal rainfall pattern of 1200-1400 mm spread across all the regions and possesses a large number of water bodies, reservoir and river basins spread across the State, which is also available for industrial use. It is proposed to carry out a fresh survey to ascertain the actual availability of water.

6.2 Efforts will be made to impress on investors to implement appropriate measures for rational use of this scarce resource and the need for adoption of minimum water consumption technologies and also fixing the percentage of water requirement to be used by recycling of water after use in industries and treatment of waste water.

6.3 Efforts will be made to prepare water supply scheme. Feasibility of desalination plants and supply of recycled and treated waste water to industries will be explored. Govt. will try to implement and facilitate mega water supply schemes for industries at specified locations through IADA/Special Purpose Vehicle (SPV) etc.

6.4 Concept of differential water tariff is being introduced :

(a) Lower tariff for industries minimizing the consumption of industrial water and using less than the norm fixed by any regulatory body / authority / National Standards to the extent possible and also to industries devising means / methods to use flood water for its consumption.

- (b) Higher tariff for industries consuming water more than the specified average norm from national standards or standards fixed by any regulatory body / authority.
- (c) Differential water tariff is also being introduced with respect to the source of allocation (natural river source, govt. owned storages, canals etc) and also whether water is being consumed as raw material.
- 6.5 Department of Water Resources in consultation with Department of Industries, Department of Energy and other Departments will make periodical review of allocation of water to Industries/Power plants etc and reduce/deallocate/reallocate the water on actual requirement keeping in view the immediate future need.
- 6.6 (a) Rain Water Harvesting, Recycling and Re-Use of Waste Water shall remain essential for industries. Department of Water Resource will monitor its compliance outside the command area of IADA for industries other than MSME.
- (b) In case of MSME outside IADA, self certification with respect to the above by units, shall be allowed.
- 6.7 Department of Water Resources will issue guidelines in detail regarding use of underground water by the Industries in different areas / zones of the State.
- 6.8 Storage intervention by industrial units will be encouraged to meet the industrial water demand during non-monsoon period.
- 6.9 Industrial units will be required to adhere to the discharge norm fixed by Jharkhand State Pollution Control Board (JSPCB).

6.10 Water Policy will be worked out and published by Water Resources Department shortly.

7. **INFRASTRUCTURE**

7.1 Efforts will be made by the State Govt. to provide quality infrastructure to investors like all-weather road, uninterrupted power supply, adequate water, connectivity through railways etc.

7.2 Top priority will be accorded by the State Govt. in development of physical and social infrastructure through Public-Private-Partnership (PPP). Private investment in power, telecom, roads, airports, ICD, logistics etc will be facilitated.

7.3 10% or maximum 25 acre of the land in industrial areas / estates / large industrial area / conglomerate will be earmarked for townships facilitating walk-to-work concept and other infrastructural facilities in such areas.

7.4 In the process of infrastructure development, due care will be taken to save water bodies, ecology and greenery adopting integrated environment management plan for the region as a whole.

7.5 Special efforts will be made to make dedicated corridor for transport of natural resources of the State. Help of Ministry of Railways and Transport, GOI will be sought for the purpose.

7.6 The State Govt. would take specific measures for development of sectoral clusters taking into account the need of the targeted industries. The State has already started implementing the concept of BOT, BOOT etc and would evolve comprehensive guidelines for funding and operating infrastructure projects with private investments or PPP.

- 7.7 The State has extensive and well developed railway system providing links to mining industry. Extensive goods handling facilities are available at Ranchi, Bokaro, Dhanbad and Jamshdepur. In addition, ore loading facilities are available at Kiriburu, Lohardaga and all the coal mines of Central Coalfields Ltd.
- 7.8 Work on providing Rail Connectivity between Koderma-Hazaribag-Ranchi, Koderma-Giridih, Deoghar-Dumka, Barhi-Hazaribag and Tori-Lohardaga has already been taken up.
- 7.9 (a) 4 laning of NH-33 between Barhi-Hazaribag-Ranchi-Mahulia-Bahragora is in progress.
- (b) Road Construction Department, GoJ and IL & FS Ltd have jointly set up Jharkhand Accelerated Road Development Company Ltd. (JARDCL) for improvement of 1500 km road of the State on BOT (annuity) basis. Ranchi-Patratu-Ramgarh Road, six laning of part of Ranchi Ring Road, development of Chaibasa-Kandra-Chowka Road and Adityapur- Kandra Road are covered under the scheme and are under implementation.
- (c) Several other schemes including Govindpur-Dumka-Sahebganj Road connecting NH-2 to north eastern part of the State and Adityapur Toll Bridge at Jamshedpur are in progress to improve connectivity.
- (d) The State Government is also strengthening its road network in its territory for connectivity to Haldia, Paradeep and upcoming Dhamra Port.
- 7.10 Ranchi, the State Capital is connected with Delhi, Kolkata, Mumbai, Patna by regular air services. The upgradation of Ranchi airport is in progress.
- 7.11 The State Government has taken steps to set up Air Cargo Complex at Ranchi. This would provide boost to export oriented industries, specially, those operating in the area of high value and perishable commodities.

Floriculture and horticulture based industries can take advantage of this facility.

7.12 Jharkhand is a land locked State. Navigational infrastructure at Sahebganj and Rajmahal is also contemplated on river Ganges to facilitate sea port access. By the pursuance of the State Government, the construction of bridge at Sahebganj is to be taken up by NHAI, GOI. This will open a corridor to north eastern part of the Country. The State Government would strive to possess a dedicated berth at either Haldia Port or Paradeep Port to facilitate imports and exports.

7.13 (a) Jharkhand State Information & Communication Network (Jharnet) is the State-of-the-art communication network connecting State headquarter with headquarters of 22 districts, 35 sub division and 212 blocks. Jharnet is a broad band IP based E-Governance network which provides a secure platform to transfer data across the State. Treasury, Commercial Tax, Land Registration Deptt., Provident Fund, Birth and Death Certificate, Residential Certificate etc. are fully computerized and many more are under progress. Computerisation of Commercial Taxes Department will facilitate trade and industry sector in return filing, e-payment, registration etc.

(b) E-procurement has been started in 10 Government Departments. This will enable willing tenderers from aboard to participate in the tendering process within specified time.

(c) State Govt. has envisaged to establish optical fibre linkage throughout the State. Efforts are being made to provide broad band connection to all block headquarters and panchayats. So far optical fibre linkage has been established for about 2200 km by various telecom companies. The number

of internet and mobile users is around 4.7 lakhs and 100.05 lakh respectively.

Significant progress has also been made in UID scheme and about 4 lakh urban population and 25 lakh rural population have already been covered.

7.14 Grant will be given for the Common Infrastructure Development within a Green field Textile / Apparel Park and IT - ITES / Bio Technology Park.

8. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

8.1 There will be huge requirement of technical manpower in the State by upcoming industries. Therefore, special efforts will be made on promoting new technical institutions, upgrading existing ones and enhancing industry – institution linkages.

8.2 There are over half a dozen well established engineering colleges in the State imparting technical education in almost all the important branches of engineering and an equal number of engineering colleges is in initial stages of stabilization. Similarly, there are 13 government polytechnics in the State and steps have been initiated to establish 17 more such polytechnics. Mini Tool Rooms under Mini Tool Room Schemes of Government of India have been established at Ranchi and Dumka.

A Technical University is being set up and Private University Act is in the offing.

8.3 The State Government is willing to transfer existing and upcoming engineering colleges / polytechnics /ITIs to competent educational / Industrial Groups for managing these under PPP mode so that the

requirements of qualified and skilled manpower of industries being set up in Jharkhand are easily met.

Under this scheme, it is proposed to transfer all the existing buildings, laboratories, workshops, equipments etc to entrepreneurs so that the upgradation of the Institute is facilitated without any hassle within the shortest possible time.

- 8.4 To facilitate the setting up of technical / educational institutions under private sector the Govt. proposes to provide land for such institution to willing investors. In case of non-availability of Govt. land the agency **setting up the institution will be reimbursed 50% of the cost of land** at the rate fixed by the Govt. for that particular area. Efforts will also be made to provide necessary infrastructure support to such institutions.
- 8.5 Willing organisations / investors setting up Medical Colleges, Private Universities (with atleast 30% of total intake for professional Job oriented courses), Engineering Colleges in the State, and adhering to the established norms of their respective National bodies eg. MCI / AICTE etc will have the status of Industries. These institutions must reserve 25% seats for admission to the students of the State who are residents of the State as per norms stipulated by Personnel Deptt. of Government of Jharkhand for educational Institutes. These organisations will, however, not be entitled to any financial incentives under this policy but will be able to avail facilities provided by the concerned Deptt. of the State Government.
- 8.6 The concerned Department such as Science and Technology, Human Resources Development, Health may bring out detailed and separate guidelines for the implementation of their proposals.

9. SKILL DEVELOPMENT

- 9.1 Development of skilled manpower for the use of industry and trade is a thrust area. Skill upgradation in the emerging skill sets will be focused on.
- 9.2 Endeavour of the State Government will be to promote private sector investment for skill development through market driven approach.
- 9.3 Thrust will be given for skill development amongst women to enhance their employability.
- 9.4 Specialised Industrial Training Institutes (ITIs) shall be set up at locations having heavy concentration of specialized workmen.
- 9.5 A special drive shall be undertaken for introduction of multi-skilling in areas such as material handling, machine operation and maintenance, furnace operation and maintenance, automobile engineering, plumbing, gemstone cutting and polishing, power engineering etc. Industries will be closely associated with the design of the course including practical training.
- 9.6 Industry – institution interaction is proposed to be encouraged to identify skill sets required for the industry and to develop such skill sets in the institutions imparting training.
- 9.7 Skill Development of unemployed / under employed youth is proposed to be undertaken utilizing the services of existing partners of National Skill Development Corporation (NSDC) like EMPOWER, Gram Tarang etc. Advantage with these vocational training providers funded by NSDC are that, through proper monitoring, it will be possible to evaluate the impact of skill development programme through increase in the income of beneficiary unemployed / under employed / self employed youths.

10. **ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT**

- 10.1 Efforts will be made to inculcate entrepreneurial qualities through structured programmes and schemes which will include the following :
- (a) Sourcing of services of a reputed consultant to identify the area for utilizing the entrepreneurship opportunities in the State.
 - (b) Establishment of an Entrepreneurship Development Institute and strengthening it through various measures, including Govt. support, strategic alliances with national level entrepreneurship institutes and linkages with industries, technical and professional institutions, R & D, NABARD, Banks, PPP initiatives etc.
- 10.2 **Special incentive of 50% reimbursement of fee (subject to a maximum of Rs 50,000 for six months entrepreneurship course and Rs 100,000 for 1 year course)** will be given to SC/ST and women for pursuing entrepreneurship course from a reputed institute. List of such institutes will be notified by the State Govt. from time to time.
- 10.3 IADA will extend necessary help to entrepreneurs. Interaction programme will be organized by IADA for entrepreneurs undergoing training to sort out problems which are likely to be faced by them.
- 10.4 Entrepreneurship Development Programme at XLRI, Jamshedpur has already been started and the second batch of trainees are being trained. The programme is proposed to be continued further.

11. **INCUBATION CENTRES**

- (a) National Level R & D centers and premier institutes of Science and Technology in the State would be encouraged to set up Incubation Centres

to encourage innovation by the youth and for development of knowledge based and high technology end products.

(b) Efforts will be made to set up knowledge-hub incubator in association with IIM, Ranchi and XLRI, Jamshedpur to support the start-ups and growth of high Technology Ventures for unifying a range of business development and professional services and providing access to a global knowledge network.

(c) Agri-Business incubator is proposed to be established with the support of National Science and Technology Entrepreneurship Development Board (NSTEDB), Department of Science and Technology, Government of India and Government of Jharkhand for providing opportunities for entrepreneurs to incubate agriculture technologies so that they become effective for (i) agri-business ventures, (ii) business consultancy (iii) facilitator of funding (iv) infrastructure and facilities access in the incubator.

12. **INDUSTRIAL AREA DEVELOPMENT AUTHORITY**

12.1 Industrial Area Development Authorities (IADA) under its command area will be responsible for acquisition of land and development of infrastructural facilities, such as roads, drainage, parks, water supply and public utilities for the industrial area under their control.

Land / Sheds in Industrial Area, etc would be allotted to entrepreneurs for setting their industrial units on lease of 30 years on annual rent with the facility of renewal. The rent payable for land so allotted would be subject to revision after every 10 years. The land / sheds allotted for the purpose of setting up of Industrial unit shall not be allowed to be used for any other purpose other than the purpose for which the land

has been leased. It would also be ensured that land is allotted as per the actual requirement. However, the terms and conditions of the lease deed shall be determined.

- 12.2 Efforts will be made by each Industrial Area Development Authority (IADA) of the State to acquire at least 1000 acre land and to develop adequate infrastructure and other facilities as mentioned in 12.1 for Industrial enterprises.
- 12.3 IADA shall undertake a comprehensive Land Zoning Plan in respect of new Industrial Estates, Parks etc, and would also undertake zoning in existing industrial estates to the extent possible. Particular type of similar industries with identical output / product will be grouped together in a particular zone.
- 12.4 Industrial Area Development Authority will act as knowledge centre and facilitator for enterprises of their command area.
- 12.5 **5% of the revenue generated by Industrial Area Development Authority will be earmarked for expenditure on skill development / entrepreneurship development / skill development for disaster and hazards management of land losers etc in their command area so that land losers or their wards are equipped with proper skills to get gainful employment in the industrial area or elsewhere.**
- 12.6 Atleast 40% of the land in IADA will be reserved for Micro and Small Enterprises in the existing IADA or upcoming IADA, Industrial Estates / Area / Park / Private Industrial Area etc.
- 12.7 **10% available allotable land in any new industrial area (land acquired during the duration of this industrial policy) will be earmarked for land losers** who have lost land area of one acre or above. The land will be offered

to such land losers at prevalent rate for setting up industries provided land is available and they fulfill other eligibility criteria.

- 12.8 IADA will organize annual inspection of all allotted plots to find out its utilization. Detailed information compiled by the inspection team will be placed on website. The cases of enterprises not utilizing the plot or inadequately utilizing the plot for the purpose for which the allotment was made, may be considered for cancellation or penalty equal to land cost. After land allotment in industrial area if a fully functional Industry is not setup by the allottee within stipulated time (2 years for Micro and Small Enterprises and 5 years for other enterprises), the allotment of land will be cancelled.
- 12.9 In case of violation of lease conditions by the lease holder the Authority may cancel the lease right of the lease holder without any refund of land value.
- 12.10 Ownership of land including mortgaged land will always rest with the Authority. Land value including development charges will remain non-negotiable and will always be settled by the Authority.
- 12.11.1 (i) The lessor may consider the request of the lessee for the transfer of leasehold rights of the schedule property in favour of a new entrepreneur as identified by the lessee during the currency of lease imposing following conditions.
- (a) The lessee has met all the stipulated requirements of the lease and not violated any of the conditions contained in the lease.
- (b) The lessee has utilised the leasehold area as per approved project report by IADA.

(c) The lessee is not holding any statutory, legal or financial liability of government or financial institutions.

(d) The new entrepreneur to whom the lessee wants to transfer the leasehold right must have a viable / feasible / implementable project to be executed on the available plot of land.

(e) The plot of land should be free from all encumbrances.

12.11.2 A minimum of 15% of present value of land for MSME and 25% for others will be charged as transfer fee and all attendant expenses in connection with such transfer including payment of all statutory and Government dues shall be borne by the new entrepreneur to whom the lessee wants to transfer the leasehold right.

12.12.1 The lessor may accept the voluntary surrender of schedule property by the lessee on the following conditions.

(a) The lessee has met all the stipulated requirements of the lease and not violated any of the conditions contained in the lease.

(b) The lessee has utilised the leasehold area as per approved project report by IADA.

(c) The lessee is not holding any statutory, legal or financial liability of government or financial institutions against the plot.

(d) The plot of land should be free from all encumbrances.

12.12.2 In case of voluntary surrender of a plot by a micro enterprise within one year of allotment, no fee will be charged even if the unit has made no progress in installation of plant and equipment. However, a penalty of 2% from MSME and 5% from others of the present value of the plot will be

realised during surrendering of the plot after 1 year and upto 5 years of allotment by the Authority.

12.13 In the event of lessee's death the person to whom the title shall be transferred as heir or otherwise shall cause notice thereof to be given to the lessor within three months from such death. The survivors and his / her or heirs of the allottee concerned would acquire the same lease-hold rights over the property, as the original allottee had in schedule property, but only after determination of the claims and counter claims by the lessor. If the claims and counter claims are of complicated nature, it is open to the lessor to call upon the claimants and counter claimants to approach a competent Civil court for the purpose of getting the matter adjudicated.

12.14 The lessee, in employing non-technical and technical workforce in the industrial units to be established in the scheduled property, shall give minimum 50% employment to normal residents of Jharkhand including those who have completed a minimum study period of four years from class IX onwards, in non-technical category and minimum 25% employment in technical category.

12.15 In all cases of transfer, ownership change, surrender of leasehold plot, a processing fee of Rs 10,000 for land area upto 1 acre and an additional Rs 2000 per acre for land area in excess of one acre, will be applicable.

12.16 IADA may work out a detailed transparent and objective policy of transfer, ownership change, allotment of plots including suitable lease deed and lease rent, development charges, maintenance charges etc to be realised from time to time.

12.17 Prevailing Rehabilitation and Resettlement (R&R) Policy of the State will be applicable.

12.18 **Mega Growth Centre** at Barhi with 350 acre land has been taken up for development with modern infrastructural facilities for rapid industrialization. The development of the growth centre is proposed on competitive bidding.

Similarly DPR for 547 acres **Devipur Industrial Estate** under the district of Deoghar has also been prepared. It will be taken up for implementation shortly.

12.19 Industrial Area Development Authority will ensure the implementation of Rain water Harvesting, Storm Water Harvesting and Recycling and Re-Use of Waste Water in Industrial units under their command area.

12.20 Industrial Area Development Authority will work out a plan in detail for supply of both drinking water and water for Industrial purpose for units under its command area.

13. **DEVELOPMENT OF NEW PRIVATE INDUSTRIAL AREAS/ ESTATES**

13.1 (a) The State Govt. will encourage establishment / development of **Private Industrial Estate** of minimum 75 acres with financial support. Land for such private industrial estate has to be acquired by the developers. The government in turn will support infrastructural facilities for the estate. Such infrastructure will mainly include road network, drainage, drinking water, power supply etc.

(b) A minimum of 40% area of such private industrial estate will be earmarked for the setting up of MSMEs by investors other than the developer of the private industrial area.

- (c) Ownership, maintenance etc of such private industrial estate will rest with the developer.
 - (d) IADA will exercise supervision and control over private industrial estates under their respective command area.
 - (e) Private industrial estates outside the command area of IADA will be supervised and controlled by respective DICs.
- 13.2 Efforts will also be made to explore the possibility of development of such industrial estates under joint venture with IADA.
- 13.3 Project proposals of establishment of industrial estate by private developers will be evaluated and its approval, sanction of grants / benefits will be decided by the committee under the Chairmanship of Development Commissioner with Principal Secretary / Secretary, Road Construction, Finance, Water Resources, Energy, Planning, Industries as its member and Director, Industries as member secretary.

14. **INDUSTRIAL CORRIDOR**

- (a) State Govt. will initiate necessary steps to promote / develop two industrial corridors, namely Koderma – Bahragora and Ranchi-Patratu-Ramgarh Road.
- (b) Efforts will be made to develop the corridor with 25 KM each side of 4 laning between Koderma and Bahragora.
- (c) The Industrial Corridor will be equipped with an array of infrastructural support such as power facilities, rail connectivity, Industrial Estates, SEZs and cluster with top-of-the line infrastructure.

15. INDUSTRIAL PARKS

15.1 To encourage industrial activities of specialized nature at suitable location, sector specific industrial parks have been envisaged in the State.

Following industrial parks are planned to be set up under Govt, Private, Joint Venture or PPP mode.

- i. Apparel Fibre and Textile Park
- ii. IT Park / Software Technology Park (STPI)
- iii. Gems and Jewellery Park
- iv. Biotech and Herbs Park
- v. Chemical and Pharmaceutical Park
- vi. Food Park
- vii. Automobile vendor - ancillary industries park.
- viii. Any other such activities eg : Ceramic Park, Plastic Park, Knowledge Park, Film City etc.

15.2 Since these above mentioned centres can work as incubation centre it is proposed to make some of these centres as centres of excellence with State-of-the Art Technology taking into consideration the emerging R&D scenario in India and abroad.

15.3 Efforts will be made to get above mentioned schemes sanctioned under Govt. of India Scheme.

15.4 All the facilities and benefits proposed to be extended to Private Industrial Estate will also be available to above mentioned parks developed under private or PPP mode.

15.5 Monitoring and mechanism of project approval and sanction of benefits will also be the same as detailed in 13.1 & 13.3.

16. **SPECIAL ECONOMIC ZONE (SEZ)**

16.1 Special Economic Zone is a growth engine for attracting Industrial investment and boosting exports. This concept will be promoted in IT / automobile / chemical-pharmaceutical and other sectors.

16.2 First Product Specific Automobile and Auto Component SEZ at Adityapur has been sanctioned and is under implementation.

17. **CLUSTER DEVELOPMENT**

17.1 (a) The State Government will promote cluster development of industries under existing schemes of Government of India.

(b) The State Government will extend all necessary support for cluster development of industries under the relevant schemes of Government of India viz Small Industry Cluster Development Programme of Ministry of MSME and IIUS Scheme of Directorate of IPP.

(c) Quality of infrastructure in industrial clusters of the State would be upgraded through a cluster development action plan in collaboration with industries and all other concerned department / agencies availing the Government of India schemes. State Government will support and supplement the cluster plans depending upon the nature of cluster, sustainability of activities and other considerations.

(d) State Government has identified 56 clusters including Refractory Cluster, Dhanbad; Mini Cement Cluster, Ramgarh; Bell Metal Cluster at

Bishnugarh, Hazaribagh and Khunti, Steel Processing Cluster at Giridih, Hard Coke Cluster at Dhanbad and Forging and Hand Tool Manufacturing Cluster at Bhendra, Bokaro.

(e) A number of clusters are already under implementation in Sericulture, Handloom and Handicraft Sector.

17.2 Adityapur Auto Cluster is under implementation at a total cost of Rs 65 crore. It aims at developing testing facilities and environmental improvement through installation of CETP & HWMF.

17.3 Necessary help through DCs / MDs (AIADA, BIADA, RIADA, SPIADA) and other State Govt. agencies will be extended to cluster SPV in purchase / allotment / acquisition of land.

18. MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTREPRISES (MSME)

18.1 MSMEs have contributed significantly in manufacturing and exports of the Country besides providing adequate job opportunities. It will be promoted with the following incentives.

(i) Price preference will be allowed for goods manufactured by Micro and Small Industries of Jharkhand in case of purchases by Govt. Departments and State owned PSUs including Boards, Corporations, Development Authorities, Improvement Trusts, Municipalities, Notified Area Committees, Cooperative bodies and institutions aided by State Govt. and Companies where Govt. share is 50% or more.

(ii) The State Government proposes to formulate a Marketing Policy for safeguarding the interest of local Micro and Small Enterprises (MSE). Provisions of the proposed policy include :

(a) **Tender forms for bidding will be made available free of cost.**

(b) Exemption from payment of Earnest Money Deposit (EMD) and Security Deposit (SD).

(c) Bill discounting facility will be made available on Government Orders.

(d) 10% price preference i.e. where the bid of Micro and Small Enterprises are within 10% of L1 (least priced bid), the local Micro and Small Enterprises may be given an offer of reasonable part (max. 20%) of the Order at L1 through a predetermined transparent process.

(iii) Providing platforms for interaction between Enterprises of Jharkhand and potential domestic and global markets through Trade Fairs, Road shows.

(iv) Encouraging the MSEs to participate in national and overseas business fairs and exhibitions, and international delegations.

(v) Setting up a permanent exhibition-cum-convention centre for exclusive display of MSME products.

18.2 Creating Jharkhand Micro and Small Enterprises Facilitation Council – a quasi judicial body to redress the problems being faced by local MSEs in marketing their quality products.

18.3.1 Efforts will be made to make full payment for the items bought from MSEs under 18.1 (ii) within 30 days of complete supply.

18.3.2 Industrial units of the State without price preference facilities will be allowed to supply their products to Government Departments and other organizations (as mentioned in 18.1) at the lowest rate (L1), depending on their capacity, at maximum of 50% of the work order, if they qualify otherwise.

- 18.3.3 The raw material generating units shall be persuaded to give purchase preference to the local industries, **whose production is dependent upon the supply of such raw material**. Similarly, the PSU's / Private Sector large industries, located within the State would be persuaded to give purchase preference to the local industries while making purchases of raw materials and other items required by it. Preference would also be given to the local industries in supply of forest produce available in the State.
- 18.4 A symbiotic relationship between the MSME and the Technical Institutions will be developed by linking each cluster with a technical institution to solve the technical and design related problem of the MSMEs.
- 18.5 Efforts will be made to provide linkages for MSMEs with micro-finance institutions, raw materials, focused market access etc.
- 18.6 Special emphasis will be given on providing Common Facility Centres (CFC) mainly through Public-Private-Partnership (PPP) initiatives to MSME projects of a cluster.
- 18.7 Schemes like ASIDE, Credit Guarantee Fund Trust Scheme, Cluster Development Programme for MSMEs, Credit Linked Capital Subsidy Scheme, Technology Upgradation Scheme being operated by Govt. of India and various other Promotional Schemes of different Ministries of Govt. of India are proposed to be suitably dovetailed for the benefit of MSM Enterprises of the State. Efforts will also be made to suitably complement these schemes enabling the entrepreneurs to avail maximum advantage of these schemes.

19. **VALUE ADDITION**

19.1 The State of Jharkhand is blessed with huge natural resources such as minerals, forests, horticulture, water resources etc. Value addition to these resources will enable the State to develop fast.

The State can be roughly divided in 8 major zones based on raw material deposits and industrialization.

- | | | |
|---|---|--|
| Palamau – Garhwa | : | Deposits of Iron Ore, Dolomite, Coal, Graphite, China Clay and granite. |
| Lohardaga Industrial Area / Latehar | : | Aluminium Industries based on bauxite reserves, Power Plants. |
| Koderma– Hazaribagh Industrial Area | : | Mica based Industries, Power, Cement, Glass, Alloy Steels, Telecom and Refractory, Power Plants. |
| Ranchi Industrial Area | : | Medium and Large Scale Industries, IT-ITES, Food Processing. |
| Dhanbad-Bokaro Industrial Area | : | Coal and Steel, Refractories, Coal based Power Plants. |
| Singhbhum Industrial Area (Jamshedpur & Adityapur) and Singhbhum, Kolhan Division | : | Iron and Steel, Auto Component, Cement, Uranium, Copper and Gold Mining, IT-ITES, Forest Produce based, Horticultural Food Processing, Silk and Textile. |
| Ghatsila Industrial Area | : | Copper and Forest based Industries. |
| Deoghar-Jasidih & Santhal Pargana | : | Oil Mills, Glass, Steel, Aromatic-Medicinal Plant, Medicine, Coal based power plants, silk-textile industries. |

Efforts will be made to add value to the above mentioned resources of the State located in various industrial areas and fully exploit the potential of respective areas so that the spread of industries and economic activities take place uniformly throughout the State without any regional imbalance.

- 19.2 Large amount of iron ore fines / dust from captive and other operating mine has been accumulated over the years. This may increase further in course of time with the economic activities picking up in the area. State Government will promote pelletisation of these fines for further value addition within the State. Department of Mines will facilitate linkage of these fines with pelletisation units.
- 19.3 (a) In order to promote better environment, management practices and clean technology. State Government will promote setting up of cement plant near integrated steel plant and power plant or using slag and fly ash.
- (b) Mega steel and power units may take initiative to promote use of these materials by providing long term assured contract for supply to cement and brick unit.
- (c) MSME may use fly ash for making fly ash bricks.
- 19.4 Industries will be encouraged to secure better waste management through innovative technology for pollution prevention and abatement.
- 19.5 Enhancement of revenue through carbon credit mechanism is proposed to be encouraged. A nodal agency will be identified for promotion of carbon credit trading that will provide technical, financial and institutional support to interested companies.

20. **PROMOTION OF SERICULTURE, HANDLOOM & HANDICRAFT**

- 20.1 Jharkhand ranks first in the country in production of Tasar Silk. In order to maintain the leading edge and give special thrust to the sector, Jharkhand Silk, Textile and handicraft Development Corporation (**JHARCRAFT**) was established in 2006 to provide support in design, training, entrepreneurship

development, marketing, raw material support in clustered and organized manner by grouping local artisans, SHG's and NGOs involved in similar activities. JHARCRAFT has emerged as a brand not only in the country but also abroad. JHARCRAFT is supporting more than 2.0 lakh rearers, reelers, spinners, weavers, artisans etc. It also maintains cocoon banks using existing infrastructure besides creating new infrastructure with the financial support of the State Government and has 18 marketing outlets in cities including Ranchi, Delhi, Kolkata, Bangalore, Ahmedabad and Mumbai. Marketing is also being extended under franchisee mode.

20.2 **Skill development** efforts in the area of Sericulture, Handloom and Handicraft have been intensified with the setting up of Jharkhand Silk Training Centre, Kharsawan, in collaboration with NIFT, Kolkata; Saheed Nirmal Mahto Institute at Bhagaiya in collaboration with NID, Ahmedabad; and Apparel Training Centre, Namkum, Ranchi in collaboration with Export Promotion Council, GOI.

20.3 Further expansion of this sector for setting up of reeling / spinning / weaving etc. is envisaged in PPP mode with viability gap funding.

20.4 (a) State Govt. will make efforts to set up in each district of the State at least one unit for sericulture, handloom, handicraft (one of these or mixed) activities for generation of direct employment of atleast 250, if one of the above mentioned activities is taken up for implementation and 1000, if all the activities are taken up for implementation.

(b) Activities under (a) may be taken up under joint venture, PPP mode or as Private Enterprises under broad supervision and assistance of Director, Handloom, Handicraft and Sericulture / Jharcraft.

- (c) All necessary help / assistance in marketing of products will be extended by Jharcraft.
- 20.5 (a) Financial assistance will also be extended for establishment of Skill Development Centre (SDC).
- (b) The assistance will be restricted to Rs 5,000 maximum per trainee to be trained in such SDC.
- (c) The SDC will have a minimum training capacity of 2000 trainees per year.
- (d) Financial Assistance of 90% of training cost will be provided to SC/ ST/ Physically Handicapped / women and 75% to others.
- (c) SDC will be duly graded by competent Authority.
- 20.6 Quality power supply will be made available to powerlooms.
- 20.7 (a) **Interest rate subversion of 2%** will be given against working capital to weavers, reelers, spinners, handicraft artisans etc of Self Help Groups (SHG) of 10 or more members for producing articles / products worth more than Rs 1 lakh per member.
- (b) This financial benefit will be available to such SHGs who are registered with JHARCRAFT / KVIB / NABARD / Government / PSU / Scheduled Financial Institutions / Banks and are supplying products worth Rs 10 lakh or more per annum for sale through Jharcraft / KVIB / any authorised State Government approved agency.
- (c) A detailed administrative procedure will be worked out in consultation with NABARD, Financial Institutions etc.

- 21.1 Industrial units under this category including Jharcraft, or projects under joint venture, PPP mode, State Govt. etc will be facilitated to get access to all the existing schemes of Govt. of India such as
- (i) Technology Upgradation Fund Scheme (TUFS)
 - (ii) Scheme for Integrated Textile Parks (SITP)
 - (iii) Scheme for Integrated Skill Development
- 21.2 The State Government will extend the benefits to textile / apparel units in areas / activities excluding those which have been covered under Govt. of India schemes.
- 21.3 The facilities available in industrial training institute of the State for apparel production will be upgraded by the State Govt. and such training institutes will be allowed to run various courses in apparel production as per the schemes of All India Apprenticeship Training.
- 21.4 Efforts will be made to attract major textile companies for establishment of textile units in the State.
- 21.5 Since there is substantial scope of employment generation in textile sector, efforts will be made to set up reeling / spinning / weaving / readymade garments / apparel parks etc under PPP / Joint venture / private mode.
- 21.6 **Jharcraft will be given assistance of 75% of the total project cost incurred, upto Rs 5 crore maximum,** for setting up an autonomous institute of quality apparel training. The financial assistance can be used by Jharcraft towards fixed cost, plant machinery, equipment etc. and Jharcraft can set up the institute on its own or in joint venture or in collaboration with multiple agencies / institutes. The recurring expenditure for the training institute, however, has to be borne by the promoter institutions.

- 21.7 Similar facilities of financial assistance, as mentioned in sl. 20.5 can be extended to any reputed organization or institute which has run and managed such institution at least during last five years. This may also be set up in joint venture or PPP mode with Jharcraft, ITIs, Industrial houses or other institutions.
- 21.8 A networking of training institutions will be done by Directorate of Handloom and Sericulture and detailed data base will be maintained.
- 21.9 (a) The Training Institutions mentioned in sl. 20.5 charge tuition fees from trainees to meet their recurring expenditure.
- (b) Since the training fee of ITIs for apparel training is very high compared to that of other courses, **50% of total fees upto maximum of Rs 5000 per trainee per course** charged by the institution will be reimbursed by the State Govt to selected candidates and institutions.
- (c) However, this support will not be available to those trainees availing any other similar benefit provided by State Govt. / Central Govt. / sponsorship under CSR activities of the Industries etc.
- 21.10 **Financial assistance, as reimbursement of training cost with maximum limit of Rs 5000 per trainer per week**, will also be provided to apparel training institutions / centres approved by State Govt. for imparting training to the trainers
- (a) 100% in case of trainers attending autonomous institutions promoted by Govt. / Public Sector Undertakings and
- (b) 50% in case of trainers attending other institutions. The training will be conducted in the institutions approved by the State.

21.11 The Govt. of Jharkhand will notify all Textile and Apparel Parks as Public Utility Services.

22. **PROMOTION OF AGRO-FOOD PROCESSING BASED INDUSTRIES**

22.1 Jharkhand has diverse agro climatic conditions suitable for the cultivation of a wide range of agricultural and horticultural crops. It has a progressive farming community who are involved in organic farming, horticulture and floriculture. With cheap labour and other inputs and its proximity to industrial and urban centres of West Bengal and Orissa, Jharkhand is an ideal place for value addition in these activities. The thrust needed is to focus on food processing and preservation to create more off farm jobs, bring greater value addition and increase the income of rural workforce and farmers.

22.2 (a) Several Departments of Government of India (including Department of Food Processing Industries, Rural Development, Commerce & Industry, MSME, Agriculture etc.) directly or through agencies such as APEDA provide support to various elements of the value chain through existing programmes & Schemes.

(b) The State Government may help private investors in developing end to end integrated project in agro industry / food processing value chain by providing a convergence of all existing schemes.

(c) The State Government may provide viability gap funding or other necessary help if required.

(d) The help of international funding agencies like World Bank, ADB and IFAD may also be taken.

- (e) Dovetailing these may be ideal for maximising support and knowledge.
- 22.3 Besides agriculture, horticulture and floriculture, there is a scope for promotion of pisciculture by promoting reservoir, fisheries and concept of matsya mitra and fish cooperative with the help of NFVD and State Government. Cultivation of prawn and ornamental fish and organised fish marketing may be a good venture for MSME.
- 22.4 The State has excellent potential to develop poultry, piggery, goatery and dairy in organised sector by ensuring the participation of rural population in the form of cooperatives, Self Help Groups etc. Adequate animal health facility, artificial insemination, marketing network and refrigeration & storage facility for dairy product along with other products has to be provided.
- 22.5.1 (a) A **Food Park** is an agri / horticultural processing estate developed for individual processing units with support infrastructure, including some common processing facilities and other services where needed, and linked with a well established supply chain both inside and outside the estate.
- (b) Food parks would enable particularly small and medium enterprises to attain viability by sharing the cost of major common facilities such as R&D, cold storages, warehousing, pack houses, laboratory for food testing and analysis, effluent treatment plant, common processing facilities, power, water supply etc. Very limited number of food parks is being sanctioned by Government of India. In view of this special request can be made to Government of India to increase the number of food parks in the State.
- (c) One Mega Food Park is being set up at Getalsud, Ranchi on an area of 56 acre where 32 food processing units are likely to be established with basic facilities such as roads, drainage, water connection, power and cold storage

chains. Central processing unit at Getalsud will be linked to production centres at places like Lohardaga, Gumla, Hazaribagh, Patratu etc where primary processing will be done.

22.5.2 Food Parks may also be established on land acquired privately. Such parks will also be entitled for the same benefits as envisaged for other types of parks provided by the State under the Policy. Other terms and conditions of establishing the private food parks can be negotiated by the investor.

22.5.3 The developer of Food Park on Government land / IADA land will be allowed to sub-lease the land to other food processing industries in consultation with Government / IADA.

22.5.4 (a) MSME cluster will be promoted under specific crop e.g. cashew, mango, jack fruits etc.

(b) The MSME cluster will have a common facility centre providing necessary infrastructure for storage of produce, grading, processing and packaging, cold storage extension and information counter. This would act as aggregation point for large processing units.

(c) It will be developed in SPV mode as envisaged in MSME cluster schemes.

22.5.5 Promotion of setting up of new cold chain / cold storage or upgradation of existing facilities may be aggressively promoted under NHM where subsidies are available up to 55% in schedule area and 40% in non schedule areas. Quality power at agricultural rate will be provided to cold storage / cold chain facilities for five years.

22.5.6 (a) APMC will promote upgradation of storage capacity of their existing godowns. APMC may enter into joint venture or PPP mode for the development of accredited warehouse facility / quality warehouse / cold

storage / grading, sorting, packing facilities for the farmers in their market yards / land.

(b) Private investment for this on private land will be given an assistance of 25% of capital cost of facilities upto a maximum of Rs 50 lakh, as incentive, if similar incentive has not been availed under any other schemes of Government of India, State Government or other organization.

No other facility envisaged in this policy shall be admissible.

22.5.7 **No Mandi Fee (Market Fee)** would be charged on notified agriculture produce purchased for use as raw material from outside the State by the food processing industries.

22.5.8 Department of Agriculture, Animal Husbandry & Fisheries and Cooperative along with SAU, CFTRI, IHRI, UAS, CIMAP, APEDA will promote necessary R & D support, skill development and entrepreneurship development among the farmers, investors and entrepreneurs. Detailed guidelines will be worked out by the Department.

22.6.1 (a) The State with its diversified agro-climatic conditions is well suited for the development of **horticulture-based economy**. It has total production of 37.7 lakh MT horticulture produce out of which 20.77 lakh MT is surplus.

(b) The National Horticulture Mission (NHM) and National Mission on Micro irrigation besides several other initiatives have helped in improving production and productivity continuously.

(c) Efforts are being made to increase the productivity of fruits (from 9.8 tonnes per hectare to national average of 11.9 tonnes per hectare) by necessary technological inputs and practices.

- 22.6.2 Entrepreneurship development programme with focus on this sector will be specially designed and implemented in consultation with the Deptt. of Agriculture-Horticulture & AHD and agriculture , biotechnology / management institutes and experts. Technical and Management experts in related area including bio-technology will also be involved.
- 22.6.3 (a) Enterprises using local agro raw material and allied agricultural activity produce will get preference in land allotment by IADAs.
- (b) **Food processing** industries will be declared as seasonal industry wherever necessary and thus will be eligible to get **relief from minimum electricity charges during the closure** (non-seasonal) period.
- 22.7 Urban local bodies and State Marketing Board can extend necessary help in development of meat markets in hygienic and clean conditions.
- 22.8 Establishment and revival of Becon factory under PPP mode will also help the growth of this sector.
- 22.9 (a) **Fish cultivation** has emerged as one of the major income generation activity in the State. The fish production has increased from 14,000 MT to 72,000 Mt in last 10 years. It could be achieved with help of the State Government and involvement of Matsya Mitra- a voluntary body, in quality seed production which has increased from 9.0 crore to 67 crore in last 10 years. This concept of Matsya Mitra has been accepted by NIRD as the most innovative concept and one of the best practices. There are 3600 Matsya Mitra in the State and about 24000 families are dependent on fishing activity for their livelihood.
- (b) Dedicated site may be developed by Jharkhand State Marketing Board, Urban & Rural local bodies etc. for the fish farmers with adequate infrastructure e.g. water, light, waste disposal etc.

(c) Promotion of prawn cultivation and ornamental fish may also prove to be an excellent economic activity.

22.10 The **meat sector** in the State is pre-dominantly unorganized. There are no modern abattoir and processing facilities in the State. In spite of a large livestock population, the meat industry in the State has not evolved to its potential.

23. **AUTOMOBILE AND AUTO COMPONENTS**

23.1 (a) India's leading automobile industry began manufacturing commercial vehicle in early 1950s at Jamshedpur. The industry today is among the leaders in producing commercial vehicles and is among the top three companies in production of passenger vehicles in the country.

(b) More than 600 auto ancillary industries including auto components units have been set up subsequently at Jamshedpur and Adityapur to cater to the needs of automobiles companies. It has generated more than 20-25 thousand direct employment and several times of it as indirect employment

23.2 (a) All types of auto grade steels are being produced at Jamshedpur since 1980s.

(b) Demand for automobiles (two, three & four wheelers) Light Motor Commercial Vehicle / Heavy Commercial Vehicle has increased several fold. Accordingly the demand of auto component has also gone up.

(c) All necessary infrastructure exists near Jamshedpur - Adityapur for auto ancillaries.

- (d) Auto-Cluster is being made operational at Jamshedpur to extend common facilities such as testing centre, design lab, effluent treatment plant etc. to auto component makers.
- 23.4 The leading automobile industry at Jamshedpur has expanded its capacity in different types of vehicles besides putting a new assembly line for the production of World Truck – a heavy duty goods vehicle which has resulted in the growth of ancillary units and additional employment.
- 23.5 Automobile Vendor Park will be established under PPP or Private Mode by Mega Automobile Manufacturing Units. This park will be entitled to get same benefits as envisaged for other parks in sl. 15.
- 23.6 (a) Mega automobile manufacturing units will set up a skill development centre for the skill upgradation and training in activities like driving, vehicle maintenance etc. pertaining to automobile sector. The capacity of the centre will not be less than 1000 trainees per annum.
- (b) State Government will bear 50% cost of training subject to a maximum of Rs 5000 per trainee for each successful completion of training as mentioned in sl. 20.5.
- (c) Trainees against whom reimbursement of the training cost will be claimed by the skill development centre shall be residents of the State as per norms stipulated by Personnel Department of Government of Jharkhand for educational institutes.
- (d) 50% of the total number of successful trainees annually must fall in the category as mentioned in sl. 23.6 (c).
- 23.7 Mega Automobile Manufacturing Units will set up new ITI with annual capacity of 300 trainees or adopt and upgrade existing ITIs for the training

of fitter and some other relevant trades of Automobile sector keeping in view the employability of the successful trainee.

23.8 Mega Automobile Manufacturing Units fulfilling conditions mentioned in sl. 23.6 and sl. 23.7 will be eligible to get VAT concessions for one year extra for the activity mentioned in sl. 23.6 (a) & 23.7.

24 ENERGY

24.1 (a) The State proposes to promote increasing use of renewable and environmental friendly sources of energy. Thrust will be given to develop these on BOT basis through private sector participation.

(b) The State has substantial biomass availability due to its large agricultural base. These energy units could be based on paddy-waste, rice straw / husk, Jhari leaves, twigs, geo-thermal, solar etc.

(c) The State has almost 300 days per year long sunshine hours. The State has a potential to harness considerable amount of solar power.

(d) It is roughly estimated that the potential of Jharkhand to generate energy from the above mentioned non-conventional sources is about 400-500 MW.

(e) In view of the guidelines of State Electricity Regulatory Commission, it is proposed to purchase at least 10% of State's total power purchases from these sources.

(f) A beginning has been made and approximately 6000 houses in 44 villages have been energized with non-conventional energy.

24.2. (a) The State has installed capacity of 1320 MW.

- (b) The per capita energy consumption of the State is low (552 kwh) as compared to the national average consumption (720 kwh).
- (c) The State Government has targeted to achieve cent percent rural electrification.
- 24.3 (a) Under tariff based competitive bidding and Government Dispensation route, Jharkhand has been allotted 6 coal blocks which requires to be used for electricity.
- (b) Large number of MoUs have been signed with private investors for installation of Thermal Power Plants with capacity installation of over 43000 MW in the medium term. Jharkhand is, therefore, poised to leverage the availability of low cost power to investors.
- 24.4 The State Government shall encourage private sector participation in generation, transmission and distribution of power.
- 24.5 Mega Projects (with investment in fixed assets in excess of Rs 100 crore) will be allowed to have captive power plants, to generate power from waste heat recovery, and to wheel power to sister concerns. Such units will also enjoy 50% exemption from electricity duty for a period of 5 years.
- 24.6 A power plant generating power from renewable sources, with commercial operation after the effective date of implementation of this policy, shall be deemed to be a new industrial unit and will be entitled to all the incentives under this policy. These plants will not be liable to pay 50% electricity duty for a period of 10 years.
- 24.7 Information Technology, Bio-technology and Tourism related activities (existing or new) which are treated as industrial activity will be entitled to have power at industrial or commercial rate of tariff, whichever is lower, subject to JSERC approval.

24.8 Department of Energy is bringing out a new and separate policy for further facilitation in the sector.

25. **PROMOTION OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI)**

(a) Foreign Direct Investment (FDI) is one of the key indicators for determining the attractiveness of a destination. This is also an important way of transmitting skills, knowledge and technology to the State and an important driver of industrial performance.

In view of the above, it is proposed to enter into technological collaboration with overseas corporate bodies / multinational companies / NRIs for foreign investment and latest technologies in selected sectors, such as infrastructure, power, mineral development, food processing, biotechnology, non-conventional energy etc. on mutually advantageous basis. Overriding priority shall be given to such investors.

Efforts will be made to institutionalize it for needs assessment and road mapping of FDI's and to provide special care in timely clearances.

(b) In order to promote FDI, the State Government has proposed to set up NRI cell both at National Capital and Ranchi which will work as interactive platform and facilitate NRI / PIO investors in setting up industries in the State. It will also help in the redressal of their grievances. It may also extend support to other enterprises of the State by facilitating their import-export with the help of NRIs / PIOs.

(c) The State Government proposes to organise investors meet in India and abroad in association with Overseas Indian Facilitation Centre (OIFC) and other organisations. Efforts will also be made to facilitate the visits of investors, entrepreneurs and Govt. officials for participation in major trade fairs / investors meet organised within or outside the Country under the

auspices of Government of India and its organisations and international organisations.

26. INFORMATION TECHNOLOGY / BIOTECHNOLOGY

26.1 State Government will encourage mega investors in IT / ITES for setting up IT industries, IT parks, IT SEZ in private sector or under PPP mode.

26.2 The **objective** of IT policy is to (a) provide congenial and industry – friendly atmosphere for the establishment and growth of IT companies for providing IT – Services (hardware / software based) and IT – enabled services (call centering, medical transcription, BPO etc) (b) Generate employment opportunities for the educated youth of the State. (c) Exploit export potential of this sector for augmenting GSDP of the State. (d) Bringing IT to masses and accelerating its uses for socio-economic development.

(ii) It has potential to generate large scale employment by using less land mass. The employment generation on per 100 lakh investment is among the highest in industry besides it causes almost zero environmental pollution.

26.3 (a) IT industries will be accorded priority in allotment of land by IADA.

(b) In case of land allotment by IADA, mega IT units will be allowed deferred payment of land value i.e. payment of land value by such units will be allowed in five equal installments spread over five years.

26.3.6 Motor Vehicles Act will be amended to enable the IT Companies to make use of hired privately owned omnibuses etc to transport their employees between their residence and work place.

26.3.7 Alternate Source of Power Generation

IT-ITES units with 5 KVA power requirements can be set up anywhere in the State.

26.3.8 FAR Relaxation

50% more FAR over and above to permissible FAR of the place will be allowed by the concerned Authority / Urban Local Bodies for IT-ITES units in earmarked areas IT Parks / STPs in consonance with other provisions of the prevailing Building Bye-laws. Necessary amendment, if required, will be done by concerned Authority / Urban Local Bodies with requisite permission of the Department of Urban Development.

26.4 Biotechnology

There is an urgent need for Jharkhand to promote biotechnology which offers an excellent opportunity in augmenting value creation and employment generation not only in areas of states traditional activities but will also provide avenue for its application in medicine, agriculture and industry. The State's advantage is its large forest coverage with medicinal plants, vast reservoir of scientific human resources and centres of academic excellence, dependence of its large population on agriculture etc.

Objectives of the policy include.

- i. To encourage and facilitate the introduction of biotechnology at the grass root level to strengthen the economy of the State.
- ii. To promote industrial biotechnology for the production of useful chemical compounds.
- iii. To promote cultivation of **Spirulina** as a high value low cost nutrient for rural and tribal areas.
- iv. General end use of different types of bio-energy.

- v. To expand forest cover of the State through social and agro forestry.
- vi. To promote agro industries.
- vii. Production of high-yielding, draught and pest-resistant seeds for agriculture and horticulture crops suited to different agro-climatic zones.
- viii. Enhancement of the productive potential of the aquatic eco-system.

26.4.1(a) The fiscal incentive and concessions offered under the Jharkhand Industrial Policy-2012 shall be extended to biotechnology industry also.

(b) Biotechnology units will also get priority in allotment of land by IADA.

(c) Biotechnology industry not covered under Mega Industry as defined under classification of Industries [Annexure 1 {11 (iii)}] will be given the incentives covered under 32.2, 32.3, 32.4 and 32.6.

(d) Government will encourage the setting up of venture capital funds for biotech industries

26.5 Following Special Incentives will be allowed for the IT Industry.

(i) Exemption from No Objection Certificate (NOC clearance) of JSPCB.

(ii) Exemption from zoning regulations for purposes of location.

(iii) Self-certification for purposes of compliance of the following Acts:

(a) Factories Act

(b) Employment Exchange (Notification of vacancies) Act.

(c) Payment of Wages Act.

(d) Minimum Wages Act

(e) Contract Labour (Regulation and Abolition) Act

(f) Workmen Compensation Act.

(g) Shops and Establishments Act.

27. TOURISM

- 27.1 The Tourism and Travel Industry is well on its way to become one of the most powerful sector in coming decades. Since there is a huge potential of employment in tourism sector the State Govt. proposes to give special thrust to the sector by attracting higher investment in the areas with tourist potential. Efforts will be made to pool up resources both from government agencies and private sector for investment so that the ultimate objective of employment and revenue generation in the State is achieved. Priority is proposed to be given for the development of eco-tourism, religious tourism, heritage-tourism, resorts etc.
- 27.2 Air- taxi services would be promoted to provide package tours especially keeping in mind the Buddhist circuit, Jain circuit and international tourist flow.
- 27.3 There are about 29 hotels, 33 tourist complexes and several Tourist Information Centres, Way Side Amenity, Ropeway etc. in the Govt. sector. Deptt. of Tourism will ensure Private Sector participation under PPP mode / Joint Venture for its operation, quality and capacity improvement.
- 27.4 Deptt. of Tourism will bring out a comprehensive policy for setting up hotels, motels, yatri niwas etc. in Public, Private, Joint Venture Mode.
- 27.5 Necessary assistance will be extended by Revenue Department for purchase of land from Raiyats under consent Award Scheme.

28. **FILM INDUSTRY**

Existence of large number of beautiful natural religious, heritage and industrial sites, dense forest, natural water falls and availability of cheap labour make Jharkhand attractive site for film suiting and its development. Film industry in the State can be a good source of direct and indirect employment. Films in Nagpuri and other languages are being produced locally in the State. Private investment can be promoted by providing special incentives for setting up of film studios, film city etc. The setting up of film city, studios will attract same incentives as made to different Industrial Parks. Detailed policy will be worked out by the Department of Public Relation & Information in consultation with Department of Tourism, Industry, representatives of film industries, Department of Commercial Taxes etc.

29. **EXPORT PROMOTION**

In order to boost export the State Govt. proposes to initiate the following measures :

- (i) Programmes will be organized with the help of reputed consultants / IIFT to sensitize exporters about market intelligence, export documentation, finance and other critical areas of export
- (ii) Efforts will be made to set up a State-of-Art external Information Centre in collaboration with local Chamber of Commerce and Industries Associations.
- (iii) Setting up of an Air Cargo Complex is proposed. This would give the desired impetus to the export of products like flowers, fruits, vegetables etc.

- (iv) Inland Container Depot (ICD) with the assistance of Govt. of India has been set up at Jamshedpur for large scale containerization of value added and manufactured exportable goods. Similar facility at other places is proposed to be set up in consultation with Railways and Department of Central Excise and Customs.
- (v) Industries will be encouraged to participate in International Exhibitions and Trade Fairs. Visits of trade delegations will also be supported financially by dovetailing the schemes of Govt. of India.
- (vi) Export oriented units will be declared as essential services / Public Utilities Services.
- (vii) Export Awards will be provided to Export Oriented Units to recognize quality, R&D and performance.
- (viii) Export oriented units will be preferred in land allotment by IADA.

30. INDUSTRIAL SICKNESS

30.1 Revival of willing and viable sick industries is among the priorities of the State Government. The State government has helped revival / rehabilitation of a number of Industries in the past. As many as 49 small scale units and 3 medium and large scale industries have been provided assistance by the State Government under revival / rehabilitation scheme.

30.2 The State Government intends to take the following measures for prevention of sickness and revival of willing and viable sick industries.

30.2.1 Periodic coordination meetings with the industrialists / entrepreneurs and financial institutions at the IADA level under the Chairmanship of Managing Director for industries under their command area and at the

divisional level under the Chairmanship of the Divisional Commissioner for the rest of areas shall be reviewed to ensure early detection of sickness / problem, and preventive measures for the same shall be taken.

30.3 Industrial Sickness in Micro and Small Enterprises (MSE)

30.3.1 For the revival of willing and viable Micro and Small units, the State Government proposes to form a State Level Apex Body with Director of Industries as its head to consider such revival efforts.

30.3.2 The State Level Apex body for rehabilitation of sick industry would recommend required restructuring of management, funding etc for approval of Government under existing provisions.

30.3.3 The sick Micro and Small units would be identified by such Apex body w.e.f. such date as per the guidelines issued by RBI. Appropriate packages of relief and concessions for such units would be approved for their rehabilitation. The units declared sick by such body and opting for rehabilitation shall be eligible for relief and concessions by banks and financial institutions, as per the guidelines of the RBI within a specified time frame.

30.3.4 Such units shall be eligible for all incentives on fresh and new investment for revival, available to new units under this policy, provided the unit has not availed incentives as a sick unit under any earlier industrial policy.

30.3.5 Sick units shall be allowed full rebate on delayed payment surcharge during the period of sickness, if it is included in the dues of Electricity Board.

30.3.6 In case of disconnection of electricity, the sick unit shall be exempted from AMG charge and other contractual guarantee charges for the period of disconnection.

30.3.7 The balance amount of electricity dues of such sick unit after deduction of the aforesaid amount shall be paid by the unit in such instalments as may be determined by such Apex body on case to case basis without any delayed payment surcharge. However, if such unit fails to pay any instalment in time, for such delay in payment, it shall be liable to pay delayed payment surcharge for such duration at the rate fixed for such delayed payment surcharge.

30.3.8 The Apex body shall periodically monitor the progress of the revival package and it shall recommend to the Government for approval of such actions as it may deem fit against the defaulting party including the unit and / or other departments / insititution.

30.3.9 The State Level Apex Body would comprise of such persons / organizations as may be notified by the State Government from time to time and published in official gazette, in which Finance Department / Commercial Tax Department / Energy / Institutional Finance shall be necessarily represented.

30.4 Revival / Rehabilitation of Sick Medium and Large Industries

30.4.1 A committee with Secretary, Industries as its head will be constituted by the State Government to evolve suitable measures for revival of viable sick industrial units including State Public Sector Undertakings in large and medium sector.

30.4.2 The Committee shall make an assessment of sick / closed State Public Sector Undertakings and for revival of technically and economically viable such

undertakings, recommend adequate measure which may include manpower rationalization / disinvestment / financial restructuring etc.

30.4.3 For any financial incentive to medium and large units, beyond the provisions of the present industrial policy, there will be a State level Empowered Committee under the Chairmanship of Chief Secretary for taking financial decision on the recommendation of the Committee (mentioned in sl. 30.4.1). The Committee will also consist of representatives from Finance, Planning and Development, Energy and will be notified separately.

30.4.4 Sick Medium and Large Scale Units will be required to approach BIFR for being declared sick. Subsequently, concessions and facilities identified under the scheme of rehabilitation prepared by BIFR or by state Level Inter Institutional Committee of RBI (SLIIC) would be placed before the committee headed by Secretary, Industries for consideration and recommendation to Government through State Level Empowered Committee (SLEC) for approval.

30.4.5 Rehabilitation measures for sick / closed but potentially viable industrial units may inter-alia include financial support / relief and concessions or sacrifice from various Government Department / organization and or additional facilities including allocation of power from SEB / DVC and any other agency / statutory body / local authority.

30.4.6 Such closed and sick industrial units which have earlier already availed various facilities due to its sickness would not ordinarily again get facilities unless the State Government may decide to extend such facilities in public interest on case to case basis.

30.4.7 Sick units can avail exit policy of Industrial Area Development Authorities of the State after approval of competent authority.

30.4.8 Govt. of India is in the process of finalization of a scheme for rehabilitation of sick, micro, small and medium enterprises by setting up a Rehabilitation Fund. Accordingly, the State would suitably modify its scheme, taking advantage of the Revival and Rehabilitation Scheme of Govt. of India for sick units.

31. INDUSTRIAL FINANCE

31.1 The Government appreciates that inadequate industrial finance is the biggest bottleneck in the rapid growth of the State. The Government intends to take such measures, which would promote easy flow of finance to industrial units and entrepreneurs.

31.2 The State Government shall make efforts to ensure opening up of Regional / Controlling offices of Banks / Financial Institutions and posting of senior officials having sufficient delegation of powers to enable speedy credit decisions on the spot.

31.3 The lead banks in their respective districts would take up preparation of "Industrial Credit Plans" at the district level to accelerate the flow of credit to the industry sector with emphasis on SSI, Tiny and Cottage Industries for which separate targets would be fixed.

31.4 The State Government would make efforts to open specialized SSI bank branches in the State to cover all districts having concentration of SSI units, in a time bound manner.

31.5 The State Government shall also invite Private Sector Banks / Financial Institutions to provide financial services to various industrial units.

- 31.6 A State level Banker's Committee (SLBC) has been constituted to provide adequate interfacing between State Government and State Level Institutions on one side and RBI, Banks and Term Lending Institutions on the other. This committee provides a useful forum for exchanges of information and discussion on the problems faced by the small and medium scale industrial units and small entrepreneurs. This committee also deals with the problems relating to co-ordination between banks and financial institutions as well as regarding the provision of adequate infrastructure facilities to industrial units, in addition to the general problems relating to grant of credit to such units.
- 31.7 To facilitate easy flow and recovery of micro credit, financial institutions such as NABARD, SIDBI, Co-operative Banks, Commercial Banks etc would be encouraged to extend credit to Self Help Groups (SHG).
- 31.8 The State Government would take necessary steps to facilitate empowering of the commercial banks and funding institutions to ensure speedy and expeditious recovery of the credit extended.

32. INCENTIVES AND CONCESSIONS

32.1 Comprehensive Project Investment Subsidy (CPIS) - Exclusively for industries other than Mega.

32.1.1 Industrial Units shall be entitled to get Comprehensive Project Investment Subsidy (CPIS) for investment made in :

- (i) Plant and Machinery.
- (ii) Pollution Control Equipment.
- (iii) Environment friendly alternative power generation equipment.

(iv) Employee Welfare (EPF, ESI, Health Insurance Scheme)

32.1.2 The qualifying amount of investment for subsidy under CPIS will be calculated giving weightage of 50% to investment made in Plant and Machinery, 20% each to investment in pollution control equipment and environment friendly alternative power generation equipment and 10% to investment in employee welfare (EPF, ESI, Health Insurance).

32.1.3 **Subsidy under CPIS will be admissible at the rate of 7%, 10% and 15% max of the calculated qualifying amount of investment for blocks under category A,B and C respectively** (List of Blocks under Category A,B and C is mentioned in Annexure 1, Sl. 12).

32.1.4 Maximum admissible subsidy under CPIS for an industrial unit will be Rs 5 crore.

32.1.5 Industries availing subsidy under CPIS will not be eligible to avail benefits under sl. 32.2 (stamp duty and registration fee).

32.1.6 Subsidies to industries under sl. 32.2 (stamp duty and registration), VAT Incentives and CPIS, all added together, will not be more than total Fixed Capital Investment made by the company in the project. VAT incentives will include VAT computed under sl. 32.5 and VAT benefits claimed under any other heads as provided in this policy. However, incentives for patent / quality certification and special incentives for SC / ST / women/ PH will not form part of this.

32.1.7 **SC/ST/Women/Handicapped Entrepreneurs will avail 5% additional benefit under CPIS.** This benefit shall be applicable only to residents of Jharkhand. For the purpose of this clause, those persons will be eligible for benefit under SC/ST category who are issued caste / residential certificate to this effect by competent authority, not below the rank of SDO, in the State of Jharkhand. Similarly, those persons will be deemed to be of handicapped

category who are certified by a competent Medical Board to have handicap of more than 40%.

32.1.8 **Special incentive for extremist infested blocks**

Non-mineral based (industries not using the mineral resources of the State) new industrial units located in the **extremist infested blocks** (5 kms beyond municipal boundary) with minimum investment of Rs 5 crore in plant and machinery and providing direct employment to minimum 100 persons shall be eligible **for additional incentive of 5% under CPIS.** Also, **reimbursement of VAT will be made for one additional year.**

32.1.9. The policy envisages direct employment of specified number of work force for some industries to avail certain facilities / incentives etc. of the government. **Industries implementing State Government reservation policy in such direct employment will be eligible for 5% additional incentive under CPIS.**

32.1.10 Only one time subsidy under CPIS category will be provided to the industries. The subsidy to be paid will be spread over a period of 5 years time @ 20% each year.

32.1.11 Industrial units entitled for benefits in the above category under Government of India Scheme will not be eligible to get benefits under the same category sl. {32.1.1 (i to iv)} under this policy.

32.2.1 **Stamp duty and Registration fee**

Manufacturing units with direct employment of 100 persons will enjoy **50% reimbursement of stamp duty and registration fee** for land directly purchased from the raiyats / acquired through consent award (lessee of IADA / industrial parks will not be eligible for this benefits). This facility will be granted only for the first transaction for a particular plot of land.

32.2.2 **100% reimbursement of stamp duty and registration fee** for land will be allowed for industries offering 100 direct employment per acre of land bought.

32.2.3 Industries engaged in mineral extraction activities such as mining, crushing, transportation, washing etc without significant value addition will not be entitled for such benefits.

32.3 **Quality Certification**

(a) High priority is being accorded by the State government for improvement of quality of the industrial units and will be provided with assistance for obtaining quality certification from B.I.S. and other internationally recognized institutions @ **50% of the expenditure incurred up to maximum of Rs 2.00 lakh.**

Units obtaining certification / accreditation under any of the following internationally recognized / accepted standards will be eligible for the benefit

- ISO-9000 Quality Management System
- ISO-14000 Environmental Management System
- ISO-18000 Occupational Health and Safety Standards.
- BIS certification
- Social Accountability Standards.
- Green Energy Certificate.
- Bureau of Energy Efficiency (BEE) Certificate.
- LEED Certification in New and renewable Energy.
- Internationally accredited eco-labels OKE-TEX 100 etc

- Any other internationally accredited certification that will enable better market positioning.
- (b) An Enterprise can avail the facility for more than one certification during the policy period subject to maximum limit.
- (c) Incentives for quality certification (ISO-9000, ISO-14000 etc.) are also being given by Government of India. State Government will promote and facilitate the Unit getting such benefits on priority basis.

32.4 Patent Registration

Industrial units will be encouraged for filing their successfully generated, registered and accepted patents based on their original work / research. The State Govt. will provide **financial assistance of 50% of the expenditure incurred, up to a maximum of Rs 2 lakh, per patent.** Out of these a maximum of Rs 1 lakh may be given on expenditure incurred in filing of patent, attorney fees, patent tracking etc. and upto maximum of Rs 2 lakhs on final acceptance of the patent.

32.5 Subsidy / Incentive on VAT

This facility will be available to all industries including MSME, Handloom, Sericulture, Handicraft, Khadi and village industries products, as given below :

- (a). MSME shall be eligible for **reimbursement of 60% of Net VAT paid per annum, up to a maximum of 100 % of total fixed capital investment** made, for different duration depending on the location of the units as mentioned below.

Sl. No.	Location	Duration Years
1.	A	5
2.	B	7
3.	C	9

(b) **Large and Mega Industries shall be eligible for reimbursement of 50% of the NET VAT paid per annum up to a maximum of 75% of total fixed capital investment** for different duration depending on the location of the unit as shown in the above table.

(c) Handloom, Sericulture, Handicraft, Khadi and Village Industry products shall be eligible for reimbursement of **75% of the NET VAT paid per annum up to a maximum of 100% of the total fixed capital investment** for different duration depending on the location of the unit as shown in the above table

(d) (i) Apparel, Textile, Food Processing, Automobiles, IT/ITES and Bio-Tech units shall be eligible for **reimbursement of 75% of NET VAT paid per annum up to a maximum of 75% of the total fixed capital investment** for different duration depending on the location of the unit as shown in the above table.

(ii) Large amount of Fly Ash and Blast Furnace Slag is likely to be generated by a number of existing, upcoming and proposed integrated steel plants with Captive Power Units and coal based Thermal Power Plants in the State. The generation of these wastes causes environmental pollution. These wastes are normally used in brick making, cement production, soil conditioning etc. With a view to make partial use of these materials it is proposed to extend the VAT incentive, as envisaged in 32.5 d (i) above, to such mega industrial units which use atleast 25% (by weight) Fly Ash or Blast Furnace Slag as raw material mix of the State for production provided their product conforms to BIS or equivalent International Standard.

(e) Industrial units which have qualified to be new unit by expansion / modernization / diversification will be entitled to get similar benefits in respect of VAT as mentioned above in their respective categories. However, they have to maintain separate record of production and investment details for such expansion / diversification / modernization. In case, maintaining a separate record is not possible by such units the benefit to such eligible units shall be available in the ratio of installed capacity.

(f) Any unit claiming these benefits will have to get registered with Commercial Taxes Department, Government of Jharkhand and shall have to file all their statutory returns.

(g) Department of Commercial Taxes shall give top priority to such units in matters of final assessment of annual tax return in a specific time frame.

(h) Commercial Taxes Department shall also notify the responsibility of assessing officers along with time frame to be maintained in assessment of tax.

(i) Payment against VAT reimbursement claim will be made on annual basis and claim for such payment has to be made after the plant has been operated for atleast one full financial year.

(j) The unit for which return assessment has not been duly completed by Commercial Taxes Department, will not be eligible for reimbursement of the VAT claimed for the next year.

(k) VAT reimbursement claim for the final year i.e. the last year of eligibility period can only be entertained after the complete assessment of all the previous years.

(l) After availing VAT reimbursement facility for eligibility period, industrial units are to maintain tax compliance at similar level in future for the same number of years they have claimed VAT e.g. a unit which has

claimed VAT reimbursement for five years for location. The Unit will have to do the tax compliance for another five years after the expiry of reimbursement.

(m) For claiming VAT subsidy, the industrial unit will be issued a passbook from the Department of Industries in which the details of the output tax payable (including CST) and tax paid under Jharkhand VAT (including CST) would be entered and verified by the Commercial Taxes Department in the form prescribed in Annexure - III. Director, Industries will be authorised to pay the incentive on the basis of the verification for which rules will be made separately.

Note : Notwithstanding anything contained in this Industrial Policy, the State reserves its right, to take appropriate direction including amendment, deletion or substitution of any incentives as granted in this Policy after the implementation of the Goods and Services Tax System into the State.

32.6 Incentive for Industrial Parks, Private Industrial Area / Estate

32.6.1 50% of cost, upto maximum Rs 10 crore, incurred on development of common infrastructure of green field textile, apparel park, IT/ITES park, Bio-technology park, Gems and Jewellery park, Bio-tech and Herbs park, Chemical and Pharmaceutical parks, Food Park, Automobile Vendor Park etc {as mentioned in sl. 15.(i-viii)} and private industrial area / estate will be borne by the State Government. Such infrastructure will mainly include road network, drainage, drinking water and power transmission etc.

32.6.2 State Government will provide 50% reimbursement of registration fee of land of above mentioned industrial parks and private industrial area / estate.

32.7 Incentive for Cluster Development

Minimum grant of 10% of total approved project cost by the Government or SPVs own contribution, whichever is less, will be offered by the State Government to cluster schemes approved by Govt. of India for the State.

32.8 Incentive for textiles and apparels

(a) **100% reimbursement of stamp duty and transfer duty paid by the industry will be allowed for execution of lease, lease cum sale or sale deeds** in respect of industrial land / plots allotted or purchased by industry and Execution of Lease Deeds in case of industrial sheds / plots taken on lease.

(b) Textile / apparel manufacturing units will be provided financial assistance for purchase of land close to the Apparel / Textile Park for construction of dormitories to house the workers at the rate of one acre for every 1000 workers employed. **The assistance will be limited to 50% cost of land up to a maximum of Rs 50 lakh.**

32.9 Incentive for agro-food processing cluster.

The State Government will give an assistance of 10% of the project cost provided the DPR of the project is approved by GOI-MSME.

32.10 Incentive for captive power plant

New or existing industrial units setting up captive power plant shall be exempted from the payment of 50% of electricity duty for a period of five years for self – consumption or captive use (i.e. in respect of power being used by the plant) from the date of its commissioning.

32.11 Incentive for IT / ITES

(a) **Mega IT units will be exempted from electricity duty for five years.**

(b) **New IT – ITES as well as expansion units investing between Rs 5 crores and Rs 50 crores and employing more than 100 direct workers would be eligible for a comprehensive project investment subsidy (CPIS).**

(c) **Recruitment Incentive of Rs 2.5 lakh per 50 people (local people including those who have studied in the State) will be given to the IT – ITES unit. This will be one time benefit with maximum limit of Rs 25 lakh.**

(d) **100% reimbursement of stamp duty, transfer duty and registration fee paid by IT-ITES industries on sale / lease deeds on the first transaction.**

(e) **50% reimbursement of stamp duty, transfer duty and registration fee paid by IT – ITES industries on sale / lease deeds on the second transaction.**

(f) Facilities at (d) and (e) will not be available for IADA land.

(g) **Lease rentals (including premises on rent) up to 50% of actual cost incurred subject to a maximum of Rs 5 lakh per annum will be reimbursed up to a period of three years for the plug-and-play built up office space of minimum 2500 sq. ft. These units will not be allowed to take benefit under land / building component of CPIS. However, other component of CPIS like incentive for plant, machinery etc. can be availed by them.**

(h) **Government will encourage Captive Power Generation in IT-ITES locations. 40% of the capital expenditure incurred in soundless captive power generating sets will be reimbursed. This will be one time incentive under CPIS (by clubbing the pollution control equipment incentive & environment friendly programme).**

32.12 **Incentive for Tourism** (No other incentives mentioned in the policy elsewhere will be applicable except the following).

32.12.1 (a) **There will be total exemption of luxury tax, electricity charge at domestic rate**, on the Bed and Breakfast (Home stay) facilities on dwelling units and no separate permission from urban local bodies for land use will be required. It will be applicable for maximum 5 years.

(b) Five Star Hotels at Ranchi, Jamshedpur & Dhanbad and Three & Four Star Hotels at other places of the State will get 50% reimbursement of Luxury Tax for a maximum period of five years.

(Multiplexes have already been granted 100% exemption of Entertainment Tax by Deptt. of Urban Development, GOJ)

32.12.2 New Ropeways and Amusement parks set up in the State will be reimbursed **entertainment tax for a period of 5 years** from the date of becoming fully operational.

33. EXPANSION / MODERNISATION / DIVERSIFICATION

Units undergoing Expansion / Modernisation / Diversification and fulfilling the criteria mentioned at sl. 6 and sl. 7 at Annexure-I, will be treated at par with new Industrial units and will be eligible for incentives accordingly even if the unit might have availed of benefits for earlier expansion / modernisation / diversification under any earlier policy as an unit. For expansion / modernisation / diversification of MSME units, if the gap period between DOPs of earlier project and the one under implementation is two years then only the benefit can be availed under this policy. Similarly, for large and mega projects the gap between DOPs of earlier project and the one under implementation is to be three years for availing the benefits.

DPR indicating details of time schedule and completion for expansion / modernization / diversification has to be submitted to

industries department for approval. If approval is not communicated within 30 days it will be treated as deemed approval.

Projects under MSME category will be approved by a Committee headed by Director, Industries and those under Large and Mega category will be approved by the Secretary, Industries.

34. GENERAL PROVISIONS

34.1 Public Utility Services

The following categories of industries/ establishments shall be declared as “Public Utility Services” for the purpose of application of provisions under Chapter-V of the I.D. Act 1947.

- (i) Information Technology & IT Enabled Services.
- (ii) Bio Technology
- (iii) Agro-based processing
- (iv) Electronics & telecommunications
- (v) Export Oriented Units and units in parks.
- (vi) Infrastructure projects including industrial parks and SEZs

34.2 Exemption from some of the provisions of Factories Act

Industrial units and establishments in the following categories shall be exempted from the provisions of Chapter VI of Factories Act 1948 (working hours of Adults).

- (i) Information Technology & IT Enabled Services.
- (ii) Bio Technology
- (iii) Electronics & telecommunications

(iv) Export Oriented Units.

(v) Industries set up in Special Economic Zones.

34.3 The Industrial Estates, Industrial Areas, Industrial Parks, Growth Centres etc. shall be excluded from the tax regime of the Municipal and other local authorities for management by local industries associations, provided that the latter undertake to maintain the infrastructure of the industrial estates either directly or through other agencies by taking consent of Urban Development Department or by amendment of the relevant Act, if required. Urban Development Department shall frame the guidelines and prescribe the fee for providing such services.

34.4 Tourism, Information Technology (IT) and Biotechnology related units including laboratories may be allowed in Urban areas in conformity with Master Plan in force and following other relevant clearances. Floor Area Ratio (FAR) for above mentioned unit may also be considered to the extent with conditions as defined in sl. no. 26.3.8.

34.5 **Labour Reform**

A time bound action plan shall be formulated for expeditious implementation of following labour reforms.

(a) According highest priority to amalgamation of different records, registers and returns required to be maintained under the various labour laws, flexible women working hours, and introducing systems of “self-certification” for labour related compliance of routine nature.

(b) A system of joint inspection by various regulatory agencies such as Jharkhand State Pollution Control Board (JSPCB), Labour Inspector, Chief Inspector of Factories & Boilers, Regional Provident Fund Commissioner,

and Regional Director, Employees State Insurance Corporation shall be devised and implemented in a time bound manner.

(c) The implementation of these provisions shall be reviewed from time to time and complaint, if any, of investors / companies will be received by the Single Window Cell of the Industries Department.

34.6 **Chartered Engineers / Inspectors**

The State Government is contemplating to authorise chartered engineers possessing requisite qualifications to perform the duty of Inspector of Boilers with regard to registration, inspection and renewal.

34.7 **Applicability of Incentives (special mention)**

(a) Incentives under CPIS are not available for mega industries.

(b) The **industries which made investment** earlier and have qualified as **mega industries**, based on norms fixed under annexure 1 {11(iii)}, **and have not availed subsidy / benefits and DOP declaration under the previous policy JIP 2001 inspite of DoP before 01.04.2011, will be entitled to benefits under this policy.**

(c) The provisions under 20.7 will be applicable to eligible industrial units, even if Government of India provides similar benefits. It will be an addition to incentive of Government of India.

(d) Incentives where time frame has not been mentioned will be available for a maximum period of five years.

34.8 **Special Mega Units.**

Industrial units with investments of three times the investment norm fixed under annexure 1 {11(iii)} for mega classification, will be considered

for special incentives, package etc., on case to case basis, as decided by the State Cabinet.

35. DATE OF PRODUCTION (DoP)

35.1 All industrial units must obtain the Certification of Date of Production (DoP) from competent authority for availing benefits under this policy. The EM part II or IEM will not be sufficient to substitute DOP certificate.

35.2 An industrial unit has to invest minimum of 85% of proposed capital investment and achieve minimum of 50% of rated production capacity, as envisaged in project proposal / DPR to become eligible for filing of application of DoP to Industries Department.

35.3 (a) The industrial unit becoming eligible can submit DoP application within one month of the commencement of production as envisaged in DPR.

(b) The application form for DOP can also be submitted on-line.

(c) The applications for DOP, submitted on-line, will be acknowledged by Director Industries (DI) / IADA / GM, DIC , as may be the case.

35.4 (a) MSME units will get a maximum of six month's relaxation of time for submission of DOP application. However, the application has to be submitted with expressed reason duly supported by documentary proof.

(b) A penalty deduction of 3% per month with maximum 10%, from the amount of incentives will be imposed for delayed submission of application beyond 6 months. This deduction will be made at first transaction out of CPIS incentives for non mega and Net VAT for mega unit.

(b) In case of delay in submission of application beyond next six months, penalty deduction of 5% per month, with maximum 25%, will be imposed

on the amount payable at first transaction, out of admissible amount of CPIS incentives for non mega, and net VAT for mega units.

- 35.5 (a) Application forms complete in all respect only will be considered for issue of DoP certificate.
- (b) Mere submission of EM Part II or IEM will not be sufficient for the purpose of disbursement of subsidy under this policy.
- (c) It may be mentioned that incomplete application without required details or application with errors will be treated as application not submitted and stand automatically rejected. The concerned authority may intimate the same to the applicant.
- (d) Once the application of DoP is rejected the concerned industrial unit will be compelled to submit the completed application form afresh.
- (e) Application for DoP will not be treated as incomplete in case of non-issue of requisite certificates by statutory authorities. In such cases the applicant has to attach a copy of the application submitted to such statutory authority with date etc. along with DoP application.
- 35.6 (a) Normally the application for issuing DoP certificate will be disposed of within a month from the date of receipt of application.
- (b) If for any reason, however, the disposal is delayed, the reason of delay will be explained and such delay will not exceed more than three months.
- 35.7 (a) All such industries covered under existing MoUs, where substantial progress has been achieved during the previous policy period (15.11.2000 - 31.03.2011) but DoP has not been fixed, will be entitled to avail benefits / concession under this new policy under relevant category.

(b) Industrial units will be entitled for reimbursement / payment of subsidy / incentives under different categories only from the next financial year of DoP.

(c) Industrial units, with investment above Rs 500 crore, which have commenced production / operation before 01.04.2011 and have not applied for the issue of Date of Production (DoP) certificate by the Industries Department may approach the Department for issue of such certificate to avail the benefits only under Jharkhand Industrial Policy- 2012.

36. **MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)**

36.1 (a) MoU may be agreed / signed between Government of Jharkhand and Investors for new investment.

(b) MoU may be agreed only for Mega Industries.

(c) Initially, MoU indicating the intention of the investor in brief about the proposed industry and the possible facilitation to be extended by the State Government which will remain valid only for a maximum period of 12 months.

(d) Subsequently, second stage of MoU will be signed which will include complete details of the project including DPR with the site selected, resources required for the unit, possible sources of funds, raw materials, consumables, utilities, manpower requirement, infrastructural details, time-frame for implementation etc.

(e) MoU signed initially will automatically expire after one year if the second stage of MoU is not signed with the State Government.

36.2 (a) Existing MoUs which have been partly or fully executed and for which benefits have been availed under Jharkhand Industrial Policy 2001 will stand completed.

(b) Previously reached MoUs, where 50% of the proposed investment has not been made, will be required to be reached afresh after expiry of the existing due date of MoU or 31.03.2012, whichever is earlier. Such MoUs reached afresh will be treated as second stage of MoU, as mentioned in 36.1 (d).

(c) All cases of previously reached old MoUs, with inadequate investment or without investment, will be re-evaluated by High Powered Committee before these are permitted for second stage MoU as mentioned in 36.1 (d).

37. FACILITATION

37.1 **Facilitation by DIC / IADAs for awareness creation and grievance redressal.**

(a) DIC and Industrial Area Development Authority will be organizing interaction meeting between officials of Industry Department and investors / industries bodies / industries association for facilitating the filing of various types of forms claiming incentives / benefits under the policy.

(b) Electronic communication with industrial units including Micro and small units through e-mail will be promoted.

(c) Information kiosks will be set up in major district centres for easy access of information for entrepreneurs and investors.

(d) Investors guide / information booklets will be made available for information of investors. All relevant information will also be made

available to the investors in website / on-line. Director of Industries will ensure compliance.

(e) Investor's meets and road shows will be organized at State / National / International level by the State Government in collaboration with Industrial Houses / Industries Associations etc.

(f) Clearances with other Departments will also be facilitated by DIC / IADAs.

37.2 Policy Period

The State Government may at any time amend any provision of this policy. Normally the policy will remain operational for 5 years (01.04.2011 to 31.03.2016)

37.3 Doubts Resolution

(a) Doubts relating to interpretation of any term and / or dispute relating to the operation of any provision under this industrial policy shall have to be referred to the Industries Department, Government of Jharkhand for clarification / resolution and the decision of Government in this regard shall be final and binding on all concerned.

(b) In case of any doubt the "English Version" of the policy will be considered an authentic version.

37.4 Procedure for operationalisation of the provision of the policy.

Implementation of various provisions covering the incentives, concessions etc will be subject to the issue of detailed guidelines / statutory notifications, wherever necessary in respect of each item by the concerned Administrative Department.

37.5 Role of JIIDCO

Jharkhand Industrial Infrastructure Development Corporation (JIIDCO) will be the Nodal agency for all infrastructural construction work of Industries Department including Industrial Area Development Authorities (AIADA, BIADA, RIADA, SPIADA), public sector undertakings like Jharcraft and other institutions like Government Mini Tool and Training Centre at Ranchi and Dumka. Besides, JIIDCO will also provide technical input, as and when required by Industries Department including vetting of the project proposal, preparation of DPR, issues pertaining to Single Window Operationalisation etc.

37.6 Role of JINFRA

Jharkhand Infrastructure Development Corporation (JINFRA) will be nodal agency for all projects of Jharkhand to be pursued under PPP.

37.7 Promotion of Clean and Green Technologies

Enterprises will be encouraged to adopt cleaner production techniques and go for green technologies and processes to protect the environment and ecology.

37.8 State Award to Enterprises

Performance of industries are evaluated every year and on the basis of objective evaluation criteria, suitable awards are given by the State Government for outstanding achievement in environment management, labour welfare, R&D, Safety Profit maximization, innovative production, turn around of sick industries, corporate social responsibility, entrepreneurship and quality. Sixty two awards, during last 6 years have been awarded. Scheme of enterprises adopting such best practices will continue to be recognized with State awards every year.

37.9 (a) **Single Window Clearance** Mechanism will be enacted for according required clearances / approvals of projects submitted by entrepreneurs

within specified period. Composite Application Forms (CAF) along with statutory fees for all clearances connected with the investor's proposals will be received by the Single Window Clearance cell which will facilitate required clearances from the concerned departments or the authorities of the State Government and other agencies.

(b) Till the time Single Window Clearance Mechanism is enacted, existing Single Window Cell in Industries Department will be strengthened with dedicated team of personnel / departmental officers & experts to provide better single point contact services for investors. The cell will also come out with newsletters, departmental publicity materials and other relevant documents for entrepreneurs.

37.9 A **web-based application portal** with monitoring and feedback capability will be created to operationalise the framework – administrative guidelines to assist entrepreneurs and facilitate speedy and time bound processing of their applications.

37.10 **On line monitoring system** is proposed to be introduced for developing better interface between the investor, the Industries Deptt. and other related Departments of GoJ.

37.11 **Environmental Clearance**

(a) To ensure smooth environmental clearance the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), and State Level Expert Appraisal Committee (SEAC) as provided in the gazette notification dated 14.09.2006 part II, Sect. 3 (ii) of Ministry of Environment and Forest, Government of India, New Delhi have been empowered.

(b) The consent to operate under the Water and Air Act given by Jharkhand State Pollution Control Board to industries of the State will remain valid for a maximum period of five years.

(c) State Govt. would extend necessary support to Jharkhand State Pollution Control Board (JSPCB) for expediting the disposal of applications of investors / entrepreneurs for environmental clearance. The following measures are envisaged to be undertaken for the purpose.

Industrial Zoning : Zoning on the basis of environmental aspects, land availability etc will be carried out to enable the entrepreneurs to select appropriate site for their project so that NOC is issued faster.

Third Party Audit : Necessary support will be extended to JSPCB for organizing third party audit for better compliance of environmental laws.

Skill Upgradation : Skill upgradation programme of technical personnel of JSPCB and related organizations is envisaged to be organized in Environmental Engineering / Management.

37.12 **Concept of Niveshak Samadhan Adalat**

(a) With a view to providing a timely and effective dispute / grievance resolution mechanism for units / enterprises, the State Government shall constitute a NIVESHAK SAMADHAN ADALAT which shall meet every month atleast once (more frequently depending on the business in hand) and hear the grievances / complaints of investors and make its recommendation to the appropriate authority / authorities for consideration and redressal of the grievances.

(b) The NIVESHAK SAMADHAN ADALAT will be chaired by Member Board of Revenue. Two other members of ADALAT will be eminent experts of Finance, Management and Industry and law.

(c) Secretarial assistance will be provided by Single Window Cell.

(d) This forum will act as revisional authority against the order of Secretary, Department of Industry related to implementation of provisions of this policy.

(e) A separate notification in detail will be issued to this effect.

37.13 Efforts will be made to bring all regulatory Departments on the same platform by constituting a committee under the Chairmanship of Chief Secretary. The committee consisting of representatives from all related Departments will work out the detailed modality of joint inspection, frequency of inspection etc so that clearances / approvals are given to the entrepreneurs within specified time.

38. MONITORING AND REVIEW

(a) A committee under the Chairmanship of Chief Minister will be constituted to review the implementation of the policy. This will meet atleast twice in a year.

(b) All concerned departments and organizations would issue necessary follow up notifications within a month to give effect to the provisions of this Policy. The implementation of this policy will be duly monitored by Government at the level of Chief Secretary atleast once in a quarter, so that the State Government may carry out a mid - term review of this Policy.

38.1. The incentives / subsidies / reliefs outlined in this policy shall be available to industrial units which commence commercial production from 01.04.2011 till the validity of this policy.

38.2. For sanction and disbursement of the subsidy / incentives, contained in this policy, for MSME a Committee would be constituted under the Chairmanship of Director, Industries with the Director, Handloom,

Sericulture and Handicraft, a representative each of the Commercial Taxes Department, Jharkhand State Electricity Board (wherever necessary) as well as the concerned Managing Director of the Industrial Area Development Authority or GM, DIC as its Members. For sanction and distribution of incentives to industrial units other than MSME, the High Powered Committee under Chief Secretary will function.

A detailed Resolution in this regard will be issued subsequently.

38.3. Definitions

The definitions given in the Annexure to this policy shall be treated as part of this policy.

39. POWER OF THE STATE GOVERNMENT

39.1 Notwithstanding anything contained in the foregoing paragraphs of the industrial policy, the State Government by issuance of notification in the official gazette may amend or withdraw any of the provisions and / or the schemes mentioned herein above.

39.2 If any difficulty arises in giving effect to provisions of the industrial policy, the same shall be referred to the State Government through Chief Secretary and thereon the decision taken shall be final.

Order: It is ordered that a copy of the resolution should be sent for publication in the special edition of the Jharkhand Gazette, Reputed Journals and Newspapers and be circulated among all the Departments / Departmental heads and Subordinate office of the Government.

By the Order of the Governor of Jharkhand
Sd/-
(A.P.Singh)
Secretary
Industries Department,

Government of Jharkhand.

Memo No 1958, Ranchi, Dated 16.06.2012

Copy with enclosure forwarded to the Superintendent, Government Press, Hinoo, Ranchi for its publication in the special edition of Jharkhand Gazette. It is requested that 500 (five hundred) copies of the published Gazette be made available to the department.

By the Order of the Governor of Jharkhand

Sd/-

(A.P.Singh)

Secretary

Industries Department,
Government of Jharkhand.

Memo No: 1958, Ranchi, Dated 16.06.2012

Copy with enclosure forwarded to all Departments / Departmental Heads / Commissioner, Commercial Taxes, Department of Commercial Taxes / Managing Director, All Corporations under Department of Industry / All Industrial Area Development Authorities / Chief Executive Officer, Jharkhand State Khadi Board, Ranchi, Jharkhand/ Chairman, Jharkhand State Electricity Board, Ranchi/ All Commissioners/ All Deputy Commissioners / All Deputy Development Commissioners / All General Managers, District Industry Centres / Director, Handloom, Sericulture and Handicrafts/ Director, Industry / Resident Commissioner, Jharkhand Bhavan, New Delhi.

By the Order of the Governor of Jharkhand

Sd/-

(A.P.Singh)

Secretary

Industries Department,
Government of Jharkhand.

ANNEXURE - I

Definitions

1. **Effective date:** "Effective date" means the date on which the provisions of this Policy come into force i.e. 01.04.2011. This Policy will remain in force for 5 years up to 31.03.2016.
2. **Industrial Unit/Industrial concern:** 'Industrial unit / concern' means any unit / concern engaged or to be engaged in manufacturing / processing / servicing industry under the following categories:
 - a) Industries listed under the First Schedule of the Industries (Development and Regulation) Act 1951 as amended from time to time.
 - b) Industries falling within the purview of the following Boards / Agencies:
 - (i) Small Industries Board
 - (ii) Coir Board
 - (iii) Silk Board
 - (iv) All India Handloom and Handicrafts Board.
 - (v) Khadi and Village Industries Commission.
 - (vi) Any other agency constituted by the Government of India or Government of Jharkhand for industrial development.
 - c) Other categories:
 - (i) Mining or development of mines
 - (ii) The maintenance, repair, inspection or servicing of machinery of any description or vehicles or vessels or motorboats or trailers of tractors.
 - (iii) The setting up or development of an Industrial Area, Industrial Estate, Integrated Infrastructure Development Export Promotion Industrial Park, Export Promotion Zone or Growth Centre.
 - (iv) Providing special or technical knowledge or other services for the promotion of industrial growth.

- (v) Providing Engineering, Technical, Financial, Managerial, Marketing or other services or facilities for industry.
- (vi) Providing services relating to Information Technology, Telecommunication or electronics including satellite linkage and audio or visual cable communication.
- (vi) Tourism.

3. Existing Industrial Unit

"Existing Industrial Unit" means an industrial unit which is in commercial production on or before 31.03.2011.

4. New Industrial Unit

"New Industrial Unit" means an industrial unit in which commercial production has commenced within five years from 01.04.2011.

5. Sick Unit

"Sick unit" means an industrial unit declared sick by the Board for Industrial and Financial Reconstruction under the Sick Industries Companies (Special Provision) Act, 1985 or by the State Apex Committee for SSI headed by the Director of Industries or the High Level Empowered Committee headed by the Chief Secretary for large and medium sector. Sick units also include units closed for being in red for years or for financial reasons or for reasons of obsolete technology.

6. Expansion / Modernisation

"Expansion / Modernization of an existing unit would mean additional fixed capital investment to the extent of 50% or more of the non-depreciated value of fixed capital investment just before taking up this expansion / modernization in this unit leading to at least 70% of additional production of the capacity along with 70% of the total created capacity after expansion.

7. **Diversification**

Diversification of an existing unit would mean additional fixed capital investment in to the extent of 50% or more of the non-depreciated value of fixed capital investment just before taking up this diversification in this unit leading to increase in turnover by 50% over the highest turnover achieved during past three years immediately before taking up this diversification.

Diversification must result in production of at least one additional product. If the unit discontinue with the existing production, the increase in turnover will not be considered.

N.B : Before expansion/modernization/diversification the project proposal must be submitted for approval. The approval shall be communicated within 30 days of submission, if approval is not accorded within the stipulated time, it will be deemed approval.

8. **Fixed Capital Investment**

The 'Fixed capital investment' means an investment made in land, building, plant and machinery as well as productive assets of permanent nature such as tools, jigs, fixtures, dies, crane, electrification except DG Set and pollution control equipment.

9. **Ancillary Industrial Unit**

An "Ancillary Industrial Unit" is an industrial unit in which capital investment has been made up to the limit specified by the Government of India from time to time.

10. Date of Production

(a) The "date of production" of an industrial unit shall mean the date on which the unit actually commences commercial production of the item for which the unit has been registered, as envisaged in sl. 35.2.

(b) As regards the date of production of a Micro and Small Units, the certificate issued by the respective General Manager, District Industries Centre and the respective Managing Director, Industrial Area Development Authority would be valid.

(c) In case of any dispute regarding the date of production of Micro and Small Unit, issued by IADA's / GM, DIC the decision of the Director of Industries shall be final.

(d) In case of large and medium industries (other than SSI) the certificate issued by the Director of Industries would be valid.

(e) In case of any dispute regarding the date of production of large and medium industries, issued by Director of Industries, the decision of the Principal Secretary /Secretary Industries shall be final.

(f) Separate certificate for date of production has to be submitted for availing benefits as envisaged in sl. no. 35 under JIP-2012.

11. Classification of Industrial Units

i. Micro, Small and Medium Enterprise (MSME) Industry

A "MSME Industry" is an Industrial unit in which capital investment has been made up to the limit specified by the Government of India from time to time.

ii. Large Scale Industry

An industrial unit which is not classified as Micro, Small, Medium and Mega Enterprises shall be classified as large scale industry.

iii. Mega Projects

Sectorwise Mega Project classification will be as below :

Sl. No.	Sector	Minimum Investment	Direct employment generation
1.	Manufacturing	Rs 250 crore	300
2.	(a) Automobiles	Rs 300 crore	500
	(b) Auto components	Rs 50 crore	100
3.	Steel, Aluminium and other mineral based industries except cement	Rs 1000 crore	300
4.	Ancillary & Down-stream industries	Rs 50 crore	50
5.	Agro-processing / food processing, bio-technology/ pharmaceuticals	Rs 50 crore	100
6.	Textile / reeling/spinning/ weaving / garmenting projects / apparel	Rs 25 crore	500
7	Information Technology (IT-ITEs industries)	Rs 50 crore	1000
8	Cement	Rs 300 crore	100

- Except the above mentioned sector-wise classification, projects in other sectors with investment above Rs 250 crore will come under Mega project classification.
- Mega investors under above mentioned categories will be required to develop ancillary industries for spares / consumables for their respective mega units. The investment for their ancillary units will be in addition to the investment shown above.

12. Classification of Backward Areas

For the purpose of determination of types and quantum of incentives available under this policy, different areas of the State are being classified into the following categories :

Category A (Least Backward) :

Blocks in bracket have been given District-wise. **Ranchi** (Ranchi Sadar, Nagri, Ratu, Ormanjhi, Kanke and Namkum), **East Singhbhum** (Dhalbhum, Potaka, Ghatshila, Nowamundi and Goalmuri), **Dhanbad** (Govindpur, Jharia and Chirkunda), **Seraikela-Kharsawan** (Chandil, Adityapur, Kharsawan, Gamharia), **Bokaro** (Chas, Bermo, Chandankayari, Chandrapura and Petarwar), **Ramgarh** (Ramgarh and Patratu) and **Giridih** (Giridih Block)

Category B (Backward) :

West Singhbhum (Jhinkpani and Chakradharpur), **Ramgarh** (Mandu), **Dhanbad** (Baliapur), **Bokaro** (Gomia and Jaridih), **Hazaribagh** (Hazaribagh, Katkamdag, Daroo, Keredari, Barakagaon and Barhi), **Giridih** (Saria), **Kodarma** (Chandwara), **Chatra** (Tandwa), **Dumka** (Dumka Sadar), **Godda** (Godda and Sundarpahari), **Khunti** (Khunti), **Deoghar** (Madhupur, Devipur and Deoghar), **Latehar** (Chandwa), **Garhwa** (Garhwa and Bhawnathpur), **Palamau** (Daltonganj), **Seraikela- Kharsawan** (Rajnagar) and district headquarters of the remaining districts.

Category C (Most Backward) :

All remaining blocks not mentioned in category A and category B.

13. Multiplexes covered under Tourism for exemption in entertainment tax will mean New Multiplex Cinema hall of at least 03 Screens with minimum capital investment of Rs 3.00 crore & above with modern projection system, sound system, air conditioner, generator set, furniture & fixtures etc.
14. Food processing industries will be categorized / classified as per Government of India norms.
15. Renewable energy - as defined and explained by Ministry of Renewable Energy, Government of India, from time to time.
16. **NETVAT** - means tax payable and paid, under sub-section (I) of Section 17 of Jharkhand Value Added Tax Act, 2005.

ANNEXURE - II
List of Industries Not Eligible For Incentives

1. Saw Mills, Wood Sawing and Furniture.
2. Drilling Rigs, Bore Well, Tube Well Establishing Units, Concrete Mixing Plants, Road Metal Mixer, Readymade Concrete Mixture and similar facilities mobile in nature.
3. Tea Blending/Mixing Units.
4. Units Connected with Cutting of Raw Tobacco and Gul Related Products and Guraku
5. Bottling and Repackaging of Drugs/Pharmaceuticals/Chemicals without Processing and value addition (Excluding formulation and manufacturing units).
6. *Iron Scrap "Iron and Steel Processors" including cutting of sheets, bars, angles, coils, M.S.Sheets, recoiling, straightening, corrugating, drop hammer units etc.*
7. *Book Binding / Note Book / Exercise Note Books / Registers / Ledgers / File Pads / Office files etc.*
8. Rubber Stamp Making
9. Photo Copying and xerox machines
10. Stenciling Units / Processing of Stencil Papers.
11. Tailoring (Except Readymade Garment Manufacturing Units)
12. Laundry/Dry Cleaning.
13. Photography, Studio Labs, Video Parlours, Videography, Cinematography, Theatres, Photo studios, colour film laboratories, Video, Audio Cassette Recording and Watch Repairing.
14. Clinical/Pathological Laboratories/Nursing Homes/Clinics including Indian system of medicines except Super speciality Hospitals with investment more than Rs 50 Crore.

15. Beauty Parlours.
16. Goods and passenger carriers.
17. Guest Houses / Restaurants.
18. Petrol Pumps.
19. Narcotic Drugs, Tobacco barons / tobacco re-drying / processing, Beedi / Cigarette Manufacturing and other tobacco based products.
20. Sponge Iron Plant with or without CPP.
21. *All process of Edible Oil Seeds / Cakes viz. 1. Groundnut 2. Sesam 3. Safflower 4. Rape seed / Musturd 5. Coconut (both tender & dry) 6. Sunflower, Niger Cotton Seed. (All processes include Decorticating, Expelling, Crushing, Roasting, Parching, Frying).*
22. Rice hullers & Rice mills except Rice Mills with capacity of atleast 50 Metric Tonne per day and annual output of minimum 5000 Metric Tonne.
23. *Ice Cream, Ice Candy, Kulfy, Ice Fruit, Pepsy, Tuty Fruity etc. except those having ISI, AG Mark or FPO Mark.*
24. *Powder of Chilly, turmeric, masala, spices, curry, sambar etc. except those having ISI, AG Mark or FPO Mark.*
25. *Distilleries, Breweries, Beer and other Alcoholic Drinks.*
26. *All table meat, animal rearing / farming like poultry, piggery etc.*
27. *Varnishes and Thinners.*
28. Crushing / washing of Iron ore, Coal, Stone etc including segregation / blending except coal washries.
29. Tyre retreading.
30. *Mines & Mining Activity including development of Mines etc.*
31. *Hard Coke / Smokeless fuel plant and any unit using coal as raw material which constitute more than 50% of cost or volume of total raw material.*
32. *Explosive manufacturing units including SMS bulk explosives.*

33. *Vehicle or any consumer product show rooms, service / repairing centre or sales centre.*
34. *Brick making units except refractory bricks making, bricks making with use of fly ash / red mud or similar other industrial waste.*
35. *Any petroleum product storages.*
36. *Fruit Juice Base, Packaged drinking water / mineral / aqua, aerated and soft drink units (excepting the units manufacturing fruit pulp or fruit pulp and juice out of it).*
37. *Sweets / namkeen etc.*
38. *Soap making units not operated by power driven machinery.*
39. *Shampoos and other cosmetic items except those having ISI mark.*
40. *Manure mixing industry.*
41. *Service Sector (not specifically allowed in the policy).*
42. *Banned items by State Government or Government of India from time to time will also come under this list.*

Note:

1. Government reserves the right to make any changes in the above negative list.
2. The decision of Government whether a unit falls in the Negative list or not, shall be final and binding.

ABBREVIATIONS

ADB	Asian Development Bank
AHD	Animal Husbandry Department
AIADA	Adityapur Industrial Area Development Authority
AMG	Annual Maintenance Guarantee
APEDA	Agricultural Product Export Development Authority
APMC	Agricultural Produce Marketing Committee
	Assistance to States for Development of Export Infrastructure and Allied
ASIDE	Activities
BIADA	Bokaro Industrial Area Development Authority
BOOT	Buy, Own, Operate and Transfer
BOT	Build, Operate and Transfer
BPO	Business Process Outsourcing
CFC	Common Facility Centre
CFTRI	Central Food Technology Research Institute
CIMAP	Central Institute of Medicinal and Aromatic Plant
CNT	Chhotanagpur Tenancy
CPIS	Comprehensive Project Investment Subsidy
CSR	Corporate Social Responsibility
CST	Central Sales Tax
DIC	District Industries Centre
DOP	Date of Production
DPR	Detailed Project Report
DVC	Damodar Valley Corporation
EM	Entrepreneur Memorandum
EMD	Earnest Money Deposit
EPF	Employees Provident Fund
ESI	Employees Provident Fund
FAR	Floor Area Regulation
FDI	Foreign Direct Investment
GM Land	Gair Mazarua Land
GM, DIC	General Manager, District Industries Centre.
GOI	Government of India
GOJ	Government of Jharkhand
GSDP	Gross State Domestic Product
GST	Goods and Service Tax
IADA	Industrial Area Development Authority
ICD	Inland Container Depot
IEM	Industrial Entrepreneur Memorandum
IFAD	International Fund for Agricultural Development
IHRI	Indian Horticulture Research Institute
IIUS	Integrated Infrastructure Upgradation Scheme
IL & FS	Infrastructure, Leasing and Finance Services
IT	Information Technology

ITES	Information Technology Enabled Services.
ITI	Industrial Training Institutes.
Jharcraft	Jharkhand Silk, Textile and Handicraft Development Corporation
JHARNET	Jharkhand State Information and Communication Network.
JIIDCO	Jharkhand Industrial Infrastructure Development Corporation
JINFRA	Jharkhand Infrastructural Development Corporation
JSERC	Jharkhand State Electricity Regulator Commission
JSMDC	Jharkhand State Mineral Development Corporation
JSPCB	Jharkhand State Pollution Control Board
KVIB	Khadi and Village Industries Board
KWH	Kilo Watt Hour
MD	Managing Director
MNREGA	Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act
MOU	Memorandum of Understanding
MSE	Micro and Small Enterprises
MSME	Micro, Small and Medium Enterprises
MW	Mega Watt
NABARD	National Agricultural Bank for Rural Development
NFBD	National Fishery Development Board
NH	National Highway
NHM	National Horticulture Mission
NID	National Institute of Design
NIFT	National Institute of Fashion Technology
NIRD	National Institute of Rural Development
NOC	No Objection Certificate
NSDC	National Skill Development Corporation
NSTEDB	National Science and technology entrepreneurship Development Board.
PESA	Panchayats Extension to Scheduled Area
PH	Physically Handicapped
PPP	Public Private Partnership
PSU	Public Sector Undertaking
R & D	Research and Development
R & R	Rehabilitation and Resettlement
RBI	Reserve Bank of India
RIADA	Ranchi Industrial Area Development Authority
SAU	State Agriculture University
SC / ST	Scheduled Caste / Scheduled Tribe
SD	Security Deposit
SEAC	State Level Expert Appraisal Committee
SEB	State Electricity Board
SEIAA	State Level Environment Impact Assessment Authority
SEZ	Special Economic Zone
SHG	Self Help Group
SIDBI	Small Industrial Development Bank of India
SITP	Scheme for Integrated Textile Park

SLBC	State Level Banker's Committee
SLEC	State Level Empowered Committee
SLIIC	State Level Inter Institutional Committee
SPT	Santhal Pargana Tenancy
SPV	Special Purpose Vehicle
SSI	Small Scale Industry
STPI	Software Technology Park of India
STPs	Science and Technology Park
TUFS	Technology Upgradation Fund Scheme
UAS	University of Agricultural Sciences
VAT	Value Added Tax
XLRI	Xavier Labour Relations Institute.

झारखंड औद्योगिक नीति – 2012

झारखंड औद्योगिक नीति - 2012

विषय-सूची

क्र।सं।	विषय-वस्तु	पृष्ठ
1	प्रस्तावना	3-5
2	उद्देश्य	6-7
3	रणनीति	7-9
4	भूमि	9-10
5	खदान	11
6	जल	11-13
7	मूलभूत सुविधाएँ	13-16
8	मानव स.साधन विकास	16-17
9	कौशल विकास	17-18
10	उद्यमशीलता विकास	18-19
11	इनक्यूबेशन केन्द्र	19-20
12	औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण	20-24
13	नए निजी औद्योगिक क्षेत्र का विकास	24
14	औद्योगिक गलियारा	25
15	औद्योगिक पार्क	25
16	विशेष आर्थिक क्षेत्र	26
17	कलस्टर विकास	26-27
18	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)	27-29
19	मूल्य संवर्धन	29-30
20	रेशम उत्पादन, हथकरघा और हस्तशिल्प को प्रोत्साहन	30-32
21	टेक्सटाईल एवं एपरेल	32-34
22	कृषि खाद्य प्रस.स्करण आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन	34-39
23	ऑटोमोबाइल और ऑटो उपकरण	39-40
24	ऊर्जा	40-41
25	एफ डी आई संवर्धन	42
26	सूचना प्रौद्योगिकी / जैव प्रौद्योगिकी	42-45
27	पर्यटन	45-46
28	फिल्म उद्योग	46
29	निर्यात संवर्धन	46-47
30	औद्योगिक रुग्णता	47-50
31	औद्योगिक वित्त	50-51
32	प्रोत्साहन और रियायते.	51-59
33	विस्तार / आधुनिकीकरण / विविधीकरण	59-60
34	सामान्य प्रावधान	60-62
35	उत्पादन तिथि	63-64
36	समझौता ज्ञापन	65
37	सुविधा सहयोग	65-69
38	निगरानी और समीक्षा	70
39	राज्य सरकार के अधिकार, अनुबंध - I & II, सांकेताक्षर	70-83

झारखण्ड सरकार औद्योगिक विभाग

संकल्प

विषय: झारखंड औद्योगिक नीति – 2012.

1. प्रस्तावना

1.2 झारखंड राज्य के सृजन के बाद झारखंड औद्योगिक नीति – 2001 को कार्यान्वित किया गया। उद्योग नीति का मूल उद्देश्य, राज्य के औद्योगीकरण के लिए उपलब्ध संसाधनों का सुनियोजित और व्यवस्थित तरीके से उपयोग करना था। इसका लक्ष्य प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य वर्द्धन एवं मानव संसाधनों का प्रभावी तरीके से उपयोग कर राज्य के विकास के लिए अतिरिक्त रोजगार तथा संसाधन उत्पन्न करना था।

1.2 इस औद्योगिक नीति की अवधि के दौरान औद्योगीकरण में यथेष्ट प्रगति हासिल की गई। इस अवधि में 28,424.06 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ राज्य में 26 मेगा उद्योग, 106 वृहत् और मध्यम उद्योग एवं 18,109 सूक्ष्म तथा लघु उद्योग स्थापित किए गए जिसमें लगभग 63,000 लोगों को इन उद्योगों में रोजगार मिला। फलस्वरूप जमशेदपुर – सराईकेला – चाईबासा, रामगढ़ – पतरातू – हजारीबाग, लातेहार – चंदवा, राँची – लोहरदगा, बोकारो – चंदनकियारी – धनबाद – गिरिडीह जैसे इलाकों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ राज्य के राजस्व संग्रह में भी योगदान दिया।

1.3 नियमित और मेगा निवेश सुनिश्चित करने के लिए, राज्य बड़े उद्योगपतियों को निवेश के लिए झारखंड को चुनने हेतु सहमत करने में सफल रहा। तदनुसार, प्रमुख औद्योगिक घरानों एवं राज्य सरकार के साथ एम0ओ0यू0 किया गया है। कई बाधाओं और कठिनाइयों के बावजूद रैयतों के साथ सीधे बातचीत कर उद्योगों के द्वारा 8,000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार के द्वारा उद्योगों को लगभग 3000 एकड़ भूमि उपलब्ध करायी गई है, जिसमें विद्युत उत्पादन वाली इकाइयाँ भी शामिल है। करीब 17 मेगा उद्योग उत्पादन में आ गए हैं तथा वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान कई अन्य औद्योगिक इकाइयों के चालू होने की संभावना है।

1.4 11वीं योजना अवधि के दौरान राज्य में इस्पात उत्पादन 8 मिलियन टन (एम0टी0) से बढ़कर 12 लाख टन प्रति वर्ष हो गया है। वर्तमान में देश के कुल स्टील उत्पादन का लगभग 20 से 25%

भाग झारखंड में उत्पादित हो रहा है। इन्टीग्रेटेड इस्पात संयंत्रों के प्रस्तावित विस्तार के साथ राज्य 25 मिलियन टन से अधिक स्टील का उत्पादन करने के साथ भारत का स्टील हब बन जाएगा। विभिन्न प्रकार के ऑटो ग्रेड स्टील, जो पहले आयात किए जाते थे, अब राज्य में उत्पादित हो रहे हैं। इसी तरह राज्य में एल्यूमिना का उत्पादन 80,000 मीट्रिक टन से बढ़ कर 200,000 मीट्रिक टन हो गया है। सीमेंट एवं क्लिंकर के उत्पादन में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हासिल की गई है।

- 1.5 रेशम उत्पादन के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। तसर सिल्क का उत्पादन 2006 के 100 मीट्रिक टन से कम की अपेक्षा में 2010-11 में 716 मीट्रिक टन की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है तथा अब इस क्षेत्र में लगभग 1.25 लाख रोजगार का सृजन हुआ है।
- 1.6 राज्य में खनन और उत्खनन में भी वृद्धि दर्ज की गई है। इस क्षेत्र से उत्पादन 2003-04 के रू0 6523.4 करोड़ से बढ़ कर 2009-10 में रू0 10170.5 करोड़ हो गया है।
- 1.7 सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0) में लगभग तीन गुणा वृद्धि हुई है, जो तेज विकास का द्योतक है। झारखंड की मौजूदा कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2000-01 के रू0 39191.09 करोड़ से बढ़ कर 2010-11 में रू0 120010.20 करोड़ हो गया है। इसी तरह झारखंड की प्रति व्यक्ति आय, 2001-02 के रू0 14392 की तुलना में 2010-11 में बढ़ कर रू0 38350 हो गई है।
- 1.8 तथापि, यहाँ आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, विकास के वर्तमान स्तर को बनाए रखने के लिए तथा और भी बेहतर विकास की गति को हासिल करने की ज़रूरत है। चूँकि राज्य समृद्ध खनिज संसाधनों से संपन्न है, अतः स्थानीय लोगों के लाभ को अधिकतम करने के लिए इनका मूल्यवर्धन सहित सर्वोत्कृष्ट उपयोग आवश्यक है।
- 1.9 आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की वजह से औद्योगिक परिवेश में बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुए हैं। छोटे, लघु और मध्यम उद्यमों (एम0एस0एम0ई0) पर बहुत जोर दिया जा रहा है। समूहीकरण को उन्नत किया जा रहा है, प्रदूषण मानदंड अधिक कठोर हो गए हैं, खनन स्वीकृतियों के लिए "जाओ" और "न जाओ" की अवधारणा को विकसित किया गया है। मूल्य-योजित कर (वैट) को लागू किया गया है और आगे इसे माल और सेवा कर (जी0एस0टी0) द्वारा प्रतिस्थापित करने की संभावना है।
- 1.10 झारखंड औद्योगिक नीति-2001 के क्रियान्वयन से पर्याप्त अनुभव प्राप्त हुआ है। औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण राँची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (RIADA), आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (AIADA) और बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (BIADA)), राज्य खादी बोर्ड, झारखंड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम (JIIDCO) और झारक्राफ्ट जैसे

संगठनों ने राज्य के औद्योगीकरण में उल्लेखनीय योगदान दिया है और नकद आधिक्य की स्थिति में हैं। लेकिन आईटी, जैव प्रौद्योगिकी, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ), अधोप्रवाह प्रसंस्करण (डाउन स्ट्रीम प्रॉसेसिंग), खाद्य प्रसंस्करण आदि जैसे क्षेत्रों में वांछित प्रगति अभी तक प्राप्त नहीं की जा सकी है।

इसके अलावा राज्य में वृहत/मेगा उद्योगों की स्थापना करने की कोशिश कर रहे निवेशकों को भूमि के अधिग्रहण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

- 1.11 देश में तसर सिल्क के उत्पादन में झारखंड का पहला स्थान है। अग्रणी बढ़त बनाए रखने और रेशम उत्पादन, हथकरघा, हस्तशिल्प, खादी, वस्त्र आदि सहित मौजूदा ग्रामीण उद्योगों को पुनः जीवंत करने के लिए, इनके आधुनिकीकरण/प्रौद्योगिकी उन्नयन में सहायता और आवश्यक आम सुविधाएँ, उत्पाद डिजाइन, विपणन समर्थन आदि सहित (backward) पश्चवर्ती और (forward) अग्रवर्ती संयोजन प्रदान करने की परिकल्पना की गई है, ताकि वे विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी हों और उनके उत्पाद लाभकारी बन सकें।
- 1.12 वर्तमान नीति का लक्ष्य, विशेष रूप से खनिज और प्राकृतिक संसाधन आधारित उद्योग, लघु उद्योग, बुनियादी सुविधाओं के विकास और पुनर्वास योग्य रुग्ण इकाइयों के पुनर्वास में निवेश को अधिकतम करने के लिए माहौल को उद्योग के अनुकूल बनाना है। इसका उद्देश्य राज्य भर में उद्योगों की स्थापना कर प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम मूल्यवर्द्धन करना है जिससे कि राजस्व और रोजगार सृजन हो सके।
- 1.13 उपर्युक्त परिदृश्य में, उद्योग, उद्योग संघ के प्रतिनिधियों, निवेशकों, विषय से संबंधित विशेषज्ञों आदि के साथ गहन विचार-विमर्श के बाद इस नीति का मसौदा तैयार किया गया है और उनके विचारों को समायोजित किया गया है। यह उम्मीद की जा रही है कि इस नीति के कार्यान्वयन से राज्य में सुविधाजनक रूप से औद्योगीकरण हासिल होगा, रोजगार उत्पन्न होंगे और परिणामस्वरूप राज्य का समग्र विकास संभव हो सकेगा।

2. उद्देश्य :

- 2.1 झारखंड को निवेशकों के पसंदीदा निवेश स्थल में बदलना और राज्य के स्थायी औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना।
- 2.2 बड़े उद्योगों और एम0एस0एम0ई0/अनुषंगी उद्योगों के बीच संबंधों की स्थापना करना।

- 2.3 प्रमुख औद्योगिक इलाकों में उद्योगों के विकास के लिए, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएँ, इंजीनियरिंग सामान आदि के विनिर्माण की गतिविधि को बढ़ावा देना।
- 2.4 राज्य में खनिज और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के सर्वोत्कृष्ट उपयोग को सुविधाजनक बनाना।
- 2.5 रेशम उत्पादन, हस्तकला, हथकरघा, खादी और ग्रामोद्योग आदि के विकास में तेजी लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, स्थानीय संसाधनों के उपयोग और तैयार उत्पादों को निर्यात करने के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। ग्रामीण हस्तशिल्प को संरक्षण और बढ़ावा देकर सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और रीति को समृद्ध करने का प्रयास किया जाएगा।
- 2.6 कौशल-आधारित, पर्यावरण प्रदूषण मुक्त उद्योग तथा आई0टी0, जैव प्रौद्योगिकी, पर्यटन आदि को बढ़ावा देना।
- 2.7 बागवानी, पुष्पोत्पादन और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में राज्य की अनुकूल परिस्थिति का उपयोग करना।
- 2.8 औद्योगिक विकास में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य वंचित वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- 2.9 निवेश के परिवेश में सुधार के लिए स्पष्ट और विश्वसनीय विशिष्ट उपाय स्थापित करना।
- 2.10 उन्नत उत्पादन, उत्पाद और उत्पादकता के लिए औद्योगिक इकाइयों के तकनीकी उन्नयन और शोध को बढ़ावा देना।
- 2.11 संभाव्य रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करना।
- 2.12 किसी क्षेत्र के पिछड़ेपन की वजह से सामाजिक – आर्थिक विकृतियों को रोकने के लिए संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना।
- 2.13 पीपीपी मोड में औद्योगिक पार्क/समूह/औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करना।
- 2.14 समस्या रहित संवेदनशील प्रशासन प्रदान करने और समयानुसार पारदर्शी तरीके से मामलों के प्रभावी निपटारा करने के लिए प्रक्रियाओं का सरलीकरण और प्रशासनिक व कानूनी सुधार सुनिश्चित करना।
- 2.15 मानव संसाधन विकास कार्यक्रम और अन्य कौशल विकास कार्यक्रमों के तहत इंजीनियरिंग कॉलेजों/मेडिकल कालेजों/नर्सिंग संस्थानों/प्रबंधन संस्थानों में निजी निवेश को बढ़ावा देना।

3. रणनीति :

- 3.1 औद्योगिक और संबद्ध सामाजिक बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए परिवेश तैयार करना और उसे सक्षम बनाना।
- 3.2 "समयबद्ध अनुमतियों" के लिए औद्योगिक सुविधा तंत्र (सिंगल विंडो सिस्टम) का विकास और परिचालन।
- 3.3 राजकोषीय रियायत और लाभों का युक्तिकरण।
- 3.4 उद्योगों को, विशेष रूप से एम0एस0ई0 क्षेत्र को, समय पर और पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए, समुचित व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करना।
- 3.5 उपयुक्त विधान/नियमों में समुचित सक्षम प्रावधानों द्वारा पर्याप्त समर्थक सेवाएँ प्रदान करते हुए औद्योगिक क्षेत्र को उनके विपणन प्रयासों में सहायता करना।
- 3.6 उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम पर जोर देना।
- 3.7 छोटे बिजली उत्पादक इकाइयों पर जोर तथा निजी भागीदारी के माध्यम से शुद्ध प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों का विकास।
- 3.8 प्रमुख उद्योगों द्वारा अनुषंगी इकाइयों का विकास।
- 3.9 निगरानी, मूल्यांकन, और शिकायत निवारण तंत्र को संस्थागत रूप देना।
- 3.10 औद्योगीकरण में, विशेष रूप से आधारभूत संरचना विकास/औद्योगिक क्षेत्र विकास/ औद्योगिक पार्क/मानव संसाधन विकास/सेवा क्षेत्र आदि में खास तौर पर सार्वजनिक – निजी भागीदारी (पी0पी0पी0) की अवधारणा को लागू करना।
- 3.11 उपयुक्त वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रबंधकीय कौशल सहित, स्थानीय उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप मानव संसाधन को विकसित करना और अधिकतम रोजगार उपलब्ध कराना। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सी0एस0आर0) के तहत बहुत बड़े निवेशकों द्वारा सरकार के अधीन तकनीकी संस्थानों के अंगीकरण को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- 3.12 स्टील, ऑटोमोबाइल, खाद्य और कृषि प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आदि को समर्पित नए औद्योगिक आधारभूत संरचना की स्थापना, जिनमें नॉलेज सिटी, उत्कृष्टता केंद्र, ऊष्मायन केंद्र, विशेष आर्थिक अंचल (एस0ई0जेड0) आदि शामिल होंगे।
- 3.13 बहुत छोटे, लघु, कुटीर उद्योग, हथकरघा, रेशम-उत्पादन और हस्तकला के लिए विपणन सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

- 3.14** जिला स्तरीय निगरानी प्रणाली के विकास द्वारा रुग्णता की रोकथाम सहित, रुग्ण इकाइयों की पहचान और पुनरुद्धार।
- 3.15** अपने दम पर या मूल उद्योगों के साथ मिल कर, अधिक उत्पादन क्षमता बढ़ाने, ब्रांडिंग तथा बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए समूह (कलस्टर) आधारित एम0एस0एम0ई0 के विकास को बढ़ावा देना।
- 3.16** एम0एस0एम0ई0 अधिनियम-2006 के कार्यान्वयन सहित प्रोत्साहन एवं रियायत के आकर्षक पैकेज के माध्यम से एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र के विकास पर जोर देना।
- 3.17** पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति (आर0एंड0आर0पॉलिसी)-2008 में संशोधन।
- 3.18** सड़क, पानी, भूमि, बिजली आदि सहित उत्कृष्ट बुनियादी ढाँचे का विकास और उसे औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए उद्योगों को उपलब्ध कराना।
- 3.19** महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रस्तावित किए गए हैं।
- 3.20** उद्योगों को तकनीकी रूप से प्रतियोगी बनाने के लिए, नवीनतम प्रौद्योगिकियों को अपनाने, बी0आई0एस0, आई0एस0ओ 9000/14000 या अन्य राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण जैसे गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्राप्त करने के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रस्तावित किए गए हैं।
- 3.21** एमएसएमई विकास संस्थान/ई0ए0एन0 इंडिया और स्थानीय चेम्बर ऑफ़ कॉमर्स के सहयोग से निर्यात विपणन और अन्य संबंधित मुद्दों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएँगे और निर्यात संवर्धन के लिए निर्यातकों को संवेदनशील बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए सहयोग दिया जाएगा।
- 3.22** सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ विभिन्न औद्योगिक संपदाओं और समूहों में अवजल (एफ्लूएन्ट) शोधन संयंत्र और खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र स्थापना की सुविधा प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, गड्ढों/खदान स्थलों में अपशिष्ट के रूप में पड़े रहने वाले खनिज सहित कुछ औद्योगिक अपशिष्टों के मूल्य-वर्धन का भी प्रयास किया जाएगा।

4. भूमि

- 4.1 (क)** प्रत्येक जिले में न्यूनतम 200-500 एकड़ भूमि के अधिग्रहण द्वारा भूमि बैंक का निर्माण करने और उसे बुनियादी औद्योगिक मूलभूत सुविधाओं के प्रावधान के साथ औद्योगिक संपदा के रूप में सीमांकन करने के प्रयास किए जाएँगे।

(ख) सरकारी ज़मीन अथवा सामान्य भूमि, अधिकांशतः बेकार और ऊसर भूमि, को राज्य के विभिन्न भागों में चिन्हित कर पहचान करने और उसका उपयोग करने के लिए व्यापक अभ्यास शुरू किया जाएगा।

4.2 कुछ औद्योगिक इकाइयाँ (केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, राज्य सरकार के उपक्रम और निजी उद्यम) जिन्हें पहले भूमि आबंटित की गई दशकों से अतिरिक्त भूमि रोके रखने का प्रयास कर रही हैं। झारखंड जैसे अनुसूचित-V राज्य में, इन उद्योगों की वास्तविक आवश्यकता के पुनर्मूल्यांकन की ज़रूरत है और जहाँ भी वांछित हो, उनकी आवश्यकता से अधिक भूमि और उसका उपयोग आबंटित किए गए उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा है, सरकार द्वारा वापस ले ली जाएगी और भूमि बैंक बनाने के लिए ऐसी अधिशेष भूमि की विस्तृत सूची तैयार की जाएगी। यह राज्य को, निवेशकों के लिए आवश्यकतानुसार आसानी से भूमि की पेशकश करने में सक्षम बनाएगा।

4.3 परियोजना के लिए भूमि की वास्तविक आवश्यकता जानने के लिए, उद्योगों की स्थापना हेतु निवेशकों के परियोजना प्रस्तावों की अच्छी तरह छानबीन की जाएगी।

4.4 (क) औद्योगिक उद्यमों के लिए भूमि अधिग्रहण, यानी स्वैच्छिक या अनैच्छिक, भारतीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम-1894 और झारखंड स्वैच्छिक भूमि अधिग्रहण नियम-2010 के तहत प्रावधानों/प्रयोज्यता के अनुसार किए जाएँगे।

(ख) औद्योगिक उद्यमों के लिए भूमि की प्रत्यक्ष खरीद सी0एन0टी0/एस0पी0टी0 अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत की जाएगी।

(ग) जहाँ भी प्रयोज्य हों, वहाँ (क) और (ख) में अनुसूची क्षेत्र अधिनियम (पी0ई0एस0ए0) के प्रावधान लागू होंगे।

(घ) राजस्व और भूमि सुधार विभाग एक समयबद्ध तरीके से उपर्युक्त भूमि अधिग्रहण शीघ्रता से निपटाने के लिए बाध्य होगा।

(ङ) प्रस्ताव के निष्पादन के लिए राजस्व और भूमि सुधार विभाग 4.4 (क) और (ख) में प्रावधानों के अनुसार एक विस्तृत समय-सीमा तैयार करेगा। विभिन्न प्रस्तावों की स्थिति के विवरण विभाग का वेबसाइट पर रखा जाएगा।

4.6 निवेश करने वाले औद्योगिक उद्यमों को जी0एम0 भूमि या सरकारी भूमि केवल उसी स्थिति में हस्तांतरित की जा सकती है, जब अधिकांश रैयत तथा अन्य प्रकार की भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की गई हो।

- 4.7 निवेश करने वाले औद्योगिक उद्यमों को जी0एम0 भूमि, राजस्व और भूमि सुधार विभाग द्वारा अधिसूचित निर्दिष्ट नियम और शर्तों पर, पट्टे के दो बार नवीकरण के प्रावधान के साथ 30 साल के लिए पट्टे पर दी जा सकती है। तथापि, हस्तांतरण के 5 साल के अंदर भूमि का उस प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाएगा जिसके लिए वह आबंटित की गई है।
- 4.8 कृषि भूमि के औद्योगिक प्रयोजन के लिए रूपांतरण के मामले में किराए और हस्तांतरण से संबंधित प्रचलित राजस्व नियम लागू होंगे।
- 4.9 (क) दोहरी फसली अथवा अधिक उपजाऊ कृषि भूमि का उपयोग करने से बचने और विस्थापन को न्यूनतम करने के सभी प्रयास किए जाएँगे।
- (ख) राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 की धारा "2' के तहत भारत सरकार से पूर्व अनुमोदन लेने के बाद, जहाँ आवश्यक हो, बागान विकास/पर्यटन प्रयोजनों के लिए अपशिष्ट भूमि/निम्नीकृत वन भूमि लंबी अवधि के लिए पट्टा आधार पर उपलब्ध कराई जा सकती है, जो वन आधारित/पर्यटन उद्योगों को प्रोत्साहित करेगी।
- 4.10 सरकार नए उपयुक्त स्थान में भूमि अधिग्रहण का प्रयास करेगी और विशिष्ट तथा सामान्य उद्योगों के लिए मूलभूत सुविधाओं का विकास सुनिश्चित करेगी।

5. खदान

- 5.1 औद्योगिक उद्यमों को, जिन्होंने कच्चे माल के मूल्य-वर्द्धन के लिए राज्य में अपने संयंत्र लगाए हैं, प्राथमिकता आधार पर खदानें/वशीकृत (कैप्टिव) खदानें आबंटित करना प्रस्तावित है।
- 5.2 खनन पट्टा प्रदान करने के मामले में, राज्य के बाहर स्थित उद्योगों की तुलना में, राज्य सरकार के लिए पूर्व में पर्याप्त रोजगार और राजस्व संसाधन उपलब्ध कराने वाले संभावित रूप से व्यवहार्य रुग्ण इकाइयों को वरीयता दी जाएगी।
- 5.3 उन उद्योगों के मामलों की समीक्षा करना प्रस्तावित है, जिन्हें खदान आबंटित की जा चुकी हैं लेकिन संयंत्रों को स्थापित नहीं किया है या जहाँ पट्टे पर प्रदत्त खदान की धारणा क्षमता संयंत्र की आवश्यकता से अधिक है, और यदि आवश्यक हो, तो आबंटित खदान को रद्द करने या पट्टे पर प्रदत्त कच्चे माल की मात्रा में कटौती करने के लिए कदम उठाए जाएँगे।
- 5.4 खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा राज्य के खनिज आधारित उद्योगों द्वारा वांछित कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता के लिए एक उपयुक्त पद्धति तैयार की जाएगी।

5.5 (क) खान एवं भूतत्व विभाग, खानों के लाइसेंस/पट्टा संबंधी आवेदन के समयबद्ध निपटारा के लिए एक पारदर्शी वेब आधारित पद्धति तैयार करेगा।

(ख) खनन पट्टे को अंतिम रूप देना और उसे प्रदान करने का कार्य, किरायेदारी कानूनों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

5.6 राज्य के जरूरतमंद उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति हेतु इन खानों का विकास करने के लिए एमएसएमई के समूह सहित पर्याप्त वित्तीय संभाव्यता वाली औद्योगिक इकाइयों को अन्य कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम शुरू करने में सक्षम बनाने के लिए अधिक लौह अयस्क और कोयले की खानें आदि, झारखंड राज्य खनिज विकास निगम (जे0एस0एम0डी0सी0) को आबंटित करने के प्रयास भी किए जाएंगे।

5.7 सभी संबंधित एजेंसियों से परामर्श करते हुए राज्य की प्रमुख खानों के लिए रेलवे संजाल और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास की व्यापक योजना तैयार की जाएगी।

6. जल

6.1 राज्य में सामान्यतया 1200-1400 मि0मी0 वर्षा सभी क्षेत्रों में होती है और पूरे राज्य में विशाल संख्या में जल निकाय, जलाशय और नदी घाटियाँ हैं, जो औद्योगिक उपयोग के लिए भी उपलब्ध हैं। जल की वास्तविक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक ताजा सर्वेक्षण किया जाना प्रस्तावित है।

6.2 इस दुर्लभ संसाधन का तर्कसंगत उपयोग करने, न्यूनतम जल की खपत करने वाली प्रौद्योगिकियों को अपनाने तथा उद्योगों में व्यवहृत/अपशिष्ट जल के उपयोग के पश्चात् पुनर्उपयोग द्वारा अपेक्षित जल का प्रतिशत निर्धारित करने की आवश्यकता हेतु उचित उपायों के कार्यान्वयन के लिए निवेशकों पर प्रभाव डालने के प्रयास किए जाएंगे।

6.3 जल आपूर्ति योजना तैयार करने के प्रयास किए जाएंगे। विलवणीकरण (डिसेलिनेशन) संयंत्रों और उद्योगों को पुनःचक्रित तथा उपचारित अपशिष्ट जल की आपूर्ति की संभाव्यता का पता लगाया जाएगा। सरकार आई0ए0डी0ए0/विशेष प्रयोजन वाहन (एस0पी0वी0) आदि के माध्यम से उद्योगों के लिए विशाल जल आपूर्ति योजनाओं को कार्यान्वित करने तथा सुविधा देने का प्रयास करेगी।

6.4 विभेदक (डिफरेंशियल) जल दर-सूची की संकल्पना प्रस्तुत की जा रही है:

(क) औद्योगिक जल की खपत को न्यूनतम करने वाले तथा किसी भी नियामक निकाय/प्राधिकारी/राष्ट्रीय मानकों द्वारा निर्धारित मानदण्ड की तुलना में, यथा संभव कम उपयोग करने वाले

- उद्योगों और अपनी खपत के लिए बाढ़ के पानी का उपयोग करने हेतु साधनों/पद्धतियों का आविष्कार करने वाले उद्योगों के लिए भी कम शुल्क।
- (ख) राष्ट्रीय मानकों या नियामक संस्था/प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मानकों द्वारा निर्दिष्ट औसत मानदण्ड की तुलना में अधिक जल की खपत करने वाले उद्योगों के लिए उच्च शुल्क।
- (ग) आबंटन के स्रोत (प्राकृतिक नदी स्रोत, सरकारी स्वामित्व वाले जल भंडार, नहर आदि) और साथ ही, कच्चे माल के रूप में जल की खपत के संदर्भ में भी विभेदक जल शुल्क प्रस्तुत किया जा रहा है।
- 6.5 उद्योग विभाग, ऊर्जा विभाग और अन्य विभागों के परामर्श से, जल संसाधन विभाग द्वारा उद्योगों/विद्युत संयंत्रों आदि को जल आबंटन की आवधिक समीक्षा की जाएगी और तत्काल भावी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वास्तविक आवश्यकता के अनुसार जल का कम आबंटन/अनाबंटन/पुनःआबंटन किया जाएगा।
- 6.6 (क) वर्षा जल संचयन, पुनर्चक्रण, और अपशिष्ट जल का पुनः प्रयोग उद्योगों के लिए आवश्यक होगा। एम0एस0एम0ई0 के अलावा अन्य उद्योगों के लिए, आइ0ए0डी0ए0 के प्रभुत्व क्षेत्र के बाहर इसके अनुपालन की निगरानी जल संसाधन विभाग द्वारा की जाएगी।
- (ख) औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (आइ0ए0डी0ए0) से बाहर एम0एस0एम0ई0 इकाइयों द्वारा स्वतः प्रमाणीकरण की अनुमति होगी।
- 6.7 जल संसाधन विभाग उद्योगों द्वारा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों/अंचलों में भूमिगत जल के उपयोग के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा।
- 6.8 गैर-मानसून अवधि के दौरान औद्योगिक जल की माँग को पूरा करने के लिए औद्योगिक इकाइयों द्वारा संग्रहण हस्तक्षेप को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- 6.9 औद्योगिक इकाइयों के लिए झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जे0एस0पी0सी0बी0) द्वारा निर्धारित निस्सरण मानदंड का अनुपालन आवश्यक होगा।
- 6.10 जल संसाधन विभाग द्वारा शीघ्र ही जल नीति तैयार कर प्रकाशित की जाएगी।

7. मूलभूत सुविधाएँ

- 7.1 राज्य सरकार द्वारा निवेशकों के लिए गुणवत्ता वाली बुनियादी सुविधाएँ यथा – सभी-मौसम के अनुकूल सड़क, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, पर्याप्त जल, रेलवे आदि के माध्यम से संयोजन उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएँगे।
- 7.2 राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पी0पी0पी0) के माध्यम से भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढाँचे के विकास को शीर्ष प्राथमिकता दी जाएगी। विद्युत, दूरसंचार, सड़कें, हवाई अड्डे, आईसीडी, प्रचालन तंत्र आदि में निजी निवेश के प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- 7.3 कार्य-स्थल तक पैदल जाने की अवधारणा को सुविधाजनक बनाने के लिए टाउनशिप तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए, औद्योगिक क्षेत्रों/संपदाओं/बड़े औद्योगिक क्षेत्र/ संगुटिका में 10% या अधिकतम 25 एकड़ भूमि विशेष रूप से रखी जाएगी।
- 7.4 बुनियादी ढाँचे के विकास की प्रक्रिया में, पूरे क्षेत्र के लिए एकीकृत पर्यावरण प्रबंधन योजना को अपनाते हुए जल निकाय, पारिस्थितिकी और हरियाली का उचित ध्यान रखा जाएगा।
- 7.5 राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के परिवहन के लिए समर्पित गलियारे बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएँगे। इस प्रयोजन के लिए रेल और परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार से मदद ली जाएगी।
- 7.6 लक्षित उद्योगों की आवश्यकता को ध्यान रखते हुए राज्य सरकार आंचलिक समूहों (कलस्टर) के विकास के लिए विशिष्ट उपाय करेगी। राज्य ने बी0ओ0टी0, बी0ओ0ओ0टी0 आदि की अवधारणा को पहले ही लागू करना शुरू कर दिया है और निजी निवेश या लोक निजी भागीदारी (पी0पी0पी0) के साथ मूलभूत सुविधाओं की परियोजनाओं के वित्त पोषण और संचालन के लिए व्यापक दिशा-निर्देश विकसित किए जाएँगे।
- 7.7 राज्य में खनन उद्योग को जोड़ती हुई व्यापक और सुविकसित रेलवे प्रणाली मौजूद है। राँची, बोकारो, धनबाद और जमशेदपुर में व्यापक माल वाहन/चालन सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इसके अलावा, किरिबुरु, लोहरदगा और सेंट्रल कोलफील्ड्स लि0 के सभी कोयला खदानों में अयस्क भारण सुविधाएँ उपलब्ध हैं।
- 7.8 कोडरमा – हज़ारीबाग – राँची, कोडरमा – गिरिडीह, देवघर – दुमका, बरही हज़ारीबाग तथा टोरी – लोहरदगा के बीच रेल सम्पर्क प्रदान करने का कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है।
- 7.9 (क) बरही-हज़ारीबाग-राँची-महुलिया-बहरागोरा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 33 को 4 लेन मार्ग बनाने का कार्य प्रगति पर है।
- (ख) राज्य की 1500 कि0मी0 सड़क का बी0ओ0टी0 (एन्यूनीटी) आधार पर सुधार करने के लिए सड़क निर्माण विभाग, झारखंड सरकार और आईएल एण्ड एफ0एस लिमिटेड ने संयुक्त रूप से

- झारखंड एक्सेलरेटेड रोड डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (जेएआरडीसीएल) की स्थापना की है। राँची – पतरातू – रामगढ़ सड़क, राँची रिंग रोड के हिस्से को छह लेन वाला बनाना, चाईबासा – कांद्रा – चौका रोड तथा आदित्यपुर – कांद्रा रोड का विकास इस योजना के अंतर्गत आच्छादित है और कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- (ग) संयोजकता में सुधार के लिए एन0एच0-2 को राज्य के उत्तर-पूर्वी हिस्से तथा जमशेदपुर में आदित्यपुर टॉल ब्रिज से जोड़ने वाली गोविन्दपुर-दुमका-साहेबगंज सड़क सहित अन्य कई योजनाएँ प्रगति पर हैं।
- (घ) हल्दिया, पारादीप और विकसित किए जा रहे धामरा पोर्ट से संपर्क जोड़ने के लिए राज्य सरकार भी अपने क्षेत्र में अपने सड़क नेटवर्क को मजबूत बना रही है।
- 7.10 राज्य की राजधानी राँची, नियमित हवाई सेवाओं के माध्यम से दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पटना के साथ जुड़ी हुई है। राँची हवाई अड्डे के उन्नयन का कार्य प्रगति पर है।
- 7.11 राज्य सरकार ने राँची में एयर कार्गो परिसर स्थापित करने के लिए कदम उठाया है। यह निर्यातोन्मुखी उद्योगों को बढ़ावा देगा, विशेष रूप से उन्हें जो उच्च मूल्य और नष्ट होने वाली वस्तुओं के क्षेत्र में परिचालन कर रहे हैं। पुष्पोत्पादन और बागवानी आधारित उद्योग इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
- 7.12 झारखंड भूमि से घिरा हुआ राज्य है। समुद्री बंदरगाह अधिगम्यता को सुविधाजनक बनाने के लिए साहेबगंज और राजमहल में गंगा नदी पर नौवहन के लिए आधारभूत संरचना पर भी विचार किया जा रहा है। राज्य सरकार के अनुसरण के परिणामस्वरूप, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा साहेबगंज पर पुल का निर्माण किया जाना है। इससे देश के उत्तर पूर्वी हिस्से के लिए एक गलियारा खुल जाएगा। आयात और निर्यात की सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार या तो हल्दिया पोर्ट या पारादीप बंदरगाह पर एक समर्पित लंगर डालने की जगह के लिए प्रयास करेगी।
- 7.13 (क) झारखंड राज्य सूचना और संचार नेटवर्क (झारनेट), 22 जिलों, 35 उपखंडों और 212 खंडों के मुख्यालयों को राज्य के मुख्यालय के साथ जोड़ने वाला, अत्याधुनिक संचार नेटवर्क है। झारनेट एक ब्रॉडबैंड आईपी आधारित ई-गवर्नेंस नेटवर्क है, जो राज्य भर में अंतरण के लिए एक सुरक्षित मंच प्रदान करता है। कोषागार, वाणिज्य कर, भूमि पंजीकरण विभाग, भविष्य निधि, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण-पत्र आदि पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत हैं और कई अन्य कार्य प्रगति पर हैं। वाणिज्य कर विभाग के कम्प्यूटरीकरण होने से व्यापार और उद्योग क्षेत्र के लिए विवरणी दाखिल करना, ई-भुगतान, पंजीकरण आदि सुविधाजनक होगा।

(ख) 10 सरकारी विभागों में ई-प्राप्ति (प्रोक्योरमेंट प्रणाली) शुरू किया जा चुका है। यह विदेश से इच्छुक निविदाकर्ताओं को विनिर्दिष्ट समय में निविदा प्रक्रिया में भाग लेने में सक्षम बनाएगा।

(ग) राज्य सरकार ने राज्य भर में ऑप्टिकल फाइबर लिंकेज स्थापित करने की परिकल्पना की है। सभी प्रखंड मुख्यालयों और पंचायतों को ब्रॉड बैंड कनेक्शन उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक विभिन्न दूरसंचार कंपनियों द्वारा लगभग 2200 कि०मी० ऑप्टिकल फाइबर लिंकेज स्थापित किया जा चुका है। इंटरनेट और मोबाइल उपयोगकर्ताओं की संख्या क्रमशः लगभग 4.7 लाख और 100.05 लाख है।

यूआईडी योजना में भी महत्वपूर्ण प्रगति की गई है और लगभग 4 लाख शहरी आबादी और 25 लाख ग्रामीण आबादी पहले से ही आवृत्त की जा चुकी है।

7.14 ग्रीन फील्ड टेक्सटाइल/एपैरल पार्क और आई०टी०-आई०टी०ई०एस०/बायो टेक्नॉलोजी पार्क के अंतर्गत सामान्य आधारभूत संरचना विकास के लिए अनुदान दिया जाएगा।

8. मानव संसाधन विकास

8.1 आगामी उद्योगों हेतु राज्य में आ रहे उद्योगों के लिए मानव संसाधन (तकनीकी) की भारी आवश्यकता होगी। इसीलिए, नए तकनीकी संस्थानों को प्रोत्साहित करने, मौजूदा संस्थानों को अद्यतन करने, और उद्योग-संस्थान संयोजनों को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे।

8.2 इस समय राज्य में आधा दर्जन से अधिक सुव्यवस्थित इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जो कि इंजीनियरिंग की लगभग सभी महत्वपूर्ण शाखाओं में तकनीकी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और इतनी ही संख्या में ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जो कि अभी अपने प्रारंभिक अवस्था में हैं। इसी तरह राज्य में 13 सरकारी पॉलिटेक्निक हैं और ऐसे ही 17 अन्य पॉलिटेक्निक को स्थापित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। भारत सरकार की मिनी टूल रूम योजनाओं के अंतर्गत राँची एवं दुमका में टूल रूम की स्थापना की गई है।

एक तकनीकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है और निजी विश्वविद्यालय अधिनियम शीघ्र ही लागू हो जाएगा।

8.3 राज्य सरकार वर्तमान एवं स्थापित हो रहे इंजीनियरिंग कॉलेजों/पॉलिटेक्निक/ आई०टी०आई० विद्यालयों को पीपीपी प्रणाली के अंतर्गत प्रबंधन के लिए सक्षम शैक्षिक/औद्योगिक समूहों को

हस्तांतरित करने के लिए इच्छुक है, ताकि झारखंड राज्य में उद्योगों हेतु योग्य एवं कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता की पूर्ति आसानी से हो सकेगी।

इस योजना के तहत, उद्यमियों को मौजूदा भवन, प्रयोगशालाएँ, कार्यशालाएँ, उपकरण आदि हस्तांतरित करने का प्रस्ताव है जिससे यथासंभव कम समय में, बिना किसी परेशानी के संस्थान का उन्नयन सुविधाजनक तरीके से हो सके।

8.4 निजी क्षेत्र में तकनीकी/शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना को सुगम बनाने के लिए सरकार द्वारा इच्छुक निवेशकों को ऐसे संस्थानों हेतु भूमि प्रदान करने का प्रस्ताव है। सरकारी भूमि की गैर-उपलब्धता की स्थिति में, उस विशेष क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दर पर संस्थान की स्थापना करने वाली एजेंसी को भूमि की लागत के 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जाएगी। ऐसे संस्थानों को आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का सहयोग देने के प्रयास भी किए जाएंगे।

8.5 इच्छुक संस्थानों/निवेशकों के द्वारा उक्त क्षेत्र में राष्ट्रीय संस्थानों यथा-एम0सी0आई0/ए0आई0सी0टी0ई0 एवं अन्य के द्वारा निर्धारित माप दण्डों के अन्तर्गत मेडिकल कॉलेज, निजी विश्वविद्यालय (जिसमें 30 प्रतिशत नामांकन व्यावसायिक एवं नियोजन आधारित कोर्स) की स्थापना करने पर उद्योग का दर्जा दिया जायगा। इन संस्थाओं के द्वारा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर 25 प्रतिशत सीटें राज्य के निवासियों के नामांकन हेतु आरक्षित करने की अनिवार्यता होगी। यद्यपि ये संस्थाएं इस नीति के अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन की हकदार नहीं होंगी, परन्तु संबंधित विभागों के द्वारा की जाने वाली सुविधा प्राप्त कर सकती है।

8.6 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य जैसे संबद्ध विभागों द्वारा अपने प्रस्तावों के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत एवं अलग-अलग दिशानिर्देश की प्रस्तुति की जाएगी।

9. कौशल विकास (स्किल डेवलपमेंट)

9.1 उद्योग एवं व्यापार के उपयोगार्थ कुशल जनशक्ति का विकास एक प्रमुख क्षेत्र है। उभरते कौशल समूहों में कौशल उन्नयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

9.2 राज्य सरकार का यह प्रयास रहेगा कि बाजार संचालित दृष्टिकोण के माध्यम से कौशल विकास हेतु निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा दिया जाए।

9.3 महिलाओं के कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा ताकि उनके लिए रोजगार पाने के अवसर बढ़ें।

9.4 विशिष्ट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई0टी0आई0) ऐसी जगहों पर स्थापित किए जाएंगे, जहां विशेषज्ञ कामगार अधिक संख्या में उपलब्ध हों।

- 9.5 सामग्री संचालन, मशीन परिचालन और रख-रखाव, भट्टी संचालन और रख-रखाव, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, नलसाजी, रत्न काटने और चमकाने, विद्युत इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में बहु-कौशल की प्रस्तुति हेतु एक विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। व्यावहारिक प्रशिक्षण सहित पाठ्यक्रम रूप-रेखा तय करने का और संचालन में उद्योगों को शामिल किया जाएगा।
- 9.6 उद्योग के लिए आवश्यक कौशलों का पता लगाने और प्रशिक्षण देने वाले संस्थानों में ऐसे कौशल के विकास के लिए उद्योग-संस्थान के बीच पारस्परिक विचार-विमर्श को प्रोत्साहित किया जाना प्रस्तावित है।
- 9.7 इमपॉवर, ग्राम तरंग जैसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के मौजूदा भागीदारों की सेवाओं का उपयोग कर बेरोजगार/कम रोजगार वाले युवाओं के कौशल का विकास किया जाना प्रस्तावित है। एनएसडीसी द्वारा वित्त पोषित इन व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं से लाभ यह है कि उचित निगरानी से लाभुक बेरोजगार/कम रोजगार/स्वरोजगार वाले युवाओं की बढ़ी आय से कौशल विकास कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करना संभव होगा।

10. उद्यमशीलता विकास (इन्टरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट)

- 10.1 संरचित कार्यक्रमों एवं योजनाओं के माध्यम से उद्यमशील गुणों को अंतर्निविष्ट करने के प्रयास किए जाएँगे जिनमें निम्नलिखित शामिल होंगे:
- (क) राज्य में उद्यमशीलता के सुअवसरों का उपयोग करने का पता लगाने के लिए एक प्रतिष्ठित सलाहकार की सेवाएँ प्राप्त करना।
- (ख) एक उद्यमशीलता विकास संस्थान की स्थापना और विभिन्न उपायों के जरिए इसे मजबूत बनाना। उपायों में सरकारी सहयोग सहित राष्ट्र स्तरीय उद्यमशील संस्थानों के साथ रणनीतिक गठजोड़ एवं उद्योग, तकनीकी एवं पेशेवर संस्थान, अनुसंधान व विकास, नाबार्ड, बैंक, पी0पी0पी0 उपक्रमों आदि के साथ संयोजन शामिल है।
- 10.2 प्रतिष्ठित संस्थान से उद्यमशीलता पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को शुल्क के 50 प्रतिशत की (छह माह के उद्यमशीलता पाठ्यक्रम हेतु अधिकतम रु0 50,000 और 1 वर्ष के पाठ्यक्रम हेतु अधिकतम रु0 100,000 की सीमा) प्रतिपूर्ति विशेष प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाएगी। समय-समय पर सरकार ऐसे संस्थानों को अधिसूचित करेगी।

- 10.3 औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (आई0ए0डी0ए0) उद्यमियों के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करेगा। प्रशिक्षण पाने वाले उद्यमियों के लिए आई0ए0डी0ए0 इन्टरैक्टिव कार्यक्रम का आयोजन करेगा जिसमें उद्यमियों के सामने आने वाली संभावित समस्याओं के समाधान के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
- 10.4 एक्स0एल0आर0आई0, जमशेदपुर में उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम पहले से ही शुरू हो चुका है और प्रशिक्षुओं के दूसरे बैच को प्रशिक्षित किया जा रहा है। कार्यक्रम आगे भी जारी रखना प्रस्तावित है।

11. इन्क्यूवेशन केंद्र (इनक्यूवेशन सेंटर)

(क) युवाओं द्वारा नए खोज को प्रोत्साहित करने एवं ज्ञान आधारित व उच्च तकनीक वाले उत्पादों के विकास के लिए राज्य में इन्क्यूवेशन केंद्र स्थापित करने के लिए राष्ट्र स्तरीय अनुसंधान एवं विकास केंद्र एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रमुख संस्थानों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

(ख) व्यापक व्यवसाय विकास एवं पेशेवर सेवाओं को एकीकृत करने के लिए और वैश्विक ज्ञान के नेटवर्क तक पहुँच प्रदान करते हुए, उच्च प्रौद्योगिकी कार्यों के विकास एवं समर्थन के लिए आई0आई0एम0, राँची एवं एक्स0एल0आर0आई0, जमशेदपुर के सहयोग से उच्च तकनीक आधारित व्यापार विकास केन्द्र स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा।

(ग) उद्यमियों को कृषि प्रौद्योगिकियों के परिपाक (एग्री विजनेस इनक्यूवेटर) का सुअवसर प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड (एन0एस0टी0ई0डी0बी0), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं झारखंड सरकार के सहयोग से उद्यमियों को कृषि तकनीक आधारित इन्क्यूवेटर की स्थापना प्रस्तावित है, ताकि वे (i) कृषि-व्यवसाय कार्य, (ii) व्यवसाय परामर्श (iii) वित्त की सुविधा प्रदान करने (iv) आधारभूत संरचना एवं सुविधाओं तक पहुँच हासिल करने के लिए प्रभावशाली बन सकें।

12. औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

- 12.1 औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (आई0ए0डी0ए0), अपने अधीन क्षेत्र के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण एवं सड़क, नाले, पार्क, जल आपूर्ति एवं अपने नियंत्रणाधीन औद्योगिक क्षेत्र में सार्वजनिक सुविधाओं के विकास जैसी आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं के लिए जिम्मेवार होगा।

उद्यमियों को अपनी औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए, नवीनीकरण की सुविधा के साथ वार्षिक किराए पर 30 वर्ष के पट्टे सहित औद्योगिक क्षेत्र में भूमि/शेड, आदि आबंटित किए जाएँगे। इस

प्रकार आबंटित भूमि के लिए देय किराया प्रत्येक 10 वर्षों के बाद संशोधन किया जा सकेगा। औद्योगिक इकाई स्थापित करने के उद्देश्य से आबंटित भूमि/शेड का उपयोग सिर्फ उस उद्देश्य के लिए ही मान्य होगा जिसके लिए भूमि को पट्टे पर दिया गया है, किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि भूमि का आबंटन वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया गया है। तथापि, पट्टा विलेख के नियम व शर्तों का निर्धारण किया जाएगा।

- 12.2 राज्य के प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (आई0ए0डी0ए0) द्वारा 12.1 में उल्लिखित औद्योगिक उद्यमों के लिए कम से कम 1000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने और पर्याप्त बुनियादी सुविधाएँ एवं अन्य सुविधाओं का विकास करने का प्रयास किया जाएगा।
- 12.3 नई औद्योगिक इस्टेट, पार्क आदि के संबंध में, आई0ए0डी0ए0 एक व्यापक लैंड जोनिंग प्लान (भूमि की जोनिंग) पर कार्य करेगा, और यथा संभव मौजूदा औद्योगिक संपदाओं के क्षेत्र योजना का दायित्व सँभालेगा। किसी खास क्षेत्र में एक समान उत्पादन/उत्पाद वाले एक जैसे विशेष उद्योगों को समूहीकृत किया जाएगा।
- 12.4 औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अपने कमान्ड क्षेत्र के उद्यमों के लिए ज्ञान केंद्र और सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करेगा।
- 12.5 औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार द्वारा सृजित राजस्व का 5 % अपने कमाण्ड क्षेत्र में कौशल विकास/उद्यमिता विकास/भूमि गंवाने वालों के आपदा एवं खतरे के प्रबंधन के लिए कौशल विकास पर खर्च के उद्देश्य से अलग रखा जाएगा, ताकि भूमि गंवाने वाले एवं उनके बच्चे समुचित कौशल हासिल कर इस औद्योगिक क्षेत्र या किसी अन्य जगह पर लाभदायक रोजगार प्राप्त कर सकें।
- 12.6 कम से कम 40 प्रतिशत भूमि मौजूदा आई0ए0डी0ए0 या आने वाले आई0ए0डी0ए0, औद्योगिक इस्टेट/क्षेत्र /पार्क/निजी औद्योगिक क्षेत्र आदि में छोटे और लघु उद्यमों के लिए आरक्षित होगी।
- 12.7 किसी नए औद्योगिक क्षेत्र में 10% आबंटन योग्य उपलब्ध भूमि ऐसे भूमि गवाँने वालों (इस औद्योगिक नीति की अवधि के दौरान अधिगृहीत भूमि) के लिए अलग से रखी जाएगी जिन्होंने एक एकड़ या उससे अधिक की भूमि गवाँयी है। ऐसे भूमि गवाँने वालों को उद्योग स्थापित करने के लिए प्रचलित दर पर भूमि प्रदान की जाएगी बशर्ते कि भूमि उपलब्ध हो और वे अन्य पात्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।
- 12.8 आई0ए0डी0ए0 सभी आबंटित भूखंडों की उपयोगिता का पता लगाने के लिए वार्षिक निरीक्षण करेगा। निरीक्षण दल द्वारा एकत्रित विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर प्रस्तुत की जाएगी। ऐसे उद्यमियों के मामलों में, जो भूखंडों का उपयोग नहीं कर रहे हैं या अपर्याप्त ढंग से भूखंडों का उपयोग उस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं जिसके लिए आबंटन किया गया था, ऐसे आबंटन को निरस्त करने पर विचार किया जा सकता है या भूमि की लागत के बराबर जुर्माना लगाया जा सकता है। औद्योगिक क्षेत्र में भूमि के आबंटन

के बाद यदि आबंटनी द्वारा निर्धारित समय के भीतर (सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के लिए 2 वर्ष एवं अन्य उद्यमों के लिए 5 वर्ष) पूर्णतया कार्यात्मक उद्योग नहीं लगाया जाता है, तो भूमि का आबंटन निरस्त कर दिया जाएगा।

12.9 पट्टाधारक द्वारा पट्टे की शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में, प्राधिकार, भूमि मूल्य की वापसी किए बिना ही पट्टाधारक के पट्टा अधिकार को निरस्त कर सकता है।

12.10 बंधक भूमि सहित भूमि का स्वामित्व, हमेशा प्राधिकार के पास रहेगा। भूमि-मूल्य जिसमें विकास प्रभार भी शामिल है, अपरक्राम्य रहेगा और हमेशा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

12.11.1 (i) पट्टेदाता द्वारा पट्टेदार की अनुसूचित संपत्ति के पट्टाधारी अधिकारों को पट्टे के प्रभावी अवधि के दौरान पट्टेदार द्वारा अचिन्हित नए उद्यमी के पक्ष में निम्नलिखित शर्तों के आधार पर हस्तांतरण के आग्रह पर विचार कर सकता है।

(क) पट्टेदार ने पट्टे की सभी निर्धारित अपेक्षाओं की पूर्ति की है और पट्टे में निहित किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है।

(ख) पट्टेदार ने आई0ए0डी0ए0 द्वारा अनुमोदित परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार पट्टाधृत क्षेत्र का उपयोग किया है।

(ग) पट्टेदार पर सरकारी या वित्तीय संस्थानों की कोई वैधानिक, विधिक या वित्तीय देयता बाकी नहीं है।

(घ) नए उद्यमी के पास जिसे पट्टेदार अपना पट्टाधिकार हस्तांतरित करना चाहता है। भूमि के उपलब्ध भूखंड पर निष्पादन के लिए व्यवहार्य/संभाव्य/कार्यान्वयन योग्य परियोजना होनी चाहिए।

(ङ) भूमि का भूखंड हर तरह के ऋण भार से मुक्त होना चाहिए।

12.11.2 एम0एस0एम0ई0 के लिए भूमि के वर्तमान मूल्य का न्यूनतम 15% एवं अन्य से 25% हस्तांतरण शुल्क के रूप में वसूला जाएगा और ऐसे हस्तांतरण से संबंधित सभी विचाराधीन व्यय, जिसमें सभी सांविधिक एवं सरकारी बकाया राशि का भुगतान शामिल है, उस नए उद्यमी को वहन करना होगा, जिसे पट्टेदार अपना पट्टाधिकार हस्तांतरित करना चाहता है।

12.12.1 पट्टेदाता निम्नलिखित शर्तों पर पट्टेदार द्वारा स्वेच्छा से अनुसूचित संपत्ति के प्रत्यर्पण को स्वीकार कर सकता है।

(क) पट्टेदार ने पट्टे की सभी निर्धारित अपेक्षाओं की पूर्ति की है और पट्टे में निहित किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है।

(ख) पट्टेदार ने पट्टाधृत क्षेत्र का आई0ए0डी0ए0 द्वारा अनुमोदित परियोजना रिपोर्ट के अनुसार उपयोग किया है।

(ग) पट्टेदार पर इस भूखंड के प्रति कोई सरकारी या वित्तीय संस्थानों की कोई वैधानिक, विधिक या वित्तीय दायित्व नहीं है।

(घ) भूमि का भूखंड हर तरह के ऋण भार से मुक्त होना चाहिए।

12.12.2 किसी छोटे उद्यम द्वारा आबंटन के एक वर्ष के भीतर भूखंड के स्वैच्छिक प्रत्यर्पण के मामले में, कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा, भले ही उक्त इकाई ने संयंत्र एवं उपकरण की स्थापना में कोई प्रगति न की हो। तथापि प्राधिकरण द्वारा आबंटन किए जाने के 1 वर्ष के बाद और 5 वर्षों तक भूखंड के प्रत्यर्पण के दौरान भूखण्ड के वर्तमान मूल्य का एमएसएमई से 2% और अन्य से 5% जुर्माने की वसूली की जाएगी।

12.13 पट्टेदार की मृत्यु होने की स्थिति में, जिस व्यक्ति को उत्तराधिकारी या अन्यथा अधिकार हस्तांतरित किया जाएगा, वह पट्टादाता को इस प्रकार मृत्यु के तीन महीने के भीतर नोटिस देकर सूचित करेगा। उत्तरजीवी या संबद्ध आबंटिती के उत्तराधिकारी उसी तरह संपत्ति पर पट्टा-स्वत्वाधिकार करेंगे जिस प्रकार अनुसूचित संपत्ति पर मूल आबंटिती का स्वत्वाधिकार था, लेकिन केवल दावेदारी और पट्टादाता द्वारा विरोधी दावेदारी के निर्धारण के बाद। यदि दावेदारी एवं विरोधी दावेदारी जटिल प्रकृति के हैं, तो पट्टादाता को अधिकार होगा कि दावेदारी एवं विरोधी दावेदारी के अधिनिर्णय के प्रयोजन हेतु मामले को सक्षम दीवानी अदालत में ले जाए।

12.14 अनुसूचित संपत्ति में स्थापित की जाने वाली औद्योगिक इकाइयों में गैर तकनीकी एवं तकनीकी जनशक्ति को नियुक्त करते समय, पट्टेदार के लिए जरूरी है कि झारखंड के सामान्य निवासियों को, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने कक्षा 9 के बाद से न्यूनतम चार वर्ष की अवधि तक पढाई की है, गैर तकनीकी श्रेणी में न्यूनतम 50% और तकनीकी श्रेणी में न्यूनतम 25% लोगों को रोजगार मुहैया कराए।

12.15 हस्तांतरण, स्वामित्व परिवर्तन, पट्टाधृत भूखंड का प्रत्यर्पण के सभी मामलों में, 1 एकड़ तक के भू-क्षेत्र के लिए रु0 10,000 और एक एकड़ से अधिक भू-क्षेत्र के लिए अतिरिक्त रु0 2,000 प्रति एकड़ प्रसंस्करण शुल्क देय होगा।

12.16 आईएडीए द्वारा हस्तांतरण, स्वामित्व परिवर्तन, उपयुक्त पट्टा विलेख एवं समय-समय पर वसूले जाने वाले पट्टा किराया, विकास शुल्क, रखरखाव शुल्क आदि सहित भूखंडों के आबंटन की विस्तृत पारदर्शी एवं उद्देश्य नीति तैयार की जाएगी।

12.17 राज्य की प्रचलित पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना (आर0एंड0आर0) नीति लागू होगी।

12.18 तीव्र से औद्योगीकरण हेतु बरही में 350 एकड़ भूमि पर मेगा ग्रोथ सेंटर स्थापित करने के लिए आधुनिक अवसंरचनात्मक सुविधाओं के साथ विकास कार्य शुरू किया गया है। ग्रोथ सेंटर का विकास प्रतिस्पर्धा निविदा पर प्रस्तावित है।

इसी प्रकार देवघर जिले के अंतर्गत देवीपुर औद्योगिक इस्टेट के लिए 547 एकड़ भूमि उपलब्ध है। इस पर शीघ्र ही कार्यान्वयन शुरू हो जाएगा।

12.19 औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार द्वारा अपने कमान्ड क्षेत्र के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों में वर्षा जल संचयन, तूफान जल संचयन और जल का पुनर्चक्रण एवं अपशिष्ट पुनरुपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।

12.20 औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा अपने कमान्ड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली इकाइयों के औद्योगिक उद्देश्यों के लिए पेयजल एवं जल आपूर्ति की एक विस्तृत योजना तैयार की जाएगी।

13. नए निजी औद्योगिक क्षेत्रों / इस्टेट का विकास

13.1 (क) राज्य सरकार वित्तीय सहायता देकर कम से कम 75 एकड़ के निजी औद्योगिक इस्टेट की स्थापना/विकास को प्रोत्साहित करेगी। ऐसे निजी औद्योगिक इस्टेट के लिए विकासकों द्वारा भूमि का अधिगृहण की जानी चाहिए। इसके बदले में सरकार इस्टेट के लिए मूलभूत सुविधाओं के लिए सहयोग देगी। इस तरह के बुनियादी ढाँचे में मुख्यतः सड़क संरचना, पीने का पानी, बिजली की आपूर्ति आदि शामिल हैं।

(ख) इस तरह के निजी औद्योगिक इस्टेट का कम से कम 40% क्षेत्र निजी औद्योगिक निवेशकों द्वारा एम0एस0एम0ई0 की स्थापना के लिए चिन्हित होगा, जो औद्योगिक इस्टेट के विकासक से अलग होगा।

(ग) इस प्रकार के निजी औद्योगिक इस्टेट का स्वामित्व, रख-रखाव आदि विकासक के पास ही होगा।

(घ) औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, अपने संबंधित कमान्ड क्षेत्र के अंतर्गत निजी औद्योगिक इस्टेट का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करेगी।

(ङ) औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के अधिकार क्षेत्र के बाहर की निजी औद्योगिक इस्टेट का पर्यवेक्षण और नियंत्रण संबंधित जिला उद्योग केन्द्र द्वारा किया जाएगा।

13.2 इस तरह के औद्योगिक इस्टेट का विकास औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के साथ संयुक्त रूप से स्थापित करने की संभावनाओं का प्रयास किया जायेगा।

13.3 निजी विकासकों द्वारा औद्योगिक इस्टेट की स्थापना के परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाएगा तथा उसका अनुमोदन, अनुदान की मंजूरी/लाभ का निर्णय विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लिया जाएगा, जिसके सदस्य प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण, वित्त, जल संसाधन, ऊर्जा, योजना, उद्योग तथा निदेशक, उद्योग विभाग सदस्य-सचिव होंगे।

14. औद्योगिक गलियारा

(क) राज्य सरकार कोडरमा – बहरागोरा और राँची – पतरातू-रामगढ़ रोड पर दो औद्योगिक गलियारों को बढ़ावा देने/विकास करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

(ख) कोडरमा और बहरागोरा के बीच चार लेन के दोनो ओर 25 किलो मीटर तक गलियारा विकसित करने का प्रयास किया जाएगा।

(ग) यह औद्योगिक गलियारा बुनियादी सुविधाओं जैसे बिजली की सुविधा, रेल संपर्क, औद्योगिक इस्टेट, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र एवं कलस्टर जैसी उच्चतम आधारभूत संरचनाओं से परिपूर्ण होगा।

15. औद्योगिक पार्क

15.1 विशिष्ट प्रकृति की औद्योगिक गतिविधियों को उपयुक्त स्थान पर प्रोत्साहित करने के लिए, राज्य में क्षेत्र विशेष विशिष्ट औद्योगिक पार्क की परिकल्पना की गई है।

सरकारी, निजी, संयुक्त उद्यम या पीपीपी प्रणाली के तहत निम्नलिखित औद्योगिक पार्कों की स्थापना की योजना प्रस्तावित है।

- (i) परिधान फाइबर और टेक्सटाइल पार्क
- (ii) आई0टी0 पार्क/सॉफ्टवेयर टेक्नॉलोजी पार्क (एस0टी0पी0आई0)
- (iii) रत्न और आभूषण पार्क
- (iv) बायोटेक और हर्ब्स पार्क
- (v) केमिकल और फार्मास्युटिकल पार्क
- (vi) फुड पार्क
- (vii) ऑटोमोबाइल वेन्डर-अनुषंगी औद्योगिक पार्क
- (viii) अन्य गतिविधियाँ जैसे – सिरामिक पार्क, प्लास्टिक पार्क, नॉलेज पार्क, फ़िल्म सिटी आदि।

- 15.2 चूँकि उपर्युक्त सभी केंद्र इन्क्यूबेशन केंद्र की तरह कार्य कर सकते हैं, अतः विदेश और भारत में अनुसंधान और विकास परिदृश्य को ध्यान में रखकर इनमें से कुछ केन्द्रों को उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है।
- 15.3 उपरोक्त योजनाओं को भारत सरकार की योजना के अंतर्गत स्वीकृत कराने के प्रयास किए जाएँगे।
- 15.4 निजी औद्योगिक इस्टेट के लिए प्रस्तावित सभी सुविधाएँ और लाभ, निजी या पीपीपी मोड में विकसित उपरोक्त पार्कों को भी उपलब्ध होंगे।
- 15.5 अनुश्रवण और परियोजना स्वीकृति तथा लाभ की स्वीकृति उसी प्रकार होगी जैसा कि 13.1 और 13.3 में वर्णित है।

16. विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईज़ेड)

- 16.1 विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए और निर्यात को बढ़ाने के लिए विकास इंजन की तरह है। यह संकल्पना आई0टी0/ ऑटोमोबाइल/ रासायनिक— दवा तथा अन्य क्षेत्रों में लागू की जाएगी।
- 16.2 आदित्यपुर में प्रथम उत्पाद विशेष विशिष्ट ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट विशेष आर्थिक जोन की स्वीकृति मिल गई है तथा यह कार्यान्वयन में है।

17. कलस्टर विकास

- 17.1 (क) राज्य सरकार, भारत सरकार की मौजूदा योजनाओं के तहत उद्योगों के सामूहिक विकास को प्रोत्साहित करेगी।

(ख) राज्य सरकार, भारत सरकार के एम0एस0एम0ई0 मंत्रालय के लघु उद्योग कलस्टर विकास कार्यक्रम और आई0पी0पी0 निदेशालय के आई0आई0यूस0 योजनाओं के अंतर्गत, उद्योगों के सामूहिक विकास के लिए सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करेगी।

(ग) राज्य के औद्योगिक कलस्टरों में उद्योगों और सभी संबंधित विभागों/एजेंसियों की सहभागिता के साथ भारत सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हुए एक कलस्टर विकास कार्य योजना के माध्यम से बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता को बढ़ाया जाएगा। राज्य सरकार कलस्टर योजनाओं को, इसके प्रकार/संभाव्यता एवं गतिविधियों की अन्य कारकों को ध्यान में रखकर पूरक सहयोग और प्रदान करेगी।

(घ) राज्य सरकार ने 56 कलस्टरों की पहचान की है जिनमें रिफ़ैक्टरी कलस्टर, धनबाद; लघु सीमेंट कलस्टर, रामगढ़; कांसा—धातु समूह, बिष्णुगढ़, हज़ारीबाग और खुंटी; स्टील प्रसंस्करण समूह,

गिरिडीह, हार्ड कोक कलस्टर, धनबाद और फोर्जिंग तथा हैण्ड टूल कलस्टर, भेंद्रा, बोकारो शामिल हैं।

(ड) रेशम उत्पादन, हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र में पूर्व से ही कलस्टर के रूप में कार्यान्वित हो रहे हैं।

17.2 आदित्यपुर ऑटो कलस्टर रू0 65 करोड़ की कुल लागत पर कार्यान्वित की जा रही है। इसका लक्ष्य परीक्षण सुविधाओं का विकास एवं सी0ई0टी0पी और एच0डब्ल्यू0एम0एफ0 की स्थापना कर पर्यावरण सुधार करना है।

17.3 कलस्टर एस0पी0वी0 को भूमि की खरीद/आबंटन/अधिग्रहण के लिए जिला पदाधिकारी /प्रबंध निदेशक (आयडा, बियाडा, रियाडा एवं स्पीयाडा) तथा अन्य सरकारी एजेंसियों के माध्यम से आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।

18. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम0एस0एम0ई0)

18.1 एम0एस0एम0ई0 ने रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के अलावा देश के निर्माण और निर्यात में विशेष योगदान दिया है। इसे बढ़ावा देने के लिए निम्नांकित प्रोत्साहन दिए जायेंगे :-

(i) सरकारी विभाग और राज्य के स्वामित्व वाले लोक उपक्रम, निगम, बोर्ड, विकास प्राधिकार, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, नगरपालिकाएँ, अधिसूचित क्षेत्र की समितियाँ, सहकारी निकाय और राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्थान और कंपनियाँ, जिनमें सरकार का अंश 50 % या ज्यादा है, के द्वारा क्रय के मामले में झारखंड के सूक्ष्म और लघु उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं को मूल्य अधिमानता दी जाएगी।

(ii) स्थानीय सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एम0एस0ई0) के हितों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा एक विपणन नीति तैयार करने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित नीति के प्रावधानों में निम्नांकित शामिल हैं:-

(क) बिडिंग के लिए निविदा प्रपत्र निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।

(ख) अग्रधन जमाराशि (ई0एम0डी0) और प्रतिभूति जमा राशि (एस0डी0) की अदायगी से छूट।

(ग) सरकार के आदेश पर बिल डिसकाउन्टिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

(घ) 10% मूल्य वरीयता यानी जहाँ सूक्ष्म और लघु उद्यमों की निविदा एल 1 के 10% के अंदर हों (न्यूनतम निविदा दर), एक पूर्व निर्धारित पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से स्थानीय सूक्ष्म

और लघु उद्यमों को एल 1 पर आदेश का समुचित भाग (अधिकतम 20%) प्रस्तावित किया जा सकता है।

(iii) व्यापार मेलों, रोड शो के माध्यम से झारखंड के उद्यमों और संभाव्य घरेलू और वैश्विक बाज़ार के बीच बातचीत के लिए मंच उपलब्ध कराना।

(iv) एम0एस0ई0 को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि-मंडलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना।

(v) केवल एम0एस0एम0ई0 के उत्पादों के प्रदर्शन के लिए एक स्थाई प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र की स्थापना करना।

18.2 झारखंड सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद – स्थानीय एम0एस0ई0 को अपने गुणवत्ता वाले उत्पादों की बिक्री में आने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए एक अर्ध न्यायिक निकाय का गठन करना।

18.3.1 18.1 (ii) के अंतर्गत एम0एस0ई0 से खरीदी गई सामग्री के लिए पूरी आपूर्ति के 30 दिन के अंदर संपूर्ण भुगतान कराने का प्रयास किया जाएगा।

18.3.2 बिना मूल्य वरीयता सुविधा वाली राज्य की औद्योगिक इकाइयों, अन्यथा योग्य पाए जाने पर, निम्नतम दर (एल 1) पर, अपनी क्षमता के अनुसार, कार्यादेश के अधिकतम 50% तक, सरकारी विभागों और अन्य संस्थाओं (18.1 में किए गए उल्लेखानुसार) को अपने उत्पादों की आपूर्ति कर सकती हैं।

18.3.3 कच्चे माल का उत्पादन करने वाली इकाइयों को, ऐसे स्थानीय उद्योगों को खरीद में वरीयता देने के लिए राजी किया जाएगा, जिनका उत्पादन इस प्रकार के कच्चे माल पर निर्भर करता है। इसी प्रकार, राज्य में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निजी क्षेत्र के बड़े उद्योगों को, उनके द्वारा अपेक्षित कच्चे माल और अन्य मदों की खरीद के लिए, स्थानीय उद्योगों को खरीद में वरीयता देने के लिए राजी किया जाएगा। राज्य में उपलब्ध वनोपज की आपूर्ति में भी स्थानीय उद्योगों को वरीयता दी जाएगी।

18.4 एम0एस0एम0ई0 की प्रौद्योगिकी तथा डिज़ाइन संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी संस्थान से प्रत्येक क्लस्टर को जोड़ते हुए, लघु उद्योग और तकनीकी संस्थानों के बीच सहभागिता रिश्ता बनाया जाएगा।

18.5 एम0एस0एम0ई0 को माइक्रो वित्त संस्थानों, कच्चे माल, केंद्रित बाज़ार तक पहुँच आदि के साथ लिंकेज प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा।

18.6 क्लस्टर की एमएसएमई परियोजनाओं को मुख्यतः लोक निजी भागीदारी (पी0पी0पी0) के माध्यम से सामान्य सुविधा केंद्र (सी0एफ0सी0) उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया जाएगा।

18.7 भारत सरकार द्वारा संचालित एसाईड, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट योजना, एम0एस0एम0ई0 के लिए कलस्टर विकास कार्यक्रम, क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी योजना, प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना जैसी योजनाओं तथा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की अन्य कई प्रोत्साहन योजनाओं को राज्य के एम0एस0एम0 उद्यमों के लाभार्थ समुचित रूप से जोड़ा जाएगा। इन योजनाओं की उचित पूर्ति के प्रयास किए जाएँगे ताकि उद्यमियों को इन योजनाओं का अधिकतम लाभ मिल सके।

19. **मूल्य-संवर्धन (वैल्यू एडिशन)**

19.1 झारखंड राज्य खनिज, जंगल, बागवानी, जल संसाधन, आदि जैसे विशाल प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। इन संसाधनों के मूल्य-संवर्धन से राज्य का विकास तीव्र गति से हो सकेगा।

राज्य को कच्चे माल की उपलब्धता और औद्योगीकरण के आधार पर आठ मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है।

पलामू – गढ़वा : लौह अयस्क, डोलोमाइट, कोयला, ग्रेफाइट, चीनी मिट्टी और ग्रेनाइट के भण्डार।

लोहरदगा औद्योगिक क्षेत्र : बॉक्साइट भंडार पर आधारित अल्यूमीनियम उद्योग, / लातेहार विद्युत संयंत्र।

कोडरमा – हजारीबाग : माइका आधारित उद्योग, विद्युत, सीमेंट, काँच, एल्वॉय स्टील, दूरसंचार और रिफ़ैक्टरी, विद्युत संयंत्र।

राँची औद्योगिक क्षेत्र : मध्यम और वृहत उद्योग, आई0टी0 – आई0टी0ई0एस0, खाद्य प्रसंस्करण।

धनबाद – बोकारो औद्योगिक क्षेत्र : कोयला और स्टील, रिफ़ैक्ट्री, कोयला आधारित विद्युत संयंत्र।

सिंहभूम औद्योगिक क्षेत्र : लोहा और स्टील, ऑटो पुर्जे, सीमेंट, यूरेनियम, तांबा और (जमशेदपुर और आदित्यपुर) सोने की खदानें, आई0टी0-आई0टी0ई0एस0, वन उत्पाद आधारित, उद्यान एवंखाद्य प्रसंस्करण, रेशम और वस्त्र प्रमण्डल निर्माण।

घाटसिला औद्योगिक क्षेत्र : तांबा और वन आधारित उद्योग।

देवघर – जसीडीह और संथाल परगना : तेल की मिलें, काँच, स्टील, सुगंधित औषधीय पौधे, दवा, कोयला आधारित विद्युत संयंत्र, रेशम – कपड़ा उद्योग।

राज्य में अवस्थित उपर्युक्त विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में संसाधनों के लिए मूल्य योजन का प्रयास किया जाएगा और संबंधित क्षेत्रों के संभाव्य का संपूर्ण उपयोग किया जाएगा, ताकि संपूर्ण राज्य में बिना किसी क्षेत्रीय असमानता के उद्योगों का विस्तार और आर्थिक गतिविधियाँ एक समान संपन्न हों।

19.2 पिछले कुछ वर्षों में क्वैटिव और अन्य परिचालित खानों से लौह अयस्क के धूल (फाइन्स)/ चूर्ण एकत्रित हुए हैं। इसे क्षेत्र में आर्थिक क्रियाकलापों के बढ़ने के कारण इसकी मात्रा में और भी अधिक

वृद्धि हो सकती है। राज्य सरकार द्वारा इन महीन चूर्णों के पेलेट बनाने को प्रोत्साहित किया जायेगा तकि राज्य में ही और मूल्य वर्धन हो। खान विभाग द्वारा इन चूर्णों को पैलेट बनाने वाली इकाइयों से लिंकेज की सुविधा प्रदान की जाएगी।

19.3 (क) अच्छे पर्यावरण, प्रबंधन व्यवहार और क्लीन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट और पॉवर प्लांट के पास सीमेंट प्लांट की स्थापना कर स्लैग तथा फ्लाई ऐश के उपयोग को प्रोत्साहित करेगी।

(ख) मेगा स्टील और विद्युत की इकाइयाँ सीमेंट और ईट की इकाइयों को इन सामग्रियों की आपूर्ति के लिए लंबी अवधि के अनुबंध के आश्वासन द्वारा इन पदार्थों के उपयोग की पहल कर सकती हैं।

(ग) एम0एस0एम0ई0 फ्लाई ऐश की ईंटे बनाने के लिए फ्लाई ऐश का उपयोग कर सकती हैं।

19.4 प्रदूषण की रोकथाम और न्यूनीकरण के लिए नवीन प्रौद्योगिकी के माध्यम से बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन हेतु उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

19.5 कार्बन क्रेडिट तंत्र के माध्यम से राजस्व संवर्धन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना प्रस्तावित है। कार्बन क्रेडिट व्यापार के लिए एक नोडल एजेंसी की पहचान की जाएगी जो इच्छुक कंपनियों को तकनीकी, आर्थिक और संस्थागत सहयोग प्रदान करेगी।

20. रेशम, हथकरघा और हस्तशिल्प को प्रोत्साहन

20.1 देश में झारखंड को तसर रेशम के उत्पादन में पहला स्थान प्राप्त है। इस क्षेत्र में अग्रणी स्थान को बनाए रखने और क्षेत्र को विशेष ध्यान देने के लिए, एकसमान गतिविधियों में शामिल स्थानीय कारीगरों, एसएचजी और एन0जी0ओ0 के कलस्टर द्वारा सामूहिक और संगठित तरीके से डिजाइन, प्रशिक्षण, उद्यमशीलता विकास, विपणन, कच्ची सामग्री के मामले में सहायता या समर्थन देने के लिए 2006 में झारखंड सिल्क, टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (झारक्राफ्ट) की स्थापना की गई। झारक्राफ्ट केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एक ब्रांड के रूप में उभरा है। झारक्राफ्ट 2 लाख से ज्यादा रियर्स, रीलर, स्पिनर्स, बुनकरों एवं कारीगरों आदि की सहायता कर रहा है। यह राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से नए बुनियादी ढाँचों का निर्माण करने के अलावा मौजूदा बुनियादी ढाँचों का उपयोग करते हुए कोकून बैंकों का भी रख-रखाव कर रहा है तथा राँची, दिल्ली, कोलकाता, बँगलोर, अहमदाबाद और मुंबई सहित कई शहरों में इसके 18 विपणन केंद्र हैं। फ्रैंचाइजी मोड के तहत विपणन का भी विस्तार किया जा रहा है।

- 20.2 एन0आई0एफ0टी0, कोलकाता के सहयोग से झारखंड सिल्क ट्रेनिंग सेंटर, खरसावां; एन0आई0डी0, अहमदाबाद के सहयोग से शहीद निर्मल महतो इंस्टीच्यूट, भगैया; और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, भारत सरकार के सहयोग से अपैरल ट्रेनिंग सेंटर, नामकुम, राँची की स्थापना कर रेशम उत्पादन, हथकरघा और हस्तशिल्प के क्षेत्र में **कौशल विकास** संबंधी प्रयासों को तेज किया गया है।
- 20.3 भायबिलिटी गैप वित्त पोषण के द्वारा पी0पी0पी0 मोड में रीलिंग/स्पीनिंग/बुनाई(विभिन्न) इत्यादि क्षेत्र के आगे विस्तार की परिकल्पना की गई है।
- 20.4 (क) यदि कार्यान्वयन के लिए रेशम उत्पादन, हथकरघा, हस्तशिल्प संबंधी गतिविधियों में से किसी एक को लिया जाता है, तो कम से कम 250 प्रत्यक्ष रोजगार उत्पादन के लिए और सभी गतिविधियों की स्थिति में 1000 प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होगा। राज्य सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में कम से कम रेशम, हस्तकरघा एवं रेशम की एक इकाई की स्थापना का प्रयास किया जाएगा। (इनमें से एक अथवा मिश्रित)
- (ख) निदेशक, हथकरघा, हस्तशिल्प और रेशम उत्पादन/झारक्राफ्ट के व्यापक पर्यवेक्षण व सहायता के अधीन (क) के तहत गतिविधियों को संयुक्त उद्यम, पी0पी0पी0 मोड के तहत या निजी उद्यमों के रूप में आरंभ किया जा सकता है।
- (ग) झारक्राफ्ट द्वारा उत्पादों के विपणन में सभी आवश्यक सहायता/सहयोग प्रदान किया जाएगा।
- 20.5 (क) कौशल विकास केंद्र (एसडीसी) की स्थापना के लिए भी वित्तीय सहयोग दिया जाएगा।
- (ख) ऐसे एसडीसी में प्रशिक्षित किए जाने वाले प्रशिक्षार्थियों के लिए सहयोग की सीमा अधिकतम रु0 5000 प्रति प्रशिक्षार्थी तक सीमित होगी।
- (ग) एसडीसी की न्यूनतम प्रशिक्षण क्षमता 2000 प्रशिक्षार्थी प्रति वर्ष होगी।
- (घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से विकलांग/महिलाओं को प्रशिक्षण लागत संबंधी वित्तीय सहायता 90% और अन्य को 75% प्रदान की जाएगी।
- (ङ) सक्षम प्राधिकारी से एस0डी0सी0 को ग्रेडिंग प्राप्त किया जाएगा।
- 20.6 पावरलूम के लिए गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराई जाएगी।
- 20.7 (क) प्रत्येक सदस्य के लिए रु0 1.00 लाख से अधिक मूल्य के सामान/उत्पादों का उत्पादन करने के लिए 10 या उससे अधिक सदस्यों वाले स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) के बुनकर, रीलर, स्पिनर, हस्तशिल्प कारीगरों को कार्यशील पूँजी के प्रति **2% का ब्याज दर सब-भरजन** प्रदान किया जाएगा।

(ख) यह वित्तीय लाभ ऐसे एसएचजी समूहों को उपलब्ध कराया जाएगा जो झारक्राफ्ट/के0वी0आई0बी0/नाबार्ड/सरकार/पी0एस0य0/अनुसूचित वित्तीय संस्थान/बैंकों के साथ पंजीकृत हैं और झारक्राफ्ट/के0वी0आई0बी0/किसी प्राधिकृत राज्य सरकार अनुमोदित एजेंसी के माध्यम से बिक्री के लिए प्रति वर्ष रु0 10 लाख या उससे अधिक मूल्य के उत्पादों की आपूर्ति कर रहे हैं।

(ग) नाबार्ड, वित्तीय संस्थान इत्यादि के परामर्श से एक विस्तृत प्रशासनिक प्रक्रिया की योजना तैयार की जाएगी।

21 टेक्सटाईल एवं एपरेल

21.1 संयुक्त उद्यम, पीपीपी मोड, राज्य सरकार इत्यादि के तहत परियोजनाओं या झारक्राफ्ट सहित इस श्रेणी के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों को भारत सरकार की सभी मौजूदा योजनाओं तक पहुँच प्राप्त करने के लिए सुविधा प्रदान की जाएगी, जैसे कि :-

(i) प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना (टी0यू0एफ0एस0)

(ii) एकीकृत टेक्सटाईल पार्क योजना (एस0आई0टी0पी0)

(iii) एकीकृत कौशल विकास योजना

21.2 राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार की योजनाओं के तहत शामिल क्षेत्रों / गतिविधियों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में वस्त्र / परिधान इकाइयों को लाभ पहुँचाया जाएगा।

21.3 राज्य सरकार द्वारा परिधान उत्पादन के लिए राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में उपलब्ध सुविधाओं का उन्नयन किया जाएगा और इस तरह के प्रशिक्षण संस्थानों को अखिल भारतीय अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण योजना के अनुसार परिधान उत्पादन के विभिन्न पाठ्यक्रमों के संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।

21.4 राज्य में वस्त्र इकाइयों की स्थापना के लिए प्रमुख वस्त्र कंपनियों को आकर्षित करने की दिशा में प्रयास किए जाएँगे।

21.5 चूँकि वस्त्र क्षेत्र में रोजगार सृजन की पर्याप्त संभावना है इसलिए पीपीपी / संयुक्त उद्यम / निजी क्षेत्र के अंतर्गत रीलिंग / स्पिनिंग / विभिग / रेडीमेड कपड़े / परिधान पार्क इत्यादि की स्थापना करने की दिशा में प्रयास किए जाएँगे।

21.6 **झारक्राफ्ट को एक स्वायत्त गुणवत्तापूर्ण परिधान प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने के लिए व्ययगत कुल परियोजना लागत का 75%, अधिकतम रु0 5.00 करोड़ तक का सहयोग प्रदान किया जाएगा।** झारक्राफ्ट द्वारा वित्तीय सहयोग का उपयोग अचल लागत, संयंत्र मशीनरी, उपकरण, इत्यादि की दिशा में किया जाएगा और झारक्राफ्ट स्वयं अथवा संयुक्त उद्यम के रूप में या एकाधिक

- एजेंसियों/संस्थाओं के सहयोग से संस्थान की स्थापना कर सकता है। तथापि, प्रशिक्षण संस्थान के लिए आवर्ती व्यय का वहन प्रवर्तक संस्थानों द्वारा किया जाएगा।
- 21.7 20.5 में वर्णित वित्तीय सहयोग संबंधी सुविधाओं का विस्तार किसी प्रतिष्ठित संगठन या संस्थान के लिए किया जा सकता है, जिसने कम से कम पिछले पाँच वर्ष में ऐसे संस्थान का संचालन एवं प्रबंधन किया हो। इसे झारक्राफ्ट, आईटीआई, औद्योगिक घरानों या अन्य संस्थानों के साथ संयुक्त उद्यम या पी0पी0पी0 मोड में भी स्थापित किया जा सकता है।
- 21.8 प्रशिक्षण संस्थानों की नेटवर्किंग हथकरघा एवं रेशम उत्पादन के निदेशालय द्वारा की जाएगी और विस्तृत डेटाबेस का अनुरक्षण किया जाएगा।
- 21.9 (क) 20.5 में अंकित प्रशिक्षण संस्थानों के द्वारा प्रशिक्षणार्थियों से प्रशिक्षण शुल्क प्राप्त कर आवर्ती व्यय की व्यवस्था की जाएगी।
- (ख) चूँकि अन्य पाठ्यक्रमों की तुलना में परिधान प्रशिक्षण के लिए आईटीआई का प्रशिक्षण शुल्क बहुत ज्यादा है, इसलिए चयनित उम्मीदवारों और संस्थानों को, संस्थान द्वारा प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए प्रत्येक प्रशिक्षार्थी से वसूले जाने वाले कुल शुल्क के 50%, अधिकतम रु0 5000 तक की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- (ग) हालाँकि, यह सहायता उन प्रशिक्षार्थियों को उपलब्ध नहीं होगी जिन्हें इस प्रकार की कोई सुविधा राज्य सरकार/केंद्र सरकार उद्योगों इत्यादि की सी0एस0आर0 गतिविधियों के अंतर्गत प्रायोजित कार्यक्रम द्वारा प्राप्त हो रहा है।
- 21.10 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए भी राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित परिधान प्रशिक्षण संस्थानों/केंद्रों को प्रति सप्ताह प्रत्येक प्रशिक्षक के लिए रु0 5000 की अधिकतम सीमा तक प्रशिक्षण लागत की प्रतिपूर्ति के रूप में वित्तीय सहयोग भी प्रदान किया जाएगा।
- (क) सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रोत्साहित स्वायत्त संस्थानों में भाग लेने वाले प्रशिक्षकों के मामले में 100% और
- (ख) अन्य संस्थानों में भाग लेने वाले प्रशिक्षकों के मामले में 50 % राज्य द्वारा अनुमोदित संस्थानों में प्रशिक्षण आयोजित किए जाएँगे।
- 21.11 झारखंड सरकार सभी वस्त्र एवं परिधान पार्कों को सार्वजनिक जनोपयोगी सेवाओं के रूप में अधिसूचित करेगी।
22. कृषि-खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन

- 22.1 झारखंड में कृषि एवं बागवानी फसलों की एक विस्तृत श्रृंखला में खेती के लिए उपयुक्त विविध कृषि जलवायु परिस्थितियाँ हैं। यहाँ एक प्रगतिशील कृषक समुदाय है जो जैविक कृषि, बागवानी और पुष्पोत्पादन से जुड़े हैं। सस्ते श्रमिक और अन्य निविष्टियाँ तथा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के औद्योगिक एवं शहरी केंद्रों से इसकी निकटता की वजह से झारखंड इन गतिविधियों में मूल्य-वर्धन के लिए एक आदर्श स्थान है। कृषि कार्यों से अधिक लाभ प्राप्त करने, अत्यधिक मूल्य-वर्धन हासिल करने तथा ग्रामीण कार्यबल व किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है।
- 22.2 (क) भारत सरकार के कई विभाग (खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग, ग्रामीण विकास, वाणिज्य एवं उद्योग, एम0एस0एम0ई0, कृषि इत्यादि) प्रत्यक्ष रूप से या (अपेडा) ए0पी0ई0डी0ए0 जैसी एजेंसियों के माध्यम से मौजूदा कार्यक्रमों और योजनाओं के ज़रिए मूल्य श्रृंखला के विभिन्न तत्वों को समर्थन प्रदान करते हैं।
- (ख) राज्य सरकार सभी मौजूदा योजनाओं की ओर झुकाव पैदा करके कृषि उद्योग/खाद्य प्रसंस्करण मूल्य श्रृंखला में शुरू से अंत तक एकीकृत परियोजना का विकास करने में निजी निवेशकों की मदद कर सकती है।
- (ग) राज्य सरकार ज़रूरत पड़ने पर भायबिलिटी गैप वित्तपोषण या अन्य आवश्यक सहायता प्रदान कर सकती है।
- (घ) विश्व बैंक, एडीबी और आईएफएडी जैसी अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण एजेंसियों की भी मदद ली जा सकती है।
- (ङ) इनका परस्पर-संयोजन, समर्थन तथा ज्ञान को बढ़ाने के लिए आदर्श साबित हो सकता है।
- 22.3 कृषि, बागवानी और पुष्पोत्पादन के अलावा, एनएफवीडी और राज्य सरकार की मदद से जलाशय, मत्स्य-पालन और मत्स्य मित्र और मत्स्य सहकारी समितियों की अवधारणा को बढ़ावा देकर मत्स्य-पालन की भी गुंजाइश है। झींगा और सजावटी मत्स्यों के संवर्धन और संगठित मत्स्य विपणन, एमएसएमई के लिए एक अच्छा उद्यम साबित हो सकता है।
- 22.4 राज्य में सहकारी समितियों, स्व-सहायता समूहों इत्यादि के रूप में ग्रामीण आबादी की भागीदारी को सुनिश्चित करके संगठित क्षेत्र में मुर्गी-पालन, सूअर-पालन, बकरी-पालन और दुग्ध-उत्पादन को विकसित करने की उत्कृष्ट क्षमता है। पर्याप्त पशु-स्वास्थ्य सुविधा, कृत्रिम गर्भाधान, विपणन नेटवर्क और अन्य उत्पादों के साथ-साथ दुग्ध उत्पाद के लिए प्रशीतन एवं भंडारण सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है।

22.5.1 (क) फुड पार्क आवश्यकतानुसार कुछ सामान्य प्रसंस्करण सुविधाएँ और अन्य सेवाओं सहित सहायक बुनियादी ढाँचों के साथ व्यक्तिगत प्रसंस्करण इकाइयों के लिए विकसित और संपदा के अंदर और बाहर, दोनों ओर से सुस्थापित आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी एक कृषि / बागवानी प्रसंस्करण संपदा है।

(ख) फुड पार्क, खास तौर पर छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों को अनुसंधान व विकास, शीतगृह, भंडारण, पैकिंग हाउस, खाद्य परीक्षण एवं विप्लेषण के लिए प्रयोगशाला, प्रवाही उपचार संयंत्र, सामान्य प्रसंस्करण सुविधाएँ, शक्ति, जल आपूर्ति इत्यादि जैसी प्रमुख आम सुविधाओं की लागत को साझा करके व्यवहार्यता प्राप्त करने में सक्षम बनाएँगे। फुड पार्कों को बहुत ही सीमित संख्या में भारत सरकार द्वारा मंजूरी दी जा रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार से राज्य में फुड पार्कों की संख्या में वृद्धि करने का विशेष अनुरोध किया जा सकता है।

(ग) राँची के गेतलसूद में 56 एकड़ क्षेत्र में एक मेगा फुड पार्क की स्थापना की जा रही है जहाँ सड़क, नाली, पानी के कनेक्शन, बिजली और शीत भंडारण श्रृंखला जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ 32 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को स्थापित किए जाने की संभावना है। गेतलसूद स्थित केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई को लोहरदगा, गुमला, हजारीबाग, पतरातू जैसे स्थानों के उत्पादन केंद्रों से जोड़ा जाएगा जहाँ प्राथमिक प्रसंस्करण किया जाएगा।

22.5.2 निजी तौर पर अधिगृहीत जमीनों पर भी फुड पार्कों की स्थापना की जा सकती है। ऐसे पार्क भी नीति के तहत राज्य द्वारा अन्य प्रकार के पार्कों को प्रदान दिए जाने वाले परिकल्पित लाभ के हकदार होंगे। निजी फुड पार्कों की स्थापना से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तों पर निवेशकों के साथ बातचीत की जा सकती है।

22.5.3 सरकारी ज़मीन/औद्योगिक क्षेत्र की ज़मीन पर फुड पार्क के विकासक को सरकारी/ औद्योगिक क्षेत्र के परामर्श से अन्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को उप-पट्टे (सब-लीज) पर ज़मीन देने की अनुमति दी जाएगी।

22.5.4 (क) काजू, आम, कटहल इत्यादि जैसे विशिष्ट फसलों को एम0एस0एम0ई0 कलस्टर के तहत बढ़ावा दिया जाएगा।

(ख) एम0एस0एम0ई0 कलस्टर के पास एक सामान्य सुविधा केंद्र होगा जो उत्पादों के भंडारण, श्रेणीकरण, प्रसंस्करण और पैकेजिंग, शीत भंडारण विस्तार और सूचना काउंटर के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा उपलब्ध कराएगा। यह बड़ी प्रसंस्करण इकाइयों के लिए एक एकत्रीकरण स्थल की तरह काम करेगा।

(ग) इसका विकास एम0एस0एम0ई0 कलस्टर की योजनाओं में परिकल्पित एसपीवी मोड में किया जाएगा।

22.5.5 नई शीत श्रृंखला/शीत भंडारण की स्थापना या मौजूदा सुविधाओं के उन्नयन के प्रोत्साहन को एनएचएम के तहत विस्तृत रूप से बढ़ावा दिया जा सकता है, जहाँ अनुसूचित क्षेत्रों में 55% तक और गैर-अनुसूचित क्षेत्रों 40% तक सब्सिडी उपलब्ध है। शीत भंडारण/शीत श्रृंखला केंद्रों को पांच वर्षों तक कृषि दर पर गुणवत्तापूर्ण बिजली प्रदान की जाएगी।

22.5.6 (क) ए0पी0एम0सी0 अपने मौजूदा गोदामों की भंडारण क्षमता के उन्नयन को बढ़ावा देगा। ए0पी0एम0सी0 के द्वारा मान्यता प्राप्त गोदाम की सुविधा किसानों के लिए उनके बाज़ार स्थलों/भूमि में गुणवत्तापूर्ण गोदाम/शीत भंडारण/श्रेणीकरण, छँटाई, पैकिंग सुविधाओं के विकास के लिए पी0पी0पी0 मोड या संयुक्त उद्यम के रूप में सहभागिता कर सकता है।

(ख) इसके लिए निजी ज़मीन पर निजी निवेश को प्रोत्साहन के रूप में पूंजी लागत के 25% अधिकतम रु0 50 लाख तक सुविधा की सहायता प्रदान की जाएगी, यदि भारत सरकार, राज्य सरकार या अन्य संगठन की किसी अन्य योजनाओं के अंतर्गत इस तरह की प्रोत्साहन राशि का लाभ न उठाया गया हो।

इस नीति में परिकल्पित कोई अन्य सुविधा अनुमान्य नहीं होगी।

22.5.7 खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा राज्य के बाहर से कच्चे माल के रूप में उपयोग करने के लिए ख़रीदे गए अधिसूचित कृषि उत्पाद पर **कोई मंडी शुल्क (बाज़ार शुल्क) प्रभारित नहीं** किया जाएगा।

22.5.8 एस0ए0यू0, सी0एफ0टी0आर0आई0, आई0एच0आर0आई0, यू0ए0एस0, सी0आई0एम0ए0पी0, ए0पी0ई0डी0ए0 के साथ-साथ कृषि, पशु-पालन एवं मत्स्य-पालन विभाग और सहकारी समितियों द्वारा किसानों, निवेशकों और उद्यमों के लिए अपेक्षित अनुसंधान व विकास समर्थन, कौशल विकास और उद्यमिता विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। विभाग द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देशों की रूपरेखा तैयार की जाएगी।

22.6.1 (क) अपनी विविध कृषि जलवायु दशाओं की वजह से यह राज्य **बागवानी आधारित अर्थ-व्यवस्था** के विकास के लिए अनुकूल है। यहां बागवानी उत्पादों का कुल उत्पादन रु0 37.7 लाख मीट्रिक टन है जिसमें से रु0 20.77 लाख मीट्रिक टन अधिशेष है।

(ख) कई अन्य पहलुओं के अलावा राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन0एच0एम0) और राष्ट्रीय माइक्रो सिंचाई मिशन ने उत्पादन और उत्पादकता में सुधार करने में लगातार मदद की है।

(ग) आवश्यक तकनीकी निविष्टियों और व्यवहार द्वारा फलों की उत्पादकता में वृद्धि (9.8 टन प्रति हेक्टेयर से 11.9 टन प्रति हेक्टेयर के राष्ट्रीय औसत तक) करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

- 22.6.2 इस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए कृषि बागवानी विभाग और एएचडी और कृषि, जैव प्रौद्योगिकी/प्रबंधन संस्थानों और विशेषज्ञों के परामर्श से, विशेष उद्यमिता विकास कार्यक्रमों को तैयार और कार्यान्वित किया जाएगा। जैव प्रौद्योगिकी सहित संबंधित क्षेत्र के तकनीकी और प्रबंधन विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा।
- 22.6.3 (क) औद्योगिक क्षेत्र द्वारा भूमि आवंटन में स्थानीय कृषिगत कच्चे माल और संबद्ध कृषि गतिविधि उत्पाद का उपयोग करने वाले उद्यमों को भूमि आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी।
- (ख) जहाँ आवश्यक हो, वहाँ **खाद्य प्रसंस्करण** उद्योगों को मौसमी उद्योग घोषित किया जाएगा और इस प्रकार उनके बंद (गैर-मौसमी) अवधि के दौरान न्यूनतम विद्युत शुल्क से राहत पाने के पात्र हो जाएँगे।
- 22.7 शहरी स्थानीय निकाय और राज्य विपणन बोर्ड, स्वच्छ एवं स्वास्थ्य अवस्थाओं में माँस बाजारों के विकास में आवश्यक मदद कर सकते हैं।
- 22.8 पी0पी0पी0 मोड के अंतर्गत बेकन कारखाने की स्थापना और पुनरुद्धार से भी इस क्षेत्र के विकास में मदद मिलेगी।
- 22.9 (क) **मत्स्य-पालन** इस राज्य में एक प्रमुख आय सृजन गतिविधि के रूप में उभरकर सामने आया है। पिछले 10 वर्षों में मछली का उत्पादन 14000 मीट्रिक टन से बढ़कर 72000 मीट्रिक टन हो गया है। गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन में एक स्वैच्छिक निकाय – मत्स्य मित्र की भागीदारी और राज्य सरकार की मदद से इसे संपन्न किया जा सकता है जो पिछले 10 वर्षों में रु0 9 करोड़ से बढ़कर रु0 67 करोड़ हो गया है। मत्स्य मित्र की इस अवधारणा को एनआईआरडी द्वारा सबसे अभिनव अवधारणा और सर्वोत्तम व्यवहारों में से एक के रूप में स्वीकार किया गया है। राज्य में 3600 मत्स्य मित्र हैं और लगभग 24000 परिवार अपनी आजीविका के लिए मछली पकड़ने की गतिविधि पर निर्भर हैं।
- (ख) झारखंड राज्य के विपणन बोर्ड शहरी एवं ग्रामीण स्थानीय निकाय इत्यादि द्वारा मछली पालने वालों के लिए पानी, प्रकाश, कचरा-निष्पादन इत्यादि समुचित बुनियादी सुविधाओं के लिए समर्पित स्थल का विकास किया जा सकता है।
- (ग) झींगे और सजावटी मछली के उत्पादन को बढ़ावा देना भी एक उत्कृष्ट आर्थिक गतिविधि साबित हो सकती है।
- 22.10 राज्य में **माँस क्षेत्र** मुख्यतः असंगठित है। राज्य में कोई आधुनिक बूचड़खाना और प्रसंस्करण केंद्र नहीं है। पशुओं की इतनी बड़ी आबादी के बावजूद राज्य में माँस उद्योग का विकास इसकी क्षमता के अनुरूप नहीं हुआ है।
23. **ऑटोमोबाइल एवं ऑटो कम्पोनेन्ट**

- 23.1 (क) भारत के अग्रणी ऑटोमोबाइल उद्योग ने 1950 के दशक के आरंभ में जमशेदपुर में वाणिज्यिक वाहनों का उत्पादन करना शुरू किया। आज यह उद्योग वाणिज्यिक वाहनों के अग्रणी उत्पादकों में से एक है और देश में यात्री वाहनों के उत्पादन में शीर्ष तीन कंपनियों में से एक है।
- (ख) ऑटोमोबाइल कंपनियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जमशेदपुर एवं आदित्यपुर में ऑटो के पुर्जे बनाने वाली इकाइयों सहित 600 से अधिक अनुषंगिक उद्योगों की स्थापना की जा चुकी है। प्रत्यक्ष रूप से 20–25 हजार से अधिक रोज़गार और कई गुणा अप्रत्यक्ष रोज़गार का सृजन हुआ है।
- 23.2 (क) 1980 के दशक से जमशेदपुर में सभी प्रकार के ऑटो ग्रेड स्टीलों का निर्माण किया जा रहा है।
- (ख) ऑटोमोबाइल (दुपहिया, तीन पहिया एवं चार पहिया), हल्के वाणिज्यिक मोटर वाहनों/भारी वाणिज्यिक वाहनों की माँग में कई गुणा वृद्धि हुई है। तदनुसार, ऑटो के पुर्जों की माँग बढ़ी है।
- (ग) जमशेदपुर–आदित्यपुर के निकट ऑटो की अनुषंगिक इकाइयों के लिए सभी प्रकार की आवश्यक बुनियादी संरचना मौजूद हैं।
- (घ) ऑटो के पुर्जों के निर्माताओं के लिए परीक्षण केंद्र, डिज़ाइन प्रयोगशाला, कारख़ाने से निकलने वाले अपशिष्ट के परिशोधन करने वाले संयंत्र आदि जैसी आम सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए जमशेदपुर में ऑटो–कलस्टर को कार्यान्वित किया जा रहा है।
- 23.4 जमशेदपुर में अग्रणी ऑटोमोबाइल उद्योग के द्वारा विश्व–स्तरीय ट्रक –हेवी ड्यूटी मालवाहन के निर्माण के लिए एक नई एसेम्बली प्रणाली स्थापित करने के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के वाहनों के क्षमता का विस्तार किया है जिसके परिणामस्वरूप आनुषंगिक इकाइयों का विकास हुआ है एवं अतिरिक्त रोज़गार में वृद्धि हुई है।
- 23.5 मेगा ऑटोमोबाइल उत्पादक इकाइयों द्वारा पीपीपी या निजी क्षेत्र में ऑटोमोबाइल वेंडर पार्क की स्थापना की जाएगी। यह पार्क क्र०सं० 15 में अन्य पार्कों के लिए परिकल्पित सुविधाओं को प्राप्त करने की हकदार होंगी।
- 23.6 (क) मेगा ऑटोमोबाइल उत्पादक इकाइयों, ऑटोमोबाइल क्षेत्र से संबंधित कौशल के आधुनिकीकरण एवं प्रशिक्षण गतिविधियाँ जैसे कि वाहन चालन, वाहन के रखरखाव आदि के लिए कौशल विकास केंद्र की स्थापना करेंगी। उक्त केंद्र की क्षमता प्रति वर्ष 1000 प्रशिक्षुओं से कम नहीं होगी।
- (ख) राज्य सरकार प्रशिक्षण का 50% खर्च वहन करेगी जो कि क्र०सं० 20.5 में अंकित प्रत्येक प्रशिक्षण की सफल पूर्णता के लिए प्रति प्रशिक्षु अधिकतम रु० 5000 होगी।

(ग) कौशल विकास केंद्र द्वारा जिन प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए दावा किया जाएगा, वे शैक्षणिक संस्थानों के लिए झारखंड सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार राज्य के निवासी होंगे।

(घ) प्रति वर्ष सफल प्रशिक्षुओं की कुल संख्या का 50 % यथा क्रम सं० 23.6 (ग) में उल्लिखित श्रेणी में होंगे।

23.7 बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल उत्पादक इकाइयाँ 300 प्रशिक्षुओं की वार्षिक क्षमता वाले नए आईटीआई की स्थापना करेंगी या सफल प्रशिक्षु की रोजगार क्षमता को ध्यान में रखते हुए फ़िटर एवं ऑटोमोबाइल क्षेत्र के कुछ अन्य संबंधित कारोबार के प्रशिक्षण के लिए वर्तमान आईटीआई को अपनाएंगी एवं उन्हें उन्नत करेंगी।

23.8 क्रम सं० 23.6 एवं 23.7 में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने वाली वृहत् ऑटोमोबाइल उत्पादक इकाइयाँ क्रम सं० 23.6 (क) एवं 23.7 में अंकित गतिविधि के लिए एक वर्ष अधिक समय के लिए मूल्य-योजित कर (वैट) की छूट प्राप्त करने की हकदार होंगी।

24 ऊर्जा

24.1 (क) राज्य द्वारा ऊर्जा के नवीकरणीय एवं पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोतों के अधिकाधिक प्रयोग को बढ़ावा देना प्रस्तावित है। निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से इन्हें बी०ओ०टी० आधार पर विकसित करने पर जोर दिया जाएगा।

(ख) अपने विशाल कृषि आधार के कारण राज्य में जैव-ईंधन की प्रचुर उपलब्धता है। ऊर्जा संबंधी ये इकाइयाँ धान के अवशेषों, चावल की भूसी, झाड़ी के पत्तों, तिनको, भू-तापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि पर आधारित हो सकती हैं।

(ग) राज्य के पास प्रति वर्ष लगभग 300 दिन धूप उपलब्ध रहती है। राज्य प्रचुर मात्रा में सौर शक्ति के दोहन करने की क्षमता रखता है।

(घ) मोटे तौर पर यह अनुमान लगाया गया है कि उपर्युक्त गैर-परंपरागत स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन करने में झारखंड की क्षमता लगभग 400-500 मेगावाट है।

(ङ) राज्य विद्युत नियामक आयोग के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, राज्य की बिजली खरीद का कम से कम 10% इन स्रोतों से खरीद प्रस्तावित है।

(च) एक शुरुआत हो चुकी है और 44 गाँवों के लगभग 6000 घरों को गैर-परंपरागत ऊर्जा से ऊर्जांचित किया जा चुका है।

24.2. (क) राज्य में 1320 मेगावाट की क्षमता स्थापित है।

- (ख) राष्ट्रीय औसत उपभोग (720 kwh) की तुलना में राज्य का प्रति व्यक्ति औसत ऊर्जा उपभोग कम (552 kwh) है।
- (ग) राज्य सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए शत-प्रतिशत प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है।
- 24.3 (क) शुल्क आधारित प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली एवं सरकार के संवितरण मार्ग के अंतर्गत, झारखंड को कोयले के 6 ब्लॉक आबंटित किए गए हैं जिनका विद्युत के लिए उपयोग अपेक्षित है।
- (ख) मध्यम अवधि में 43000 मेगावाट से अधिक की संस्थापन क्षमता वाले ताप ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए निजी निवेशकों के साथ कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। इसलिए, झारखंड निवेशकों को कम लागत वाली बिजली की उपलब्धता प्रदान करने के कगार पर है।
- 24.4 राज्य सरकार ऊर्जा के उत्पादन, प्रसार एवं वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देगी।
- 24.5 वृहत् परियोजनाओं (100 करोड़ से अधिक की अचल संपत्ति के निवेश सहित) अपशिष्ट ऊष्मा की पुनर्प्राप्ति द्वारा ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए कैप्टिव पावर प्लांट स्थापित करने एवं सहभागी संस्थाओं को ऊर्जा प्रदान करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। ऐसी इकाइयाँ 5 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 50% छूट का लाभ भी प्राप्त करेगी।
- 24.6 इस नीति के लागू होने की प्रभावी तिथि के बाद से व्यावसायिक उत्पादन करने वाली, नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा का उत्पादन करने वाले बिजली संयंत्र को एक नई औद्योगिक इकाई माना जाएगा एवं उसे इस नीति के अंतर्गत सभी प्रकार का प्रोत्साहन प्राप्त करने का हक होगा। इन संयंत्रों को 10 वर्षों तक विद्युत शुल्क का 50% भुगतान नहीं करना पड़ेगा।
- 24.7 सूचना प्रौद्योगिकी, जैव-प्रौद्योगिकी एवं पर्यटन संबंधी गतिविधियों को (वर्तमान या नई), जिन्हें औद्योगिक गतिविधि माना जाता है, जे0एस0ई0आर0सी0 की स्वीकृति के अधीन, शुल्क के औद्योगिक या वाणिज्यिक दर पर, जो भी कम हो, ऊर्जा प्राप्त करने का हक होगा।
- 24.8 ऊर्जा विभाग इस क्षेत्र में और अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए एक नई एवं अलग नीति प्रस्तुत कर रही है।
25. **विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ0डी0आई0) को बढ़ावा**
- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ0डी0आई0), गंतव्य के आकर्षण का निर्धारण करने वाले प्रमुख सूचकों में से एक है। यह राज्य को कौशल, ज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संप्रेषित करने का एक प्रभावशाली तरीका भी है और औद्योगिक निष्पादन का एक महत्वपूर्ण प्रेरक भी।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, बुनियादी संरचना, ऊर्जा, खनिज विकास, खाद्य प्रसंस्करण, जैव-प्रौद्योगिकी, गैर-परंपरागत ऊर्जा आदि जैसे चुनिंदा क्षेत्रों में परस्पर लाभकारी आधार पर विदेशी कार्पोरेट निकायों/बहुराष्ट्रीय कंपनियों/प्रवासी भारतीयों के साथ विदेशी निवेश एवं आधुनिकतम प्रौद्योगिकियों के लिए तकनीकी सहयोग स्थापित करने का प्रस्ताव रखा जाता है। ऐसे निवेशकों को विशेष प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

आवश्यकताओं के मूल्यांकन एवं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने एवं समय पर निपटारा करने पर विशेष ध्यान देने के लिए इसे संस्थागत रूप देने के प्रयास किए जाएँगे।

26. सूचना प्रौद्योगिकी/जैव-प्रौद्योगिकी

26.1 राज्य सरकार सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)/आईटीईएस के क्षेत्र में आईटी उद्योग, आईटी पार्क, निजी क्षेत्र या पीपीपी मोड के अंतर्गत आईटी विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए बड़े निवेशकों को प्रोत्साहन देगी।

26.2 सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नीति का उद्देश्य (क) आईटी सेवाएँ (हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर आधारित) एवं आईटी समर्थित सेवाएँ (कॉल सेंटर संबंधी, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, बीपीओ आदि) प्रदान करने के लिए आईटी कंपनियों की स्थापना एवं विकास के लिए अनुकूल एवं उद्योग के अनुकूल माहौल प्रदान करना (ख) राज्य के शिक्षित युवकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना (ग) राज्य के जीएसडीपी में वृद्धि के लिए इस क्षेत्र की निर्यात क्षमता का दोहन करना (घ) आईटी को जनसाधारण तक पहुँचाना एवं सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए इसके उपयोग में तेजी लाना है।

(ii) इनमें कम भू-खंड का उपयोग करते हुए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की क्षमता है। प्रति 100 लाख निवेश में रोजगार का सृजन, उद्योग में सर्वाधिक है। इसके अतिरिक्त, यह लगभग शून्य पर्यावरण प्रदूषण पैदा करता है।

26.3 (क) आईटीईएस द्वारा भूमि के आबंटन में आईटी उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी।

(ख) आईटीईएस द्वारा भूमि के आबंटन की स्थिति में, वृहत् आईटी सेवाओं को भूमि के मूल्य का भुगतान बाद में करने की अनुमति दी जाएगी, अर्थात् ऐसी इकाइयों द्वारा भूमि के मूल्य का भुगतान पाँच वर्षों के भीतर पाँच समान किस्तों में करने की अनुमति दी जाएगी।

26.3.6 मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया जाएगा ताकि आईटी कंपनियाँ अपने कर्मचारियों का उनके आवास से कार्यस्थल तक परिवहन के लिए भाड़े पर निजी स्वामित्व वाली ऑम्नी बसों का इस्तेमाल कर सकें।

26.3.7 ऊर्जा उत्पादन का वैकल्पिक स्रोत

5 के0वी0ए0 की ऊर्जा आवश्यकता वाली आई0टी0-आई0टी0ई0एस0 इकाइयों की स्थापना राज्य में कहीं भी की जा सकती है।

26.3.8 एफ0ए0आर0 छूट

संबंधित प्राधिकरण/शहरी स्थानीय निकायों द्वारा चिह्नित क्षेत्र के आई0टी0 पार्क/ एस0टी0पी0 में आई0टी0-आई0टी0ई0एस0 इकाइयों के लिए प्रचलित भवन निर्माण संबंधी उप-नियमों के अन्य प्रावधानों के अनुरूप किसी स्थान पर अनुमान्य एफ0ए0आर0 के अतिरिक्त 50% अधिक एफ0ए0आर0 की अनुमति दी जाएगी। यदि आवश्यक हो, तो शहरी विकास विभाग की आवश्यक अनुमति से संबंधित प्राधिकरण/शहरी स्थानीय निकायों द्वारा आवश्यक संशोधन किया जाएगा।

26.4 जैव-प्रौद्योगिकी

झारखंड के लिए जैव-प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने की नितांत आवश्यकता है, जो न केवल राज्यों की पारंपरिक गतिविधियों के लिए संवर्द्धक मूल्य निर्माण एवं रोजगार सृजन के अवसर उपलब्ध कराएगा बल्कि औषधि, कृषि एवं उद्योग में उसके उपयोग के अवसर भी प्रदान करेगा। राज्य के लिए औषधीय पौधों वाले विशाल जंगलों की व्याप्ति, वैज्ञानिक मानव-संसाधन एवं शैक्षिक उत्कृष्टता का विशाल भंडार, और उसकी अधिकांश आबादी की कृषि पर निर्भरता बहुत फ़ायदेमंद है।

नीति के उद्देश्यों में शामिल है।

- (i) राज्य की अर्थ-व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए निचले स्तर पर जैव-प्रौद्योगिकी की शुरुआत को बढ़ावा देना।
- (ii) उपयोगी रासायनिक यौगिकों के उत्पादन के लिए औद्योगिक जैव-प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना।
- (iii) ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों के लिए **स्फ़िरुलिना** की खेती को बढ़ावा देना।
- (iv) विभिन्न प्रकार की जैव-ऊर्जा का सामान्य उपयोग।
- (v) सामाजिक एवं जैव-ऊर्जा वानिकी के माध्यम से राज्य के वन क्षेत्रों का विस्तार।
- (vi) कृषि-आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना।
- (vii) विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के अनुकूल कृषि एवं बागवानी के लिए उच्च उपज वाले, सूखा एवं कीट रोधी बीजों का उत्पादन।
- (viii) जलीय पारिस्थितिकी-प्रणाली की उत्पादक क्षमता में वृद्धि।

26.4.1 (क) झारखंड औद्योगिक नीति-2012 के अंतर्गत प्रस्तुत वित्तीय प्रोत्साहन एवं छूट जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग को भी प्रदान किए जाएँगे।

(ख) आई0ए0डी0ए0 द्वारा भूमि के आबंटन में जैव-प्रौद्योगिकी उद्योगों को भी प्राथमिकता दी जाएगी।

(ग) उद्योगों के वर्गीकरण { परिशिष्ट-1 (11 (iii)) } के अंतर्गत परिभाषित मेगा उद्योग के अंतर्गत जिन जैव-प्रौद्योगिकी उद्योगों को शामिल नहीं किया गया है, उन्हें 32.2, 32.3, 32.4 एवं 32.6 के अंतर्गत प्रोत्साहन दिया जाएगा।

(घ) सरकार जैव-प्रौद्योगिकी उद्योगों के लिए जोखिम पूँजी निधि (वेंचर कैपिटल फण्ड) की स्थापना को बढ़ावा देगी।

26.5 आई0टी0 उद्योग के लिए निम्नांकित विशेष प्रोत्साहन प्रदान किए जाएँगे :-

(i) जे0एस0पी0सी0बी0 के अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन0ओ0सी0 अनुमति) से छूट।

(ii) अवस्थिति के प्रयोजनों के लिए आंचलिक विनियमों से छूट।

(iii) निम्नांकित अधिनियमों के अनुपालन के प्रयोजनार्थ स्व-प्रमाणन:

(क) कारखाना अधिनियम

(ख) नियोजनालय (रिक्तियों की अधिसूचना) अधिनियम

(ग) मजदूरी भुगतान अधिनियम

(घ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम

(ङ) अनुबंधित श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम

(च) कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम

(छ) दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम

27. पर्यटन

27.1 पर्यटन एवं यात्रा उद्योग, आने वाले दशकों में सबसे शक्तिशाली क्षेत्रों में से एक बनने जा रहा है। चूँकि पर्यटन क्षेत्र में रोज़गार की विशाल संभावना है, राज्य सरकार पर्यटक संभाव्य क्षेत्रों में और अधिक निवेश आकर्षित करने हेतु विशेष जोर देना चाहती है। निवेश के लिए सरकारी श्रोतों/अभिकरणों एवं निजी क्षेत्र, दोनों से संसाधन एकत्रित करने के लिए प्रयास किए जाएँगे ताकि राज्य में रोज़गार एवं राजस्व-प्राप्ति का अंतिम लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। पर्यावरण आधारित पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक-धरोहर पर्यटन, रिज़ॉर्ट आदि के विकास के लिए प्राथमिकता देना प्रस्तावित है।

- 27.2 बौद्ध धर्मावलंबियों, जैन धर्मावलंबियों एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए पैकेज यात्रा प्रदान करने के लिए एयर-टैक्सी सेवाओं को बढ़ावा दिया जाएगा।
- 27.3 सरकारी क्षेत्र में लगभग 29 होटलों, 33 पर्यटक परिसर एवं कई पर्यटक सूचना केंद्र, रास्तों के किनारे पर्यटक सुविधा, रोपवे आदि मौजूद हैं। इनके परिचालन, गुणवत्ता एवं क्षमता में सुधार के लिए पर्यटन विभाग पी0पी0पी0 मोड/संयुक्त उद्यम के अंतर्गत निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करेगा।
- 27.4 पर्यटन विभाग सार्वजनिक, निजी या संयुक्त उद्यम पद्धति से होटलों, मोटलों, यात्री निवास आदि की स्थापना के लिए एक व्यापक नीति घोषित/अधिसूचित करेगा।
- 27.5 राजस्व विभाग स्वैच्छिक भू-अर्जन अन्तर्गत सहमति आवार्ड के अंतर्गत रैयत से भूमि की खरीद के लिए आवश्यक सहायता मुहैया कराई जाएगी।

28. फ़िल्म उद्योग

प्रचुर संख्या में सुंदर प्राकृतिक धार्मिक, सांस्कृतिक-धरोहर वाले एवं औद्योगिक स्थल, घने जंगल, प्राकृतिक जल-प्रपातों की उपस्थिति एवं सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता झारखंड को फ़िल्म की शूटिंग एवं इसके विकास के लिए एक आकर्षक स्थल बनाता है। राज्य में फ़िल्म उद्योग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोज़गार एक अच्छा स्रोत हो सकता है। राज्य में नागपुरी एवं अन्य भाषाओं में स्थानीय तौर पर फ़िल्मों का निर्माण किया जा रहा है। फ़िल्म स्टूडियो, फ़िल्म सिटी आदि स्थापित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन देकर निजी निवेश को बढ़ावा दिया जा सकता है। फ़िल्म सिटी, स्टूडियो की स्थापना के लिए वही प्रोत्साहन दिए जाएँगे जो विभिन्न औद्योगिक पार्कों को प्रदान किया गया है। जन संपर्क एवं सूचना विभाग द्वारा पर्यटन विभाग, उद्योग विभाग, फ़िल्म उद्योग के प्रतिनिधियों, वाणिज्यिक कर विभाग आदि से सलाह-मशविरा करके विस्तृत नीति तैयार की जाएगी।

29. निर्यात संवर्धन

निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार निम्नांकित उपाय करना चाहती है:

- i. निर्यातकों को बाज़ार संबंधी अंदरूनी जानकारी, निर्यात संबंधी दस्तावेजीकरण, वित्त एवं निर्यात के अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों से अवगत कराने के लिए प्रतिष्ठित सलाहकारों/आई0आई0एफ0टी0 की सहायता से कार्यक्रम आयोजित किए जाएँगे।
- ii. स्थानीय वाणिज्य मंडल एवं उद्योग संघों के सहयोग से अत्याधुनिक सूचना केंद्र स्थापित करने के प्रयास किए जाएँगे।
- iii. एक एयर कार्गो परिसर की स्थापना करना प्रस्तावित है। यह फूलों, फलों, सब्जियों आदि जैसे उत्पादों के निर्यात को वांछित बढ़ावा देगा।

- iv. मूल्य वर्द्धित एवं उत्पादित निर्यात योग्य वस्तुओं को बड़े पैमाने पर बक्सों में रखे जाने के लिए जमशेदपुर में भारत सरकार की सहायता से अंतर्देशीय कन्टेनर डिपो (आई0सी0डी0) की स्थापना की गई है। रेलवे एवं केंद्रीय उत्पाद-शुल्क एवं सीमा-शुल्क विभागों की सलाह से इसी प्रकार की सुविधा अन्य स्थानों में भी स्थापित करने का प्रस्ताव है।
- v. उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों एवं व्यापार मेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। व्यापारिक शिफ्टमंडलों के आगमनों के लिए भारत सरकार की योजनाओं के संयोजन से वित्तीय समर्थन दिया जाएगा।
- vi. निर्यातोन्मुख इकाइयों, आवश्यक सेवाएँ/नागरिक उपयोगी सेवाओं के रूप में घोषित की जाएँगी।
- vii. निर्यातोन्मुखी गुणवत्ता, अनुसंधान एवं विकास को पहचानने एवं मान्यता देने के लिए निर्यात पुरस्कार प्रदान किए जाएँगे।
- viii. औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकारों द्वारा निर्यातोन्मुखी इकाइयों को भूमि के आबंटन में प्राथमिकता दी जाएगी।

30. औद्योगिक रुग्णता

30.1 इच्छुक और संभाव्य रुग्ण उद्योगों का पुनरुद्धार राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। राज्य सरकार ने पहले भी असंख्य उद्योगों के पुनरुद्धार/पुनर्वास में सहायता की है। राज्य सरकार द्वारा पुनरुद्धार/पुनर्वास योजना के अधीन 49 लघु इकाइयों और 3 मध्यम तथा वृहत/मेगा के उद्योगों को सहायता प्रदान की गई है।

30.2 राज्य सरकार इच्छुक तथा संभाव्य रुग्ण उद्योग की रुग्णता की रोकथाम और पुनरुद्धार के लिए निम्नलिखित कदम उठाने का इरादा रखती है।

30.2.1 रुग्णता/समस्या के शीघ्र पहचान को सुनिश्चित करने के लिए, औद्योगिक विकास प्राधिकारों के प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में प्राधिकार के स्तर पर तथा प्रमण्डलीय आयुक्त की अध्यक्षता में उनके क्षेत्राधिकार स्तर पर, उद्योगपतियों/उद्यमियों और वित्तीय संस्थानों के साथ नियमित समन्वयन बैठकों का आयोजन किया जाएगा और उनके लिए निवारक उपाय किए जाएँगे।

30.3 छोटे और लघु उद्योगों (एम0एस0ई0) में औद्योगिक रुग्णता

- 30.3.1 इच्छुक और जीवनक्षम छोटे और लघु इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए, राज्य सरकार ऐसे पुनरुद्धार प्रयासों पर विचार करने के लिए उद्योग निदेशक की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय शीर्ष समिति के गठन का प्रस्ताव है।
- 30.3.2 रुग्ण उद्योगों के पुनर्वास के लिए राज्य स्तरीय शीर्ष समिति द्वारा सरकार के वर्तमान प्रावधानों के अधीन प्रबंधन, वित्त पोषण आदि के लिए अपेक्षित पुनर्संरचना की अनुशंसा की जाएगी।
- 30.3.3 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार ऐसे शीर्ष समिति द्वारा तत्संबंधी तिथि से प्रभावी रुग्ण और छोटी इकाइयों की पहचान की जाएगी। इस प्रकार की इकाइयों के पुनर्वास हेतु समुचित राहत और रियायत पैकेज अनुमोदित किए जाएंगे। ऐसे निकाय द्वारा रुग्ण के रूप में घोषित तथा पुनर्वास का चयन करने वाली इकाइयाँ, निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार, बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से राहत और रियायत पाने के लिए पात्र होंगी।
- 30.3.4 ऐसी इकाइयाँ पुनरुद्धार के लिए इस नीति के तहत नई औद्योगिक इकाइयों के लिए उपलब्ध, नए तथा हाल में किए गए नवीन निवेशों पर सभी प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगी, बशर्ते कि इकाई ने किसी पिछली औद्योगिक नीति के अधीन रुग्ण इकाई के रूप में प्रोत्साहन का लाभ नहीं उठाया हो।
- 30.3.5 रुग्ण इकाइयों को रुग्णता की अवधि के दौरान विलंबित भुगतान अधिभार पर संपूर्ण छूट की अनुमति होगी, यदि वह विद्युत बोर्ड के बकाया में सम्मिलित हो।
- 30.3.6 विद्युत विच्छेद की स्थिति में, रुग्ण इकाई को विद्युत विच्छेद अवधि के लिए ए0एम0जी0 प्रभार और अन्य संविदागत गारंटी शुल्क से छूट दी जाएगी।
- 30.3.7 उपर्युक्त राशि की कटौती के बाद ऐसी रुग्ण इकाई की विद्युत बकाया संबंधी शेष राशि का भुगतान इकाई द्वारा बिना किसी विलंबित भुगतान अधिभार के शीर्ष निकाय द्वारा मामलेवार निर्धारित किशतों में अदा की जाएगी। तथापि, यदि ऐसी इकाई समय पर कोई किशत चुकाने में चूक करती है, तो ऐसे विलंबित भुगतान अधिभार के लिए निर्धारित दर पर ऐसी अवधि के लिए इकाई विलंबित भुगतान अधिभार की अदायगी के लिए बाध्य होगी।
- 30.3.8 राज्य स्तरीय शीर्ष समिति द्वारा पुनरुद्धार पैकेज की प्रगति पर आवधिक निगरानी रखी जाएगी और वह इकाई और/या अन्य विभाग/संस्थान सहित चूककर्ता पार्टी के खिलाफ जैसा वह उचित समझे कार्रवाई के लिए सरकार को अनुशंसा करेगी।
- 30.3.9 राज्य स्तरीय शीर्ष समिति में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित और सरकारी गज़ट में प्रकाशित ऐसे व्यक्ति/संगठन शामिल होंगे, जिसमें वित्त विभाग/वाणिज्य कर विभाग/ऊर्जा/संस्थागत वित्त का अनिवार्यतः प्रतिनिधित्व होगा।
- 30.4 **रुग्ण मध्यम और बड़े उद्योगों का पुनरुद्धार/पुनर्वास**

- 30.4.1 राज्य सरकार द्वारा बड़े और मध्यम क्षेत्र में राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित जीवनक्षम रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए समुचित उपाय विकसित करने के लिए सचिव, उद्योग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा।
- 30.4.2 समिति द्वारा रुग्ण/बंद राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का मूल्यांकन किया जाएगा और तकनीकी और आर्थिक रूप से जीवनक्षम ऐसे उपक्रमों के पुनरुद्धार के लिए, पर्याप्त उपायों की संस्तुति की जाएगी जिसमें मानव श्रम संख्या का युक्तिकरण/विनिवेश/ वित्तीय पुनर्गठन आदि शामिल होंगे।
- 30.4.3 मध्यम और बड़ी इकाइयों के वित्तीय प्रोत्साहन के लिए, इस औद्योगिक नीति के प्रावधानों से परे, समिति (यथा क्रम सं० 30.4.1 में उल्लिखित) की सिफारिश के अनुसार वित्तीय निर्णय लेने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति मौजूद रहेगी। समिति में वित्त, योजना और विकास, ऊर्जा के प्रतिनिधि शामिल होंगे और यह अलग से अधिसूचित की जाएगी।
- 30.4.4 रुग्ण मध्यम और वृहत की इकाइयों को रुग्ण घोषित किए जाने हेतु बी०आई०एफ०आर० को अनुरोध करना होगा। बाद में, बी०आई०एफ०आर० या भारतीय रिजर्व बैंक की राज्य स्तरीय अंतर संस्थागत समिति (एस०एल०आई०सी०) द्वारा तैयार पुनर्वास योजना के अधीन अभिज्ञप्त रियायतें और सुविधाएँ राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति (एस०एल०आई०सी०) के माध्यम से राज्य सरकार के विचारार्थ अनुशंसा हेतु, सचिव, उद्योग की अध्यक्षता वाली समिति के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएगी।
- 30.4.5 रुग्ण/बंद लेकिन संभाव्य रूप से जीवनक्षम औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वास उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न सरकारी विभाग/संगठनों से वित्तीय समर्थन/राहत और रियायतें या परित्याग और/या एस०ई०बी०/डी०वी०सी० से बिजली तथा किसी अन्य एजेंसी/सांविधिक निकाय/स्थानीय प्राधिकरण से अन्य सुविधाएँ शामिल होंगी।
- 30.4.6 ऐसी बंद और रुग्ण औद्योगिक इकाइयाँ, जिन्होंने अपनी रुग्णता के कारण पहले ही विभिन्न सुविधाओं का लाभ उठाया हो, सामान्यतः दुबारा सुविधाएँ प्राप्त नहीं कर सकती हैं बशर्ते कि मामला-दर-मामला आधार पर सार्वजनिक हित में राज्य सरकार ऐसी सुविधाएँ मुहैया कराने का निर्णय नहीं लेती हैं।
- 30.4.7 रुग्ण इकाइयाँ सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात राज्य के औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार की निर्गम (एक्विजिट) नीति का लाभ उठा सकती हैं।
- 30.4.8 भारत सरकार पुनर्वास निधि के गठन द्वारा रुग्ण, छोटे, लघु और मध्यम उद्यमों के पुनर्वास के लिए योजना को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में निमग्न है। तदनुसार, राज्य द्वारा रुग्ण इकाइयों के पुनरुद्धार तथा पुनर्वास योजना का लाभ उठाने हेतु भारत सरकार की योजना को समुचित रूप से संशोधित किया जाएगा।

31. औद्योगिक वित्त

- 31.1 सरकार महसूस करती है कि राज्य के तीव्र उत्थान में अपर्याप्त औद्योगिक वित्त सबसे बड़ी अड़चन है। सरकार ऐसे उपाय करना चाहती है, जो औद्योगिक इकाइयों और उद्यमियों को सुगम वित्तीय प्रवाह को बढ़ावा दे।
- 31.2 राज्य सरकार द्वारा क्षेत्रीय/बैंकों के नियंत्रण कार्यालय/वित्तीय संस्थाएँ खोलने और ऋण के संबंध में मौके पर शीघ्र निर्णय सक्षम करने के लिए समुचित विवेकाधिकार सहित वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किया जाएगा।
- 31.3 अग्रणी बैंक अपने संबद्ध जिलों में लघु उद्योग, छोटे और कुटीर उद्योगों पर जोर सहित औद्योगिक क्षेत्र के लिए जिला स्तर पर ऋण प्रवाह में तेज़ी लाने के लिए 'औद्योगिक ऋण योजनाएँ' तैयार करेंगे, जिसके लिए अलग लक्ष्य निर्धारित किए जाएँगे।
- 31.4 राज्य सरकार एक समयबद्ध तरीके से, राज्य में विशेष लघु उद्योग बैंक शाखाओं को खोलने का प्रयास करेगी जिससे लघु उद्योग इकाइयों के संकेंद्रण वाले सभी जिलों को आवृत्त किया जा सके।
- 31.5 राज्य सरकार द्वारा निजी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को भी विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
- 31.6 एक राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एस0एल0बी0सी0) का गठन किया गया है, जो एक ओर राज्य सरकार और राज्य स्तरीय संस्थानों के बीच और दूसरी ओर भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक और मियादी ऋण देने वाली संस्थानों के बीच पर्याप्त अंतराफलक प्रदान करेगी। यह समिति छोटे और मध्यम पैमाने की औद्योगिक इकाइयों और छोटे उद्यमियों की समस्याओं से संबंधित जानकारी के आदान-प्रदान और उन पर चर्चा के लिए एक उपयोगी मंच प्रदान करती है। यह समिति ऐसी इकाइयों को ऋणों की मंजूरी से संबंधित सामान्य समस्याओं के अतिरिक्त बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बीच समन्वय से संबंधित समस्याओं और साथ ही, औद्योगिक इकाइयों को पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं के प्रावधानों के संबंध में समाधान का प्रयास करती है।
- 31.7 माइक्रो ऋण के सुगम प्रवाह और वसूली को सुविधाजनक बनाने के लिए, नाबार्ड, सिडबी, सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंक आदि जैसे वित्तीय संस्थानों को स्व-सहायता समूहों (एस0एच0जी0) को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- 31.8 राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण की शीघ्र और त्वरित वसूली सुनिश्चित करने के लिए वाणिज्यिक बैंक और वित्त पोषण करने वाले संस्थानों को सशक्त बनाने में मदद के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएँगे।

32. प्रोत्साहन और रियायतें

- 32.1 **समेकित परियोजना निवेश अनुदान (सी0पी0आई0एस0)** – यह सुविधा मेगा औद्योगिक इकाइयों को छोड़कर अन्य औद्योगिक इकाइयों के लिए होगी।
- 32.1.1 औद्योगिक इकाइयाँ निम्न में निवेश के लिए **समेकित परियोजना निवेश अनुदान (सी0पी0आई0एस0)** पाने हेतु पात्र होंगी:
- (i) संयंत्र और मशीनरी।
 - (ii) प्रदूषण नियंत्रण उपकरण।
 - (iii) पर्यावरण अनुकूल वैकल्पिक विद्युत उत्पादन उपकरण।
 - (iv) कर्मचारी कल्याण (ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0, स्वास्थ्य बीमा योजना)।
- 32.1.2 सी0पी0आई0एस0 के तहत सब्सिडी के लिए, संयंत्र और मशीनरी में निवेशार्थ 50% , प्रदूषण नियंत्रण उपकरण और पर्यावरण के अनुकूल वैकल्पिक विद्युत उत्पादन उपकरणों में निवेश हेतु प्रत्येक के लिए 20 % एवं 20 % और कर्मचारी कल्याणार्थ (ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0, स्वास्थ्य बीमा) में निवेश के लिए 10% भारांक सहित निवेश की योग्यता राशि की गणना की जाएगी।
- 32.1.3 **सी0पी0आई0एस0 के तहत सब्सिडी श्रेणी ए, बी, सी के अधीन प्रखंडों के लिए परिकलित निवेश की योग्यता राशि के अधिकतम क्रमशः 7 %, 10 % और 15 % तक अनुमान्य होगी** (श्रेणी ए, बी और सी के तहत खंडों की सूची परिशिष्ट-1, क्र0सं0 12 में उल्लिखित है)।
- 32.1.4 किसी औद्योगिक इकाई के लिए सी0पी0आई0एस0 के तहत अधिकतम अनुमान्य सब्सिडी 5 (पांच) करोड़ रुपए होगी।
- 32.1.5 सी0पी0आई0एस0 के अंतर्गत सब्सिडी का लाभ उठाने वाले उद्योग क्र0सं0 32.2 के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे (स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क)।
- 32.1.6 क्र0सं0 32.2 के तहत उद्योगों को सब्सिडी (स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण), वैट प्रोत्साहन और सी0पी0आई0एस0, सभी को एक साथ जोड़ने पर, कंपनी द्वारा परियोजना में किए गए कुल अचल पूँजी निवेश से अधिक नहीं होगी। वैट प्रोत्साहन में क्र0सं0 32.5 के तहत परिकलित वैट और इस नीति में प्रदान किए गए किसी अन्य शीर्ष के अधीन दावा किया गया वैट लाभ शामिल होगा। तथापि, पेटेंट/गुणवत्ता प्रमाणीकरण और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/महिलाएँ/शारीरिक रूप से विकलांग के लिए विशेष प्रोत्साहन, इसका हिस्सा नहीं होंगे।
- 32.1.7 **सीपीआईएस के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/विकलांग उद्यमियों को 5% अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा।** यह लाभ केवल झारखंड के निवासियों के लिए लागू होगा। इस कडिका के प्रयोजन के लिए केवल वे व्यक्ति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधीन लाभ पाने के लिए पात्र होंगे, जिनके पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत जाति/आवासीय प्रमाण पत्र है, जो

झारखंड राज्य में एस0डी0ओ0 के पद से नीचे का न हो। इसी तरह, केवल उन व्यक्तियों को विकलांग श्रेणी का माना जाएगा, जिन्हें सक्षम चिकित्सा मंडल द्वारा 40% से अधिक विकलांगता के रूप में प्रमाणित किया गया हो।

32.1.8 उग्रवाद से प्रभावित खंडों के लिए विशेष प्रोत्साहन

गैर-खनिज आधारित (ऐसे उद्योग, जो राज्य के खनिज संसाधनों का उपयोग नहीं करते हैं) नई औद्योगिक इकाइयाँ जो संयंत्र और मशीनरी में 5 करोड़ रुपए के न्यूनतम निवेश के साथ **उग्रवाद प्रभावित प्रखण्ड** में (नगरपालिका सीमा से 5 कि0मी0 दूर) स्थित है तथा कम से कम 100 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराती हैं, सीपीआईएस के तहत **5% अतिरिक्त प्रोत्साहन** के लिए पात्र होंगी। इसके अलावा, **एक अतिरिक्त वर्ष के लिए वैट की प्रतिपूर्ति की जाएगी।**

32.1.9. नीति में सरकार की कुछ सुविधाओं/प्रोत्साहन आदि का लाभ उठाने के लिए कुछ उद्योगों के लिए निर्दिष्ट संख्या में कार्य बल की प्रत्यक्ष नियुक्ति की परिकल्पना की गई है। **ऐसे प्रत्यक्ष रोजगार में राज्य सरकार की आरक्षण नीति को लागू करने वाले उद्योग सीपीआईएस के तहत 5% अतिरिक्त प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगे।**

32.1.10 उद्योगों को सी0पी0आई0एस0 श्रेणी के अंतर्गत केवल एक बार सब्सिडी प्रदान की जाएगी। प्रदान की जाने वाली सब्सिडी 20 % प्रति वर्ष के दर से 5 वर्ष की कालावधि में भुगतान होगी।

32.1.11 भारत सरकार की योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाली औद्योगिक इकाइयाँ इस नीति के क्र0सं0 {32.1.1 (i से iv)} के तहत लाभ प्राप्त करने की पात्र नहीं होंगी।

32.2.1 स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क

100 व्यक्तियों के प्रत्यक्ष रोजगार के साथ रैयत से सीधे खरीदी गई/सहमति अधिनिर्णय के माध्यम से हासिल भूमि के लिए विनिर्माण इकाइयाँ **स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क के 50% की प्रतिपूर्ति** की सुविधा पाएँगी (आई0ए0डी0ए0/औद्योगिक पार्क के पट्टेदार इस लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे)। यह सुविधा किसी विशिष्ट भूमि के प्रथम लेन-देन के लिए ही प्रदान की जाएगी।

32.2.2 खरीदी गई ज़मीन के प्रति एकड़ के लिए 100 प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराने वाले उद्योगों को भूमि के लिए **स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति** की अनुमति होगी।

32.2.3 उद्योग जो बिना किसी महत्वपूर्ण मूल्य-वर्धन के खनन, पिसाई, परिवहन, धुलाई आदि जैसी खनिज निष्कर्षण गतिविधियों में प्रवृत्त हैं, ऐसे लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।

32.3 गुणवत्ता प्रमाणीकरण

(क) औद्योगिक इकाइयों की गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा उच्च प्राथमिकता दी जा रही है और उन्हें भारतीय मानक ब्यूरो और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संस्थानों से गुणवत्ता

प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए, किए गए व्यय के 50% दर पर अधिकतम ₹0 2.00 लाख तक की सहायता प्रदान की जाएगी।

निम्नलिखित किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त/स्वीकृत मानकों के अधीन प्रमाण-पत्र/मान्यता प्राप्त करने वाली इकाइयाँ लाभ पाने के लिए पात्र होंगी :-

- आईएसओ –9000 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली
- आईएसओ –14000 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली
- आईएसओ –18000 व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा मानक
- बीआईएस प्रमाणीकरण
- सामाजिक जवाबदेही मानक
- हरित ऊर्जा प्रमाणपत्र
- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बी0ई0ई0) प्रमाण-पत्र
- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एल0ई0ई0डी0 प्रमाणीकरण
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त पारिस्थितिकी-लेबल ओकेई-टीईएक्स 100 आदि
- कोई अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाणीकरण, जो बेहतर बाजार स्थिति सक्षम कराए।

(ख) कोई भी उद्यम इस औद्योगिक नीति की अवधि के दौरान अधिकतम वित्तीय सीमा अन्तर्गत एक से अधिक प्रमाणीकरण की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

(ग) भारत सरकार द्वारा भी गुणवत्ता प्रमाणन (आई0एस0ओ0-9000, आई0एस0ओ0-14000 आदि) के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्राथमिकता आधार पर ऐसे लाभ की सुविधा पाने वाली इकाई को राज्य सरकार बढ़ावा देगी और सुविधा उपलब्ध कराएगी।

32.4 पेटेंट पंजीकरण

औद्योगिक इकाइयों को उनके मूल कार्य/अनुसंधान के आधार पर सफलतापूर्वक जनित, पंजीकृत और स्वीकृत पेटेंट दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा प्रति पेटेंट, किए गए व्यय का 50%, अधिकतम ₹0 2 लाख तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इनमें से अधिकतम ₹0 1 लाख पेटेंट दाखिल करने, वकील का शुल्क, पेटेंट ट्रेकिंग के लिए किए गए व्यय पर और पेटेंट की अंतिम स्वीकृति पर अधिकतम ₹0 2 लाख दिया जा सकता है।

32.5 वैट पर सब्सिडी/प्रोत्साहन

लघु उद्योग, हथकरघा, रेशम उत्पादन, हस्तशिल्प, खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद सहित नीचे प्रस्तुत सम्बन्धित औद्योगिक इकाईके लिए यह सुविधा उपलब्ध होगी:

(क) एम0एस0एम0ई0 नीचे वर्णित अवधि के लिए इकाइयों की अवस्थिति के आधार पर प्रति वर्ष निवल (नेट) वैट के 60% भुगतान, अधिकतम कुल अचल पूँजी निवेश के 100% तक की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगा।

क्र०सं०	अवस्थिति	अवधि (वर्ष)
1	ए	5
2	बी	7
3	सी	9

(ख) वृहत और मेगा उद्योग, उपर्युक्त तालिका में दर्शाए गए अनुसार, इकाई की अवस्थिति के आधार पर विभिन्न अवधियों के लिए, कुल अचल पूँजी निवेश के अधिकतम 75% तक, प्रति वर्ष (निवल) नेट वैट के 50% भुगतान के लिए पात्र होंगे।

(ग) हथकरघा, रेशम उत्पादन, हस्तशिल्प, खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद, उपर्युक्त तालिका में दर्शाए गए अनुसार, इकाई की अवस्थिति के आधार पर विभिन्न अवधियों के लिए, कुल अचल पूँजी निवेश के अधिकतम 100% तक, प्रति वर्ष निवल (नेट) वैट के 75% भुगतान के लिए पात्र होंगे।

(घ) (i) परिधान, वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल, आई0टी0/आई0टी0ई0एस0 और जैव प्रौद्योगिकी इकाइयाँ, उपर्युक्त तालिका में दर्शाए गए अनुसार, इकाई की अवस्थिति के आधार पर विभिन्न अवधियों के लिए, कुल अचल पूँजी निवेश के अधिकतम 75% तक, प्रति वर्ष निवल (नेट) वैट के 75% भुगतान की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगी।

(ii) राज्य में स्थापित, प्रस्तावित यथाशीघ्र स्थापित होने वाली इन्ट्रीगेटेड स्टील प्लांट तथा/अथवा सह कैप्टिव पावर प्लांट तथा कोल आधारित थर्मल पावर इकाई से भारी मात्रा में फ्लाई ऐस तथा ब्लास्ट फर्नेस स्लैग के सृजन की सम्भावना है। यह वातावरण प्रदूषण का प्रमुख कारक है। इन औद्योगिक कचड़े (वेस्ट) का उपयोग सामान्यतः ईट बनाने, सीमेंट उत्पादन एवं भूमि सुधार इत्यादि में होता है। इस राज्य में उत्पादित कचड़े (वेस्ट सामग्री) का कम से कम 25 प्रतिशत कच्चा माल के रूप में (वजन आधार) पर इस्तेमाल करने वाली मेगा औद्योगिक इकाई को कंडिका घ (i)

के अनुरूप वैट अनुदान अनुमान्य होगा। इसके साथ ही साथ उत्पादन की गुणवत्ता बी0आई0एस0 मानक या समतुल्य अन्तर्राष्ट्रीय मानक पर खरा उतरे।

(ड) औद्योगिक इकाइया, जो विस्तार/आधुनिकीकरण और विविधीकरण द्वारा नई इकाई के लिए योग्य हैं, वे अपनी संबंधित श्रेणियों में उपर्युक्त वैट के संबंध में समान लाभ पाने की हकदार होंगी। तथापि, उन्हें ऐसे विस्तार/विविधीकरण और आधुनिकीकरण के लिए उत्पादन और निवेश के अलग विवरणों के अभिलेखों का अनुरक्षण करना होगा। यदि ऐसी इकाइयों द्वारा एक अलग अभिलेखों का अनुरक्षण संभव न हो, तो ऐसी इकाइयों को स्थापित क्षमता के अनुपात में लाभ उपलब्ध होगा।

(च) इन लाभों के लिए दावा करने वाली किसी भी इकाई को वाणिज्य कर विभाग, झारखंड सरकार के पास पंजीकरण करवाना होगा और अपनी सभी सांविधिक विवरणियाँ दर्ज करनी होंगी।

(छ) वाणिज्य कर विभाग द्वारा, किसी विशिष्ट समय सीमा में वार्षिक कर विवरणी के अंतिम मूल्यांकन के मामलों में ऐसी इकाइयों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

(ज) वाणिज्य कर विभाग द्वारा कर मूल्यांकन के मामले में समय-सीमा सहित आकलन अधिकारियों की जिम्मेदारियों को भी सूचित किया जाएगा।

(झ) वैट प्रतिपूर्ति दावे का भुगतान वार्षिक आधार पर किया जाएगा और ऐसा भुगतान कम से कम एक संपूर्ण वित्तीय वर्ष तक संयंत्र के संचालन के बाद किया जाएगा।

(ञ) इकाई, जिसके लिए वाणिज्य कर विभाग द्वारा विधिवत् विवरणी का मूल्यांकन संपन्न नहीं हुआ है, अगले वर्ष हेतु वैट की प्रतिपूर्ति के दावे के लिए पात्र नहीं होगी।

(ट) अंतिम वर्ष के लिए अर्थात् पात्रता अवधि के अंतिम वर्ष के लिए वैट प्रतिपूर्ति के दावों पर, सभी पिछले वर्षों के मूल्यांकन की समाप्ति पर ही विचार किया जाएगा।

(ठ) वैट पात्रता अवधि के लिए प्रतिपूर्ति की सुविधा का लाभ उठाने के बाद, औद्योगिक इकाइयों को भविष्य में इसी स्तर पर, इतने ही वर्षों के लिए कर अनुपालन का अनुरक्षण करना होगा, जितने वर्ष उन्होंने वैट का दावा किया है, उदाहरण के लिए एक इकाई जिसने अवस्थिति के लिए पाँच वर्ष वैट प्रतिपूर्ति का दावा किया है, उसे प्रतिपूर्ति की समाप्ति के बाद अगले पाँच वर्षों तक कर अनुपालन करना होगा।

(ड) वैट सब्सिडी का दावा करने के लिए, उद्योग विभाग से औद्योगिक इकाई को पास-बुक जारी किया जाएगा, जिसमें जावक देय कर (सी0एस0टी0 सहित) और झारखंड वैट (सी0एस0टी0 सहित) के अधीन प्रदत्त कर के विवरण अनुबंध- III में निर्धारित प्रपत्र में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रविष्ट और सत्यापित किए जाएँगे। सत्यापन के आधार पर निदेशक, उद्योग प्रोत्साहन राशि की अदायगी के लिए प्राधिकृत होंगे, जिसके लिए अलग से नियम तैयार किए जाएँगे।

नोट: इस औद्योगिक नीति में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, राज्य को समुचित निर्देश देने का अधिकार होगा, जिसके अंतर्गत राज्य में माल और सेवा कर प्रणाली के कार्यान्वयन के बाद इस नीति में मंजूर किसी प्रोत्साहन को संशोधित करने, हटाने या प्रतिस्थापित करने के अधिकार शामिल हैं।

32.6 औद्योगिक पार्क, निजी औद्योगिक क्षेत्र/इस्टेट के लिए प्रोत्साहन

32.6.1 सामान्य आधारभूत संरचना लागत का 50%, अधिकतम 10 करोड़ रु0 तक, नयी वस्त्र/परिधान पार्क, आई0टी0/आई0टी0ई0एस पार्क, जैव – प्रौद्योगिकी पार्क, रत्न और आभूषण पार्क, जैव तकनीक और जड़ी-बूटी पार्क, रासायनिक और औषधीय पार्क, खाद्य पार्क, ऑटोमोबाइल विक्रेता पार्क आदि {क्र0सं0 15 (i-viii) में उल्लिखित} और निजी औद्योगिक क्षेत्र/इस्टेट के सामान्य बुनियादी ढाँचे के विकास पर होने वाले खर्च का वहन राज्य सरकार करेगी। इस तरह के बुनियादी ढाँचे में मुख्य रूप से सड़क संजाल, मल-जल-निकासी, पीने का पानी और बिजली वितरण आदि शामिल होंगे।

32.6.2 राज्य सरकार उपर्युक्त औद्योगिक पार्क और निजी औद्योगिक क्षेत्र/संपदा की भूमि के पंजीकरण शुल्क के 50% की प्रतिपूर्ति करेगी।

32.7 कलस्टर विकास के लिए प्रोत्साहन

सरकार या एसपीवी के अपने अंशदान से कुल अनुमोदित परियोजना लागत के न्यूनतम 10% अनुदान तक, जो भी कम हो, राज्य के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक योजनाओं हेतु राज्य सरकार पेशकश करेगी।

32.8 टेक्सटाईल और एपरैल के लिए प्रोत्साहन

(क) औद्योगिक भूमि/आबंटित या उद्योग द्वारा खरीदे गए भू-खंड के संबंध में पट्टा, बिक्री सह पट्टा या बिक्री विलेख के निष्पादन के लिए और पट्टे पर ली गई औद्योगिक भूमि/भू-खंड के मामले में पट्टा विलेख के निष्पादन के संबंध में उद्योग द्वारा प्रदत्त स्टाम्प शुल्क और हस्तांतरण शुल्क के प्रति 100% प्रतिपूर्ति अनुमान्य होगी।

(ख) वस्त्र/परिधान (टेक्सटाईल एवं एपरैल) विनिर्माण इकाइयों को नियोजित प्रत्येक 1000 कामगारों के लिए एक एकड़ की दर पर कामगारों के निवास हेतु परिधान/वस्त्र पार्क के निकट शयनागारों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता भूमि की लागत का 50% अधिकतम रु0 50 लाख तक सीमित होगी।

32.9 कृषि-खाद्य प्रसंस्करण कलस्टर के लिए प्रोत्साहन

राज्य सरकार परियोजना लागत के 10% तक सहायता देगी बशर्ते कि परियोजना के डीपीआर को भारत सरकार –एम0एस0एम0ई0 ने स्वीकृति प्रदान की हो।

32.10 कैप्टिव उर्जा संयंत्र के लिए प्रोत्साहन

कैप्टिव उर्जा संयंत्र की स्थापना करने वाली नई या मौजूदा औद्योगिक इकाइयों को स्वयं के खपत या कैप्टिव उपयोग के लिए, (अर्थात् संयंत्र द्वारा प्रयुक्त बिजली के उपयोग के संबंध में) उसके प्रारंभ से लेकर पाँच वर्षों की अवधि के लिए विद्युत शुल्क के 50 % भुगतान की छूट दी जाएगी।

32.11 आईटीआई/आईटीआईएसओ के लिए प्रोत्साहन

(क) बहुत बड़ी आईटीआई इकाइयों को पाँच वर्ष के लिए विद्युत शुल्क में छूट दी जाएगी।

(ख) नई आईटीआई –आईटीआईएसओ के साथ-साथ रु० 5 करोड़ से लेकर रु० 50 करोड़ के बीच निवेश करने वाली विस्तार इकाइयाँ, जिन्होंने 100 से अधिक प्रत्यक्ष श्रमिकों को रोजगार दिया हो, समेकित परियोजना निवेश अनुदान (सीपीआईएसओ) के लिए पात्र होंगी।

(ग) आईटीआई– आईटीआईएसओ इकाई को रु० 2.5 लाख प्रति 50 व्यक्ति (राज्य में अध्ययन करने वालों सहित स्थानीय लोग) भर्ती प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसकी अधिकतम सीमा रु० 25 लाख होगी, जिसका लाभ केवल एक बार उठाया जा सकता है।

(घ) प्रथम लेन-देन पर बिक्री/पट्टा विलेख के लिए आईटीआई– आईटीआईएसओ उद्योगों द्वारा प्रदत्त स्टाम्प ड्यूटी, हस्तांतरण शुल्क और पंजीकरण शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(ङ) द्वितीय लेन-देन पर बिक्री/पट्टा विलेख के लिए आईटीआई – आईटीआईएसओ उद्योगों द्वारा प्रदत्त स्टाम्प ड्यूटी, हस्तांतरण शुल्क और पंजीकरण शुल्क की 50% प्रतिपूर्ति जाएगी।

(च) औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार द्वारा प्रदत्त भूमि के लिए (घ) और (ङ) सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होंगी।

(छ) न्यूनतम 2500 वर्ग फीट वाले पूर्णतः निर्मित कार्यालय स्थल के लिए तीन वर्षों की अवधि हेतु पट्टा किराये (परिसर के किराये सहित) की वास्तविक लागत के 50% तक, अधिकतम रु० 5 लाख प्रति वर्ष के अधीन प्रतिपूर्ति की जाएगी। इन इकाइयों को सीपीआईएसओ की भूमि/भवन घटक के तहत लाभ पाने की अनुमति नहीं होगी। तथापि, उनके द्वारा संयंत्र, मशीनरी आदि जैसे सीपीआईएसओ के अन्य घटकों के लिए प्रोत्साहन का लाभ उठाया जा सकता है।

(ज) सरकार आईटीआई– आईटीआईएसओ स्थानों में कैप्टिव उर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करेगी। कैप्टिव उर्जा उत्पादन करने वाले ध्वनि-रहित सेटों में किए गए पूँजी व्यय के 40% की प्रतिपूर्ति की जाएगी। यह सीपीआईएसओ के तहत एक बार प्रोत्साहन देय होगा (जिसे प्रदूषण नियंत्रण उपकरण प्रोत्साहन और पर्यावरण अनुकूल कार्यक्रम को संयुक्त रूप से शामिल किया जाएगा)।

32.12 पर्यटन के लिए प्रोत्साहन (निम्नलिखित के अतिरिक्त नीति में अन्य किसी स्थान पर उल्लिखित कोई और प्रोत्साहन लागू नहीं होगा)।

32.12.1 (क) बेड एवं ब्रेकफास्ट योजना अन्तर्गत आवासीय घर/परिसर में अवस्थित सुविधाओं पर, विलासिता कर पर पूर्ण छूट तथा घरेलू दर पर बिजली विपत्रों की अनुमान्यता छूट दी जाएगी और भूमि के उपयोग के लिए शहरी स्थानीय निकायों से अलग अनुमति की आवश्यकता नहीं है। यह अधिकतम 5 वर्षों के लिए लागू होगा।

(ग) राँची, जमशेदपुर और धनबाद के पांच सितारा होटल एवं राज्य के अन्य स्थानों पर तीन और चार सितारा होटलों को पाँच वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए 50% विलासिता कर की प्रतिपूर्ति हासिल होगी।

32.12.2 राज्य में स्थापित नए रोप-वे और मनोरंजन पार्क के पूरी तरह परिचालित होने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए मनोरंजन कर की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

33. विस्तार/आधुनिकीकरण/विविधीकरण

विस्तार/आधुनिकीकरण/विविधीकरण के दौर से गुज़रने वाली और परिशिष्ट-I के क्र०सं० 6 तथा क्र०सं० 7 में उल्लिखित मानदंडों को पूरा करने वाली नई औद्योगिक इकाइयों को, नई इकाइयों के साथ समतुल्य पर माना जाएगा और संबंधित इकाइयों तदनुसार प्रोत्साहनों की पात्र भी होंगी, चाहे इकाई ने पूर्व विस्तार/आधुनिकीकरण/विविधीकरण के लिए पहले की किसी भी नीति के तहत इकाई के रूप में लाभ उठाया हो। एमएसएमई इकाइयों के विस्तार/आधुनिकीकरण/विविधीकरण के लिए, इस नीति के तहत केवल तभी लाभ लिया जा सकता है यदि पूर्व परियोजना के उत्पादन की तिथि और कार्यान्वयन के किसी परियोजना के मध्य अंतराल अवधि न्यूनतम दो वर्ष है। इसी प्रकार, वृहत और मेगा परियोजनाओं के लिए लाभ प्राप्त करने हेतु पूर्व परियोजना के उत्पादन की तिथि और कार्यान्वयन के किसी परियोजना के मध्य अंतराल अवधि तीन वर्ष अवश्य होनी चाहिए।

समय अनुसूची और विस्तार/आधुनिकीकरण/विविधीकरण की पूर्णता को दर्शाने वाली विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अनुमोदन के लिए उद्योग विभाग को प्रस्तुत की जाएगी। यदि 30 दिनों के अंदर अनुमोदन संसूचित नहीं किया जाता है, तो इसे अनुमोदित माना जाएगा।

एमएसएमई श्रेणी के अंतर्गत परियोजनाएँ उद्योग निदेशक की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा अनुमोदित की जाएँगी और वृहत और मेगा श्रेणी के अंतर्गत आने वाली परियोजनाएँ, उद्योग सचिव द्वारा अनुमोदित की जाएँगी।

34. सामान्य प्रावधान

34.1 सार्वजनिक उपयोगिता सेवा

उद्योगों/प्रतिष्ठानों की निम्नलिखित श्रेणियाँ आई०डी० अधिनियम-1947 के अध्याय-V के तहत प्रावधानों के क्रियान्वयन के प्रयोजनार्थ "सार्वजनिक उपयोगिता सेवा" के रूप में घोषित की जाएँगी।

(i) सूचना प्रौद्योगिकी तथा आई०टी० सक्षम सेवाएँ

- (ii) जैव प्रौद्योगिकी
- (iii) कृषि आधारित प्रसंस्करण
- (iv) इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार
- (v) निर्यात उन्मुख इकाइयाँ और औद्योगिक पार्कों में इकाइयाँ
- (vi) औद्योगिक पार्क और एस0ई0जेड0 सहित अवसंरचनात्मक परियोजनाएँ

34.2 कारखाना अधिनियम के कुछ प्रावधानों से छूट

निम्नलिखित श्रेणियों की औद्योगिक इकाइयों और प्रतिष्ठानों को कारखाना अधिनियम-1948 के अध्याय-VI (वयस्कों के लिए काम के घंटे) के प्रावधानों से छूट दी जाएगी।

- (i) सूचना प्रौद्योगिकी तथा आई0टी0 सक्षम सेवाएँ
- (ii) जैव प्रौद्योगिकी
- (iii) इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार
- (iv) निर्यात उन्मुख इकाइयाँ
- (v) विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक प्रतिष्ठान

34.3 औद्योगिक संपदाएँ, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, विकास केंद्र आदि स्थानीय उद्योग संघों द्वारा प्रबंधन के लिए नगर-पालिका तथा अन्य स्थानीय प्राधिकरणों की कर व्यवस्था से बाहर रहेंगे, बशर्ते कि शहरी विकास विभाग की सहमति लेकर या प्रासंगिक अधिनियम के संशोधन द्वारा, यदि आवश्यक हो, पूर्व वर्णित या तो प्रत्यक्ष या अन्य एजेंसियों के माध्यम से औद्योगिक संपदाओं की अवसंरचना को बनाए रखने का कार्य संचालित करने का उत्तरदायित्व लेते हैं। शहरी विकास विभाग ऐसी सेवाएँ प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश और निर्धारित शुल्क तय कर सकेगा।

34.4 शहरी क्षेत्रों में प्रभावी मास्टर प्लान के अनुरूप और अन्य प्रासंगिक स्वीकृतियों का पालन करने वाली, प्रयोगशालाओं सहित पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी (आई0टी0) और जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित इकाइयाँ अनुमान्य की जा सकती हैं। उपर्युक्त इकाई के लिए क्र0सं0 26.3.8 में परिभाषित शर्तों की सीमा तक तल- क्षेत्रफल अनुपात (एफ0ए0आर0) पर भी विचार किया जा सकता है।

34.5 श्रम सुधार

निम्नलिखित श्रम सुधारों के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार की जाएगी।

(क) विभिन्न श्रम कानूनों के तहत अनुरक्षण हेतु अपेक्षित भिन्न-भिन्न अभिलेखों, पंजिकाओं और विवरणियों के समामेलन को सर्वोच्च प्राथमिकता देना, महिलाओं के काम के लचीले घंटे, और नियमित प्रकृति के श्रम संबंधित अनुपालन के लिए "स्वतः प्रमाणीकरण" की प्रणाली आरंभ करना।

(ख) झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जे0एस0पी0सी0बी0), श्रम निरीक्षक, कारखानों और बॉयलर के मुख्य निरीक्षक, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, और क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम जैसी विभिन्न नियामक एजेंसियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण की एक प्रणाली तैयार की जाएगी और एक समयबद्ध तरीके से लागू की जाएगी।

(ग) समय-समय पर इन प्रावधानों के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाएगी तथा निवेशकों/कंपनियों की शिकायत, यदि कोई हो, उद्योग विभाग के एकल खिड़की प्रकोष्ठ द्वारा प्राप्त की जाएगी।

34.6 चार्टर्ड इंजीनियर/निरीक्षक

राज्य सरकार पंजीकरण, निरीक्षण और नवीकरण के संबंध में बॉयलर निरीक्षक के कर्तव्य का निष्पादन करने के लिए अपेक्षित योग्यता रखने वाले चार्टर्ड इंजीनियरों को अधिकृत करने पर विचार कर रही है।

34.7 प्रोत्साहनों की प्रयोज्यता (विशेष उल्लेख)

(क) सी0पी0आई0एस0 के तहत प्रोत्साहन मेगा उद्योगों के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) ऐसे उद्योग जिन्होंने परिशिष्ट-1 {11 (iii)} के तहत निर्धारित मानदंडों के आधार पर पूर्व में निवेश किया है तथा मेगा उद्योगों के रूप में अर्हता प्राप्त कर चुके हैं, तथा उत्पादन की तिथि के बावजूद 01.04.2011 से पहले पिछली औद्योगिक नीति-2001 के तहत सब्सिडी/लाभ नहीं उठाया है, इस नीति के तहत लाभ पाने के पात्र होंगे।

(ग) 20.7 के तहत प्रावधान उस स्थिति में भी पात्र औद्योगिक इकाइयों पर लागू होंगे, यदि भारत सरकार उसी के समान लाभ प्रदान करती है। यह भारत सरकार के प्रोत्साहन के अतिरिक्त होगा।

(घ) ऐसे प्रोत्साहन, जहाँ समय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है, अधिकतम पाँच वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध होंगे।

34.8 विशिष्ट मेगा इकाइयाँ

ऐसी औद्योगिक इकाइयों, जिन्होंने परिशिष्ट-i, ii (iii) के तहत मेगा श्रेणी के निर्धारित निवेश के मानदण्डों से तीन गुणा निवेश किया हो, के लिए अलग-अलग मामलावार मंत्रिपरिषद के द्वारा विशेष पैकेज पर विचार किया जा सकता है।

35. उत्पादन तिथि (डीओपी)

35.1 इस औद्योगिक नीति के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए सभी औद्योगिक इकाइयों को सक्षम प्राधिकारी से उत्पादन की तिथि (डीओपी) का प्रमाणीकरण प्राप्त करना आवश्यक होगा। डीओपी प्रमाणपत्र के विकल्प के लिए ईएम0 भाग-II या आईईएम0 पर्याप्त नहीं होगा।

35.2 किसी औद्योगिक इकाई को उद्योग विभाग में उत्पादन की तिथि का आवेदन दाखिल करने हेतु पात्र बनने के लिए परियोजना प्रस्ताव/डीपीआर0 में परिकल्पित अनुसार प्रस्तावित पूंजी निवेश का न्यूनतम 85% निवेश करना होगा, और निर्धारित उत्पादन क्षमता का न्यूनतम 50% प्राप्त करना होगा।

35.3 (क) पात्र बनने वाली औद्योगिक इकाई उत्पादन आरंभ होने के एक महीने के भीतर, डीपीआर0 में परिकल्पित अनुसार, डीओपी आवेदन प्रस्तुत कर सकती है।

(ख) डीओपी के लिए आवेदन प्रपत्र ऑन-लाइन भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

(ग) डीओपी के लिए ऑन-लाइन प्रस्तुत आवेदन, निदेशक (डीआई0)/आईए0डीए0/जीएम0, डीआईसी0 द्वारा, जैसा भी मामला हो, अभिस्वीकृत किए जाएंगे।

35.4 (क) एमएस0ई0 इकाइयों को डीओपी आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अधिकतम छह महीने के समय की छूट मिलेगी। तथापि, आवेदन विधिवत दस्तावेजी साक्ष्यों द्वारा समर्थित व्यक्त कारण सहित प्रस्तुत करना होगा।

(ख) आवेदन 6 महीने से विलम्ब से प्रस्तुत किए जाने पर प्रति माह 3% अधिकतम 10%, जुर्माने की प्रोत्साहन राशि से कटौती की जाएगी। यह कटौती गैर-मेगा इकाई के लिए प्रोत्साहन में से और मेगा इकाई के लिए निवल वैट से, प्रथम लेन-देन पर की जाएगी।

(ग) आवेदन जमा करने में अगले छह महीने से अधिक की देरी के मामले में, प्रति माह 5% अधिकतम 25%, जुर्माने की कटौती, गैर-मेगा इकाई के लिए सीपीआईएस के प्रोत्साहन की स्वीकार्य राशि में और मेगा इकाइयों के लिए निवल वैट से, प्रथम लेन-देन पर की जाएगी।

35.5 (क) प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए केवल सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन प्रपत्र पर ही विचार किया जाएगा।

(ख) इस नीति के तहत सब्सिडी के संवितरण के प्रयोजन के लिए मात्र ईएम0 भाग-II या आईईएम0 प्रस्तुत करना पर्याप्त नहीं होगा।

(ग) यह उल्लेख किया जाता है कि बिना वांछित विवरणों वाला अपूर्ण आवेदन अथवा त्रुटियों वाला आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया आवेदन माना जाएगा और स्वतः अस्वीकृत हो जाएगा। संबंधित अधिकारी इस बारे में आवेदक को सूचित कर सकते हैं।

(घ) एक बार डीओपी का आवेदन अस्वीकृत हो जाने पर संबंधित औद्योगिक इकाई पूर्ण आवेदन प्रपत्र नए सिरे से प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगी।

(ङ) सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा अपेक्षित प्रमाण-पत्र जारी न किए जाने के मामले में डीओपी के लिए आवेदन अपूर्ण नहीं माना जाएगा। ऐसे मामलों में आवेदक को डीओपी आवेदन के साथ, दिनांक आदि सहित सांविधिक प्राधिकरण को प्रस्तुत आवेदन की एक प्रति संलग्न करनी होगी।

35.6 (क) सामान्यतः डीओपी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन को आवेदन की प्राप्ति-तिथि से एक महीने के अंदर निपटा दिया जाएगा।

(ख) तथापि, यदि किसी भी कारण से, निपटान में देरी होती है, तो देरी का कारण अंकित जाएगा और ऐसी देरी तीन महीने से अधिक नहीं होगी।

35.7 (क) वर्तमान समझौता ज्ञापनों के अधीन आवृत्त ऐसे सभी उद्योग, जहाँ पिछली पॉलिसी अवधि (15.11.2000 – 31.03.2011) के दौरान काफी प्रगति हुई है, किन्तु डीओपी निर्धारित नहीं की गई है, इस नई नीति के तहत प्रासंगिक श्रेणी के अंतर्गत लाभ/रियायत का लाभ उठाने के पात्र होंगे।

(ख) औद्योगिक इकाइयाँ केवल डीओपी के अगले वित्तीय वर्ष से ही विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत प्रतिपूर्ति/सब्सिडी/प्रोत्साहनों के भुगतान के लिए हकदार होंगी।

(ग) . रु0 500 करोड़ से ऊपर निवेश वाली औद्योगिक इकाइयाँ, जो 01.04.2011 से पूर्व उत्पादन/परिचालन आरंभ कर चुकी हैं और उद्योग विभाग द्वारा उत्पादन तिथि प्रमाण-पत्र (डीओपी) जारी करने के लिए आवेदन नहीं किया है, ऐसी इकाइयाँ केवल झारखंड औद्योगिक नीति-2012 के तहत ही लाभ उठाने हेतु ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करवाने के लिए विभाग के पास आ सकती हैं।

36. समझौता ज्ञापन (एमओयू)

36.1 (क) नए निवेश के लिए झारखंड सरकार और निवेशकों के बीच समझौता ज्ञापन सहमत/

हस्ताक्षरित हो सकता है।

(ख) केवल मेगा उद्योगों के लिए समझौता ज्ञापन सहमत हो सकता है।

(ग) आरंभ में, संक्षेप में प्रस्तावित उद्योग के बारे में निवेशक का आशय और राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली संभावित सुविधाओं को दर्शाने वाला समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित होगा, जो अधिकतम केवल 12 महीने की अवधि तक वैध रहेगा।

इसके बाद, समझौता ज्ञापन का दूसरा चरण हस्ताक्षरित होगा, जिसमें चयनित स्थल वाला डीपीआर, इकाई के लिए वांछित संसाधनों, निधि के संभावित स्रोतों, कच्चे माल, उपभोज्य, उपयोगिताएँ, जनशक्ति की आवश्यकता, ढाँचागत विवरण, कार्यान्वयन के लिए समय-सीमा आदि सहित परियोजना के पूर्ण विवरण शामिल होंगे।

(ङ) यदि राज्य सरकार के साथ दूसरे चरण का समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित नहीं होता है तो आरंभ में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन एक वर्ष के बाद स्वतः समाप्त हो जाएगा।

36.2 (क) वर्तमान समझौता ज्ञापन, जो आंशिक रूप से या पूरी तरह से निष्पादित किए जा चुके हैं, और जिनके लिए झारखंड औद्योगिक नीति-2001 के तहत लाभ उठाया जा चुका है, संपन्न हो गए हैं।

(ख) पूर्व में निष्पादित समझौता ज्ञापन, जहाँ प्रस्तावित 50% निवेश नहीं किया गया है, समझौता ज्ञापन की वर्तमान नियत तिथि की समाप्ति अथवा 31.03.2012 के बाद, जो भी पहले हो, उन्हें नए सिरे से करना आवश्यक होगा। इस तरह नए सिरे से निष्पादित समझौता ज्ञापनों को यथा 36.1 (घ) में किए गए उल्लेखानुसार, दूसरे चरण के समझौता ज्ञापन के रूप में माना जाएगा।

(ग) अपर्याप्त निवेश वाले या बिना निवेश वाले, पूर्व में निष्पादित समझौता ज्ञापनों के सभी मामलों का, यथा 36.1 (घ) में किए गए उल्लेखानुसार, दूसरे चरण के समझौता ज्ञापन के लिए अनुमत किए जाने से पूर्व, उच्चाधिकार समिति द्वारा पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा।

37. सुविधा-सहयोग

37.1 डीआईसी/आईओडीओ द्वारा जागरूकता पैदा करने और शिकायत दूर करने के काम को सुगम बनाना।

(क) डीआईसी और औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा, नीति के तहत प्रोत्साहन/लाभ का दावा करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रपत्रों को भरने के काम को सुगम बनाने के लिए उद्योग विभाग के अधिकारियों और निवेशकों/उद्योग निकायों/उद्योग संघ के बीच वार्ता बैठक का आयोजन किया जाएगा।

(ख) ई-मेल के माध्यम से सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों सहित औद्योगिक इकाइयों के साथ इलेक्ट्रॉनिक बातचीत को बढ़ावा दिया जाएगा।

(ग) उद्यमियों और निवेशकों के लिए सूचना तक आसान पहुँच स्थापित करने में मदद करने के लिए प्रमुख जिला केंद्रों में सूचना कियोस्क की स्थापना की जाएगी।

(घ) निवेशकों की जानकारी के लिए निवेशक गाइड/सूचना पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी। निवेशकों के लिए सभी प्रासंगिक जानकारियों को वेबसाइट पर/ऑनलाइन भी उपलब्ध कराया जाएगा। उद्योग के निदेशक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(ङ) औद्योगिक गृहों/औद्योगिक संघों इत्यादि के सहयोग से राज्य सरकार द्वारा राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेशक सम्मेलनों और सड़क प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा।

(च) डी0आई0सी0/आई0ए0डी0ए0 द्वारा अन्य विभागों के साथ मंजूरीयाँ या निकासी के काम को भी सुगम बनाया जाएगा।

37.2 नीति अवधि

राज्य सरकार किसी भी समय इस नीति के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है। सामान्यतः नीति 5 वर्ष तक (01.04.2011 से 31.03.2016 तक) प्रभावी रहेगी।

37.3 संदेह समाधान

(क) किसी भी शब्द की व्याख्या से संबंधित संदेहों और/या इस औद्योगिक नीति के तहत किसी भी प्रावधान के संचालन से संबंधित विवादों को स्पष्टीकरण/समाधान के लिए उद्योग विभाग, झारखंड सरकार को संदर्भित किया जाएगा और इस मामले में सरकार का निर्णय अंतिम और सभी संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

(ख) किसी भी संदेह के मामले में इस नीति के "अंग्रेजी संस्करण" को प्रामाणिक संस्करण माना जाएगा।

37.4 नीति के प्रावधान के संचालन की प्रक्रिया

प्रोत्साहन, रियायत इत्यादि को आवृत्त करने वाले विभिन्न प्रावधानों का कार्यान्वयन, संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रत्येक मद के संबंध में आवश्यकतानुसार विस्तृत दिशानिर्देशों/वैधानिक अधिसूचनाओं को जारी करने के अधीन होगा।

37.5 जिडको की भूमिका

औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (ए0आई0ए0डी0ए0, बी0आई0ए0डी0ए0, आर0आई0ए0डी0ए0, एस0पी0आई0ए0डी0ए0), झारक्राफ्ट जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और राँची तथा दुमका में सरकारी मिनी टूल एंड ट्रेनिंग सेंटर जैसे अन्य संस्थानों सहित उद्योग विभाग के सभी बुनियादी ढाँचागत निर्माण कार्यों के लिए झारखंड इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (जिडको) नोडल एजेंसी होगा। इसके अलावा, जिडको द्वारा परियोजना प्रस्ताव का पुनरीक्षण, डी0पी0आर0 की तैयारी, सिंगल विंडो ऑपरेशनलाइजेशन से संबंधित मुद्दों इत्यादि सहित उद्योग विभाग द्वारा जरूरत पड़ने पर तकनीकी निविष्टि भी प्रदान किया जाएगा।

37.6 जिन्फ्रा की भूमिका

झारखंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (जिन्फ्रा), पी0पी0पी0 के तहत चलाई जाने वाली झारखंड की सभी परियोजनाओं के लिए नोडल एजेंसी होगा।

37.7 स्वच्छ एवं हरित प्रौद्योगिकियों का संवर्धन

पर्यावरण और पारिस्थितिकी की रक्षा करने के लिए उद्यमों को स्वच्छ उत्पादन तकनीकों को अपनाने और हरित प्रौद्योगिकियों एवं प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

37.8 उद्यमों के लिए राज्य पुरस्कार

प्रत्येक वर्ष उद्योगों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन मानदंडों के आधार पर पर्यावरण प्रबंधन, श्रमिक कल्याण, अनुसंधान एवं विकास, सुरक्षा लाभ का महत्तम मूल्यांकन, अभिनव उत्पादन, रुग्ण उद्योगों का कायापलट, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी, उद्यमशीलता और गुणवत्ता के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। पिछले 6 वर्षों में बासठ पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। ऐसे बेहतरीन तरीकों को अपनाने वाले उद्यमों की योजना को प्रत्येक वर्ष राज्य पुरस्कारों से मान्यता प्राप्त होती रहेगी।

37.9 (क) निर्दिष्ट अवधि में उद्यमियों द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं को आवश्यक मंजूरी/अनुमोदन प्रदान करने के लिए **सिंगल विंडो क्लियरेंस** तंत्र का विधान बनाया जाएगा। सिंगल विंडो क्लियरेंस कक्ष द्वारा निवेशक के प्रस्तावों से जुड़ी सभी मंजूरीयों के लिए सांविधिक शुल्क के साथ-साथ सभी सम्मिश्र आवेदन पत्र (सी0ए0एफ0) भी प्राप्त किए जाएँगे, जो संबंधित विभागों या राज्य सरकार और अन्य एजेंसियों के प्राधिकारियों से आवश्यक मंजूरी को सुगम बनाएगा।

(ख) जब तक सिंगल विंडो क्लियरेंस तंत्र को अधिनियमित नहीं किया जाता है, तब तक उद्योग विभाग में मौजूदा सिंगल विंडो कक्ष को निवेशकों के लिए बेहतर एक स्थान (सिंगल प्वाइंट) पर संपर्क सेवाएँ प्रदान करने के लिए कर्मियों/विभागीय अधिकारियों और विशेषज्ञों की समर्पित टीम की मदद से मजबूत किया जाएगा। कक्ष, उद्यमियों के लिए न्यूज़-लेटर, विभागीय प्रचार सामग्री और अन्य संबंधित दस्तावेजों को भी प्रकाशित करेगा।

37.9 उद्यमियों की सहायता के लिए और उनके आवेदनों के त्वरित और समयबद्ध प्रसंस्करण को सुगम बनाने के लिए, प्रशासनिक दिशानिर्देश – रूपरेखा को संचालित करने के लिए निगरानी और प्रतिसूचना क्षमता वाले एक **वेब आधारित एप्लिकेशन पोर्टल** का निर्माण किया जाएगा।

37.10 निवेशक, उद्योग विभाग और झारखंड सरकार के अन्य संबंधित विभागों के बीच बेहतर अंतराफलक का विकास करने के लिए **ऑनलाइन निगरानी प्रणाली** आरंभ करने का प्रस्ताव रखा गया है।

37.11 पर्यावरणीय संस्वीकृति

(क) अबाधित पर्यावरणीय संस्वीकृति सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की गजट अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 भाग II, अनुभाग 3 (ii) में किए गए उल्लेखानुसार राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस0ई0आई0ए0ए0), और राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस0ई0ए0सी0) का सशक्तिकरण किया गया है।

(ख) राज्य के उद्योगों को झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल एवं वायु अधिनियम के तहत संचालित करने के लिए दी गई सहमति पाँच वर्षों की अधिकतम अवधि तक वैध रहेगी।

(ग) पर्यावरणीय संस्वीकृति के लिए निवेशकों/उद्यमियों के आवेदन-पत्रों के निपटान में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जे0एस0पी0सी0बी0) को आवश्यक समर्थन प्रदान करेगी। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित उपायों के उपयोग की परिकल्पना की गई है।

औद्योगिक जोन निर्धारण : उद्यमियों को अपनी परियोजना के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करने में सक्षम बनाने के लिए पर्यावरणीय पहलुओं, भूमि उपलब्धता इत्यादि के आधार पर क्षेत्रीकरण किया जाएगा ताकि अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन0ओ0सी0) तेजी से जारी की जा सके।

तृतीय पक्ष अंकेक्षण: पर्यावरणीय कानूनों के बेहतर अनुपालन के लिए तृतीय पक्ष अंकेक्षण का आयोजन करने हेतु जे0एस0पी0सी0बी0 को आवश्यक समर्थन प्रदान किया जाएगा।

कौशल उन्नयन : पर्यावरणीय अभियांत्रिकी/प्रबंधन में जे0एस0पी0सी0बी0 और संबंधित संगठनों के तकनीकी कर्मियों के लिए कौशल उन्नयन कार्यक्रम के आयोजन की परिकल्पना की गई है।

37.12 निवेशक समाधान अदालत की संकल्पना

(क) इकाइयों/उद्यमों के लिए समय पर और प्रभावी विवाद/शिकायत समाधान तंत्र की व्यवस्था करने के विचार से राज्य सरकार एक निवेशक समाधान अदालत का गठन करेगी, जो महीने में कम से कम एक बार (संचालित कारोबार पर निर्भर करते हुए एकाधिक बार) निवेशकों की शिकायतों को सुनेगी और शिकायत निवारण तथा विचारार्थ उपयुक्त प्राधिकारी/प्राधिकारियों को अपना सुझाव देगी।

(ख) निवेशक समाधान अदालत की अध्यक्षता राजस्व मंडल के सदस्य करेंगे। वित्त, प्रबंधन एवं उद्योग के जाने-माने विशेषज्ञ अदालत के दो अन्य सदस्य होंगे।

(ग) सिंगल विंडो कक्ष द्वारा सचिवीय सहायता प्रदान की जाएगी।

(घ) यह मंच इस नीति के प्रावधानों के कार्यान्वयन से संबंधित सचिव, उद्योग विभाग के आदेश के प्रति पुनरीक्षण प्राधिकरण की तरह काम करेगा।

(ङ) इस आशय की एक विस्तृत अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी।

37.13 मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति के गठन द्वारा सभी नियामक विभागों को एक ही मंच पर लाने का प्रयास किया जाएगा। सभी संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों सहित गठित समिति संयुक्त निरीक्षण के विस्तृत तौर-तरीके, निरीक्षण की बारंबारता इत्यादि की योजना बनाएगी, ताकि उद्योगों को निर्दिष्ट समय में संस्वीकृति/अनुमोदन प्रदान कर सकें।

38. निगरानी और समीक्षा

(क) नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार संपन्न होगी।

(ख) इस नीति के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए सभी संबंधित विभाग और संगठन, एक महीने में आवश्यक अनुवर्ती अधिसूचनाएँ जारी करेंगे। इस नीति के कार्यान्वयन की निगरानी मुख्य सचिव के स्तर पर कम से कम तिमाही में एक बार सरकार द्वारा विधिवत् की जाएगी, ताकि राज्य सरकार इस नीति की एक मध्यावधि समीक्षा कर सकें।

38.1. इस नीति में उल्लिखित प्रोत्साहन/सब्सिडी/रियायत, 01.04.2011 से इस नीति की वैधता अवधि तक वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने वाली औद्योगिक इकाइयों को उपलब्ध होंगे।

38.2. एम0एस0एम0ई0 के लिए इस नीति में निहित सब्सिडी/प्रोत्साहन की मंजूरी और संवितरण के लिए, निदेशक, उद्योग विभाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें निदेशक, हथकरघा, रेशम उत्पादन और हस्तशिल्प, वाणिज्यिक कर विभाग, झारखंड राज्य विद्युत मंडल (जहाँ कहीं आवश्यक हो) से एक-एक प्रतिनिधि, साथ ही औद्योगिकी क्षेत्र विकास प्राधिकार के संबंधित प्रबंध निदेशक या महा प्रबंधक, डी0आई0सी0 सदस्यों के रूप में रहेंगे। एम0एस0एम0ई0 के अलावा अन्य औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन की मंजूरी और संवितरण के लिए मुख्य सचिव के अधीन उच्चाधिकार प्राप्त समिति काम करेगी। इस संबंध में एक विस्तृत संकल्प बाद में जारी किया जाएगा।

38.3. परिभाषाएँ

इस नीति के परिशिष्ट में दी गई परिभाषाओं को इस नीति के भाग के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

39. राज्य सरकार के अधिकार

39.1 औद्योगिक नीति के पूर्वगामी अनुच्छेदों में निहित किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना जारी करते हुए ऊपर उल्लिखित किसी भी प्रावधान और/या योजनाओं में संशोधन कर सकती है या उन्हें वापस ले सकती है।

39.2 यदि औद्योगिक नीति के प्रावधानों को कार्यान्वित करने में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसे मुख्य सचिव के माध्यम से राज्य सरकार को इंगित किया जाएगा और उस पर लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

आदेश: यह आदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव की एक प्रति झारखंड गजट के विशेष संस्करण, प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाएँ और समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी तथा सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों तथा अधीनस्थ कार्यालयों में परिचालित की जाएगी

झारखंड के राज्यपाल के आदेश द्वारा
ह0/—
(ए0पी0सिंह)
सचिव
उद्योग विभाग,
झारखंड सरकार।

ज्ञापन सं0: 1958 राँची, दिनांक 16.06.2012

झारखंड गजट के विशेष संस्करण में प्रकाशनार्थ अधीक्षक, सरकारी प्रेस, हिन्डू राँची को अनुलग्नकों सहित प्रतिलिपि अग्रेषित। उनसे अनुरोध है कि गजट के विशेष संस्करण की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाए।

झारखंड के राज्यपाल के आदेश द्वारा
ह0/—
(ए0पी0सिंह)
सचिव
उद्योग विभाग,
झारखंड सरकार।

ज्ञापन सं0 1958 राँची, दिनांक 16.06.2012

सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/वाणिज्यिक कर आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग/उद्योग विभाग के अंतर्गत सभी निगमों के प्रबंध निदेशक/सभी औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, झारखंड राज्य खादी बोर्ड, राँची, झारखंड/अध्यक्ष, झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड, राँची/सभी आयुक्त/सभी

उपायुक्त/सभी उप विकास आयुक्त/सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र/निदेशक, हथकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प/निदेशक, उद्योग/स्थानिक आयुक्त, झारखंड भवन, नई दिल्ली को प्रेषित।

झारखंड के राज्यपाल के आदेश द्वारा
ह0/—
(ए0पी0सिंह)
सचिव
उद्योग विभाग,
झारखंड सरकार।

परिशिष्ट- I

परिभाषाएँ

1. **प्रभावी दिनांक:** “प्रभावी तिथि” से तात्पर्य उस तिथि से है जिस दिन नीति प्रचलित हुई अर्थात् 01.04.2011। यह नीति 5 वर्षों के लिए दिनांक 31.03.2016 तक लागू रहेगी।
2. **औद्योगिक इकाई/औद्योगिक संस्था:** 'औद्योगिक इकाई/संस्था' से तात्पर्य ऐसी कोई इकाई/ संस्था जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत विनिर्माण/प्रसंस्करण/सेवा उद्योग का काम कर रही है या करने वाली है:
 - क) यथा समय-समय पर संशोधित उद्योग की प्रथम अनुसूची (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 के अंतर्गत सूचीबद्ध उद्योग।
 - ख) निम्नलिखित मंडल/एजेंसियों के क्षेत्राधिकार में आने वाले उद्योग:
 - (i) लघु उद्योग बोर्ड
 - (ii) कॉयर बोर्ड
 - (iii) सिल्क बोर्ड
 - (iv) अखिल भारतीय हथकरघा और हस्तकला बोर्ड
 - (v) खादी और ग्रामोद्योग आयोग
 - (vi) भारत सरकार या झारखंड सरकार द्वारा औद्योगिक विकास के लिए गठित अन्य कोई एजेंसी।
 - ग) **अन्य श्रेणियाँ:**
 - (i) खनन या खानों का विकास।
 - (ii) किसी भी प्रकार की मशीनरी या वाहन या जहाज या मोटरबोट या ट्रैक्टर के ट्रेलरों का अनुरक्षण, मरम्मत, निरीक्षण या सर्विसिंग।
 - (iii) औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक संपदा, एकीकृत अवसंरचना विकास, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, निर्यात संवर्धन अंचल या विकास केंद्र की स्थापना या विकास।
 - (iv) औद्योगिक विकास के संवर्धन के लिए विशेष या तकनीकी ज्ञान या अन्य सेवाएँ प्रदान करना।
 - (v) उद्योग के लिए इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, वित्तीय, प्रबंधकीय, विपणन या अन्य सेवा या सुविधा प्रदान करना।
 - (vi) सैटलाइट लिंकेज तथा श्रव्य या दृश्य केबल संचार सहित सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार या इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित सेवाएँ प्रदान करना।
 - (vi) पर्यटन।

3. मौजूदा औद्योगिक इकाई

"मौजूदा औद्योगिक इकाई ' से तात्पर्य ऐसी औद्योगिक इकाई से है जहाँ 31.03.2011 को या उससे पहले से वाणिज्यिक उत्पादन हो रहा है।

4. नई औद्योगिक इकाई

"नई औद्योगिक इकाई ' से तात्पर्य ऐसी औद्योगिक इकाई से है जिसने 01.04.2011 से पाँच वर्षों के अंदर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया है।

5. रुग्ण इकाई

"रुग्ण इकाई ' से तात्पर्य ऐसी औद्योगिक इकाई है जिसे रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम-1985 के अंतर्गत औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण मंडल द्वारा या उद्योग निदेशक की अध्यक्षता में एस0एस0आई0 के लिए राज्य शीर्ष समिति अथवा बड़े और मध्यम क्षेत्र के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय उच्चाधिकार समिति द्वारा रुग्ण घोषित किया गया है। रुग्ण इकाइयों में ऐसी इकाइयाँ भी शामिल हैं जो बरसों ऋणग्रस्त होने के कारण या वित्तीय कारणों से या अप्रचलित प्रौद्योगिकी के कारण बंद हो गई हों।

6. विस्तार/आधुनिकीकरण

“मौजूदा इकाई का विस्तार/आधुनिकीकरण” से तात्पर्य उस इकाई के विस्तार/ आधुनिकीकरण से ठीक पहले इकाई में अचल पूँजी निवेश के 50% या गैर-मूल्यहासित मूल्य से अधिक मात्रा तक अतिरिक्त अचल पूँजी निवेश, जो इस विस्तार के बाद कुल 70% निर्मित क्षमता सहित कम से कम 50% अतिरिक्त उत्पादन में परिणत हो।

7. विविधीकरण

किसी मौजूदा इकाई के विविधीकरण से तात्पर्य उस इकाई के विविधीकरण से ठीक पहले उस इकाई में अचल पूँजी निवेश के 50% या गैर-मूल्यहासित मूल्य से अधिक मात्रा तक अतिरिक्त अचल पूँजी निवेश, जो इस विविधीकरण से ठीक पूर्व तीन वर्षों में हासिल उच्चतम पण्यवर्त (टर्नओवर) से, 50% अधिक पण्यवर्त में परिणत हो।

विविधीकरण कम से कम एक अतिरिक्त उत्पाद में परिणत होनी चाहिए। यदि इकाई मौजूदा उत्पादन को जारी नहीं रखती है, तो पण्यवर्त (टर्नओवर) में वृद्धि पर विचार नहीं किया जाएगा।

ध्यान दें: विस्तार/आधुनिकीकरण/विविधीकरण से पहले अनुमोदन के लिए परियोजना प्रस्ताव की प्रस्तुति की जानी होगी। प्रस्तुति दिनांक से 30 दिन के अंदर अनुमोदन सूचित किया जाएगा। यदि अनुबद्ध समय में स्वीकृति प्राप्त न हो, तो उसे अनुमोदन मान लिया जाएगा।

8. अचल पूँजी निवेश

'अचल पूँजी निवेश' से तात्पर्य भूमि, भवन, संयंत्र तथा मशीनरी और साथ ही उपकरण, पुर्जे, जुड़नार, क्रेन, विद्युतीकरण जैसी स्थाई उत्पादक आस्तियों में, सिवाय डीजी सेट तथा प्रदूषण नियंत्रण उपकरण के, किया गया निवेश।

9. अनुषंगी औद्योगिक इकाई

"अनुषंगी औद्योगिक इकाई" ऐसी औद्योगिक इकाई है जिसमें समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट सीमा तक पूँजी निवेश किया गया है।

10. उत्पादन तिथि

(क) किसी उत्पादन इकाई के "उत्पादन दिनांक" से तात्पर्य जिस दिनांक को इकाई ने क्रम 0 सं 35.2 में परिकल्पित रूप से, वास्तव में उस मद का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया है जिसके लिए इकाई का पंजीकरण करवाया गया था।

(ख) छोटे तथा लघु इकाइयों के उत्पादन दिनांक के संबंध में, संबद्ध महा प्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र और संबद्ध प्रबंध निदेशक, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाण-पत्र मान्य होगा।

(ग) आई 0 ए 0 डी 0 ए 0 / जी 0 ए म 0, डी 0 आई 0 सी 0 द्वारा जारी छोटे और लघु इकाई के उत्पादन तिथि के संबंध में किसी विवाद की स्थिति में, उद्योग निदेशक का निर्णय अंतिम होगा।

(घ) बड़े और मध्यम उद्योग (लघु उद्योग के अतिरिक्त) के मामले में उद्योग निदेशक द्वारा जारी प्रमाण-पत्र मान्य होगा।

(ङ) उद्योग निदेशक द्वारा जारी, बड़े और मध्यम उद्योग के उत्पादन तिथि के किसी विवाद के मामले में, प्रधान सचिव/सचिव उद्योग का निर्णय अंतिम होगा।

(च) झारखण्ड औद्योगिक नीति-2012 के अधीन क्रम 0 सं 35 में परिकल्पित रूप से लाभ प्राप्त करने के लिए उत्पादन तिथि हेतु अलग प्रमाण-पत्र की प्रस्तुति की जानी होगी।

11. औद्योगिक इकाइयों का वर्गीकरण

i. छोटे, लघु और मध्यम उद्यम (एम 0 एस 0 एम 0 ई 0) उद्योग

"एम 0 एस 0 एम 0 ई 0 उद्योग" एक औद्योगिक इकाई है जिसमें समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट सीमा तक पूँजी निवेश किया गया है।

ii. वृहत उद्योग

जिस औद्योगिक इकाई को छोटे, लघु, मध्यम और विशाल उद्यम के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, उसे बड़े पैमाने के उद्योग में वर्गीकृत किया जाएगा।

iii. मेगा परियोजनाएँ

क्षेत्रवार विशाल परियोजनाओं का वर्गीकरण निम्नतः है:

क्र०सं०	क्षेत्र	न्यूनतम निवेश	प्रत्यक्ष रोज़गार सृजन
1	2	3	4
1.	विनिर्माण	250 करोड़ रु०	300
2.	(क) ऑटोमोबाइल	300 करोड़ रु०	500
	(ख) ऑटो घटक	50 करोड़ रु०	100
3.	स्टील, एल्युमिनियम तथा अन्य खनिज आधारित उद्योग (सीमेंट छोड़कर)	1000 करोड़ रु०	300
4.	अनुषंगी और निचली-धारा के उद्योग	50 करोड़ रु०	50
5.	कृषि-प्रसंस्करण/खाद्य प्रसंस्करण, जैव-प्रौद्योगिकी/फॉर्मास्यूटिकल	50 करोड़ रु०	100
6.	कपड़ा/चरखी/कताई/बुनाई/वस्त्र-परियोजनाएँ/पोशाक	25 करोड़ रु०	500
7.	सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी-आईटीई उद्योग)	50 करोड़ रु०	1000
8.	सीमेंट	300 करोड़ रु०	100

- ऊपर उल्लिखित क्षेत्रवार वर्गीकरण के अलावा, अन्य क्षेत्रों में रु० 250 करोड़ से अधिक के निवेश मेगा परियोजना के वर्गीकरण के अंतर्गत शामिल होंगे।
- उपर्युक्त श्रेणियों के अंतर्गत मेगा निवेशकों से अपेक्षा है कि वे अपने संबद्ध बहुत बड़ी इकाइयों के लिए पुर्जे/उपभोज्य सामग्रियों हेतु अनुषंगी उद्योग विकसित करें। उनकी अनुषंगी इकाइयों में निवेश, ऊपर प्रदर्शित निवेश से अलग होगा।

12. पिछड़े क्षेत्रों का वर्गीकरण

इस नीति के तहत उपलब्ध प्रोत्साहन के प्रकार और मात्रा के निर्धारण के उद्देश्य से, राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

श्रेणी ए (न्यूनतम पिछड़े):

जिला-वार प्रखंड कोष्ठक में दिए गए हैं। **राँची** (राँची सदर, नगड़ी, रातू, ओरमाँझी, कांके और नामकुम), **पूर्वी सिंहभूम** (धालभूमगढ, पोटका, घाटशिला, और गोलमुरी), **धनबाद** (गोविंदपुर, झरिया और चिरकुंडा), **सराईकेला-खरसावन** (चांदिल, आदित्यपुर, खरसावन, गम्हरिया), **बोकारो** (चास, बरमो,

चन्दनक्यारी, चंद्रपुरा और पेटरवार), **रामगढ़** (रामगढ़ और पतरातु) तथा **गिरिडीह** (गिरिडीह खंड), प0 सिंहभूम

श्रेणी बी (पिछड़े):

पश्चिम सिंहभूम (झींकपानी और चक्रधरपुर), **रामगढ़** (मांडू), **धनबाद** (बलियापुर), **बोकारो** (गोमिया और जरीडीह), **हजारीबाग** (हजारीबाग, कटकामडाग, दारू, केरेडारी, बडकागाँव और बरही), **गिरिडीह** (सरिया), **कोडरमा** (चाँदवारा), **चतरा** (टांडवा), **दुमका** (दुमका सदर), **गोड्डा** (गोड्डा और सुंदरपहाड़ी), **खुंटी** (खुंटी), **देवघर** (मधुपुर, देवीपुर और देवघर), **लातेहार** (चाँदवा), **गढ़वा** (गढ़वा और भवनाथपुर), **पलामू** (डाल्टेनगंज), **सराईकेला- खरसावन** (राजनगर) और बाकी जिलों के जिला मुख्यालय।

श्रेणी सी (बहुत पिछड़े):

शेष सभी खंड जिनका श्रेणी ए और श्रेणी बी में उल्लेख नहीं किया गया है।

13. मनोरंजन कर से छूट पाने के लिए पर्यटन के अधीन आवृत मल्टीप्लेक्स से तात्पर्य आधुनिक प्रोजेक्शन सिस्टम, साउंड सिस्टम, एयर-कंडिशनर, जनरेटर सेट, फर्नीचर एवं जुड़नार आदि से सुसज्जित रु0 3.00 करोड़ के न्यूनतम पूँजी निवेश सहित कम से कम 03 स्क्रीन वाले नए मल्टीप्लेक्स सिनेमा-घर हैं
14. खाद्य-प्रसंस्करण उद्योग को भारत सरकार के नियमों के अनुसार श्रेणीबद्ध/वर्गीकृत किया जाएगा।
15. नवीकरणीय ऊर्जा – समय-समय पर भारत सरकार के नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा परिभाषित और वर्णित रूप से।
16. **नेट-वैट (NETVAT)** – से तात्पर्य है झारखंड मूल्ययोजित कर अधिनियम-2005 की धारा-17 की उप-धारा-(I) के अंतर्गत देय और प्रदत्त कर।

परिशिष्ट-II

उन उद्योगों की सूची, जो प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं हैं

43. आरा-घर, लकड़ी की चिराई और फर्नीचर।
44. रिग ड्रिलिंग, बोर-वेल, ट्यूब वेल स्थापना एकक, कंक्रीट मिक्सिंग संयंत्र, रोड मेटल मिक्सर, रेडीमेड कंक्रीट मिक्सर और इन जैसी गतिशील प्रकृति की सुविधाएँ।
45. चाय की ब्लेंडिंग/मिक्सिंग इकाइयाँ।
46. कच्चे तंबाकू की कटाई से जुड़े एकक और गुल संबंधित उत्पाद तथा गुरकु।
47. बिना प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के दवाइयाँ/औषधियाँ/रसायनों की बोतल में भराई और पुनः पैकेजिंग (सूत्रीकरण और विनिर्माण इकाइयों के अतिरिक्त)।
48. शीट, बार, एंगल, कॉइल, एम0एस0शीट की कटाई, रीकॉइलिंग, स्ट्रेटनिंग, कॉरुगेटिंग, ड्रॉप हैमर इकाइयों आदि सहित आइरन स्क्रैप "आइरन और स्टील प्रॉसेसर"।
49. बुक बाइंडिंग/नोट बुक/एक्ज़रसाइस नोट बुक/रजिस्टर/लेजर/फाइल पैड/ऑफिस फाइलें आदि।
50. रबड़ की मुहरें बनाना।
51. फोटोकॉपी और जिरॉक्स मशीनें।
52. स्टेंसिलिंग इकाइयाँ/स्टेंसिल पेपर का प्रसंस्करण।
53. टेलरिंग (रेडिमेड गार्मेंट निर्माण इकाइयों के अलावा)।
54. लॉन्ड्री/ड्राइ क्लिनिंग।
55. फोटोग्राफी, स्टुडियो लैब, वीडियो पार्लर, वीडियोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी, थिएटर, फोटो स्टूडियो, कलर फिल्म लैबोरेटरी, वीडियो, ऑडियो कैसेट रिकॉर्डिंग और घड़ी मरम्मत।
56. भारतीय औषधि प्रणाली सहित नैदानिक/रोगविज्ञान संबंधी प्रयोगशालाएँ/नर्सिंग होम/ क्लिनिक। (सुपरस्पेसियलिटी अस्पताल कम से कम ₹0 50 करोड़ निवेश को छोड़कर)
57. ब्यूटी पार्लर।
58. माल और यात्री वाहन।
59. गेस्ट हाउस/रेस्तराँ।
60. पेट्रोल पम्प।
61. नशीली दवाइयाँ, तंबाकू/तंबाकू पुनः सुखाना/प्रसंस्करण, बीड़ी/सिगरेट विनिर्माण तथा अन्य तंबाकू आधारित उत्पाद।
62. सी0पी0पी0 सहित या रहित स्पंज आयरन संयंत्र।

63. सभी खाद्य तेल बीज/केक यथा 1. मूँगफली, 2. तिल 3. कुसुम 4. तोरी/सरसों 5. नारियल (कच्चा और सूखा, दोनों), 6. सूर्यमुखी, नाइगर कपास के बीज (सभी प्रक्रियाओं में शामिल हैं छिलका निकालना, बाहर उड़ाना, पीसना, भूनना, सुखाना, तलना)।
64. चावल की भूसी निकालने और चावल की मिलें। (राइस मिल 50 मे0 टन/दिन क्षमतावाली एवं वार्षिक उत्पादन कम से कम 5000 मे0 टन को छोड़कर)
65. आइसक्रीम, आइसकैंडी, कुल्फी, आइसफूट, पेप्सी, टूटी-फूटी आदि सिवाय जिन पर आई0एस0आई0, एगमार्क या एफ0पी0ओ0 मार्क लगे हों।
66. लाल मिर्च, हल्दी, मसाला, गरम मसाला, करी, सांबर आदि। सिवाय जिन पर आईएसआई, एगमार्क या एफ0पी0ओ0 मार्क लगे हों।
67. शराब का कारखाना, ब्रूअरी, बियर और अन्य अल्कोहॉल पेय-पदार्थ।
68. सभी खाद्य माँस, पशु-पालन/मुर्गी-पालन, सुअर पालन आदि जैसे कुक्कुट-पालन.
69. वार्निश और थिनर।
70. लौह अयस्क, कोयला, पत्थर आदि की पिसाई/धुलाई जिसमें कोयला धावित्र के अलावा छंटाई/मिश्रण शामिल है।
71. टायर रिट्रीडिंग।
72. खान आदि के विकास सहित खदान और खानों के क्रिया-कलाप।
73. हार्ड कोक/धुआँरहित फ़्युअल संयंत्र और कच्चे माल के रूप में कोयले का उपयोग करने वाली कोई इकाई, जो कुल कच्चे माल की लागत या मात्रा के 50% से अधिक हो।
74. एसएमएस थोक विस्फोटक सहित विस्फोटक पदार्थों की निर्माण इकाइयाँ।
75. वाहन या अन्य कोई उपभोक्ता उत्पाद शो-रूम, सेवा/मरम्मत केंद्र या बिक्री केंद्र।
76. ईंट बनाने वाले एकक सिवाय उष्मसह ईंट निर्माण, राख/लाल मिट्टी या उसी तरह के अन्य औद्योगिक अपशिष्ट से ईंटे तैयार करना।
77. कोई पेट्रोलियम उत्पाद भंडार।
78. फ्रूट जूस बेस, पैकेज किया हुआ पेय जल/मिनरल/एक्वा, एयरेटेड और सॉफ्ट ड्रिंक इकाइयाँ (सिवाय फलों का गूदा या उनसे फलों का गूदा व रस के विनिर्माण से जुड़ी इकाइयाँ)।
79. मिठाइयाँ/नमकीन आदि।
80. साबुन बनाने वाली इकाइयाँ जो शक्ति-चालित मशीनरी द्वारा परिचालित न हो।
81. शैम्पू और अन्य कॉस्मेटिक आइटम, सिवाय आई0एस0आई0 मार्क वाले।
82. खाद मिश्रण उद्योग।
83. सेवा क्षेत्र (नीति में विशिष्ट रूप से जो अनुमत न हों)।
84. राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा समय-समय पर प्रतिबंधित मर्दे भी इस सूची के अंतर्गत होंगी।

नोट:

1. सरकार के पास उपर्युक्त नकारात्मक सूची में कोई भी परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है।
2. कोई इकाई नकारात्मक सूची में आती है या नहीं, इससे संबंधित सरकार का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

संकेताक्षर

ADB	एशियन डेवलपमेंट बैंक
AHD	पशुपालन विभाग
AIADA	आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण
AMG	वार्षिक अनुरक्षण गारंटी
APEDA	कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
APMC	कृषि उत्पाद विपणन समिति
ASIDE	निर्यात अवसंरचना और संबद्ध गतिविधियों के विकास के लिए राज्यों को सहायता
BIADA	बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण
BOOT	खरीदें, स्वामित्व पाएँ, परिचालित और अंतरित करें
BOT	निर्माण, परिचालन और अंतरण करें
BPO	व्यावसायिक प्रक्रिया आउटसोर्सिंग
CFC	सामान्य सुविधा केंद्र
CFTRI	केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान
CIMAP	केंद्रीय औषधीय तथा सुगंधित वनस्पति संस्थान
CNT	छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम
CPIS	समेकित परियोजना निवेश अनुदान
CSR	निगमित सामाजिक दायित्व
CST	केंद्रीय बिक्री कर
DIC	जिला औद्योगिक केंद्र
DOP	उत्पादन दिनांक
DPR	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
DVC	दामोदर घाटी निगम
EM	उद्यमी ज्ञापन
EMD	बयाना जमाराशि
EPF	कर्मचारी भविष्य निधि
ESI	कर्मचारी राज्य बीमा
FAR	तल क्षेत्र विनियम
FDI	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
GM Land	गैर मज़रूआ भूमि
GM, DIC	महा प्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र।
GOI	भारत सरकार
GOJ	झारखंड सरकार
GSDP	राज्य का सकल देशी उत्पाद
GST	माल और सेवा कर
IADA	औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण
ICD	अंतर्देशीय कंटेनर डिपो
IEM	औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन
IFAD	कृषि विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय निधि
IHRI	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान
IIUS	एकीकृत अवसंरचना उन्नयन योजना
IL & FS	अवसंरचना, लीजिंग तथा वित्तीय सेवाएँ
IT	सूचना प्रौद्योगिकी

ITES	सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएँ
ITI	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
Jharcraft	झारखंड रेशम, वस्त्र और हस्तशिल्प विकास निगम
JHARNET	झारखंड राज्य सूचना और संचार नेटवर्क
JIIDCO	झारखंड औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम
JINFRA	झारखंड अवसंरचनात्मक विकास निगम
JSERC	झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग
JSMDC	झारखंड राज्य खनिज विकास निगम
JSPCB	झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
KVIB	खादी और ग्रामोद्योग मंडल
KWH	किलो वॉट घंटा
MD	प्रबंध निदेशक
MNREGA	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
MOU	समझौता ज्ञापन
MSE	छोटे और लघु उद्योग
MSME	छोटे, लघु और मध्यम उद्यम
MW	मेगा वॉट
NABARD	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कृषि बैंक
NFBD	राष्ट्रीय मत्स्य-पालन विकास मंडल
NH	राष्ट्रीय राजमार्ग
NHM	राष्ट्रीय बागवानी मिशन
NID	राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान
NIFT	राष्ट्रीय फैशन टेक्नॉलोजी संस्थान
NIRD	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान
NOC	अनापत्ति प्रमाण-पत्र
NSDC	राष्ट्रीय कौशल विकास निगम
NSTEDB	राष्ट्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता विकास मंडल
PESA	अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत विस्तार
PH	शारीरिक रूप से विकलांग
PPP	सार्वजनिक निजी भागीदारी
PSU	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
R & D	अनुसंधान और विकास
R & R	पुनर्वास और पुनर्स्थापन
RBI	भारतीय रिज़र्व बैंक
RIADA	राँची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण
SAU	राज्य कृषि विश्वविद्यालय
SC / ST	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति
SD	प्रतिभूति जमाराशि
SEAC	राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
SEB	राज्य विद्युत मंडल
SEIAA	राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण
SEZ	विशेष आर्थिक अंचल
SHG	स्व-सहायता समूह
SIDBI	भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक
SITP	एकीकृत टेक्सटाइल पार्क के लिए योजना

SLBC	राज्य स्तरीय बैंकों की समिति
SLEC	राज्य स्तरीय उच्चाधिकार समिति
SLIIC	राज्य स्तरीय अंतर संस्थागत समिति
SPT	संथाल परगना किरायेदारी
SPV	विशेष प्रयोजन वाहन
SSI	लघु उद्योग
STPI	भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नॉलोजी पार्क
STPs	विज्ञान और प्रौद्योगिकी पार्क
TUFS	प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना
UAS	कृषि विज्ञान विष्वविद्यालय
VAT	मूल्य-योजित कर
XLRI	जेवियर लेबर रिलेशन इंस्टीट्यूट